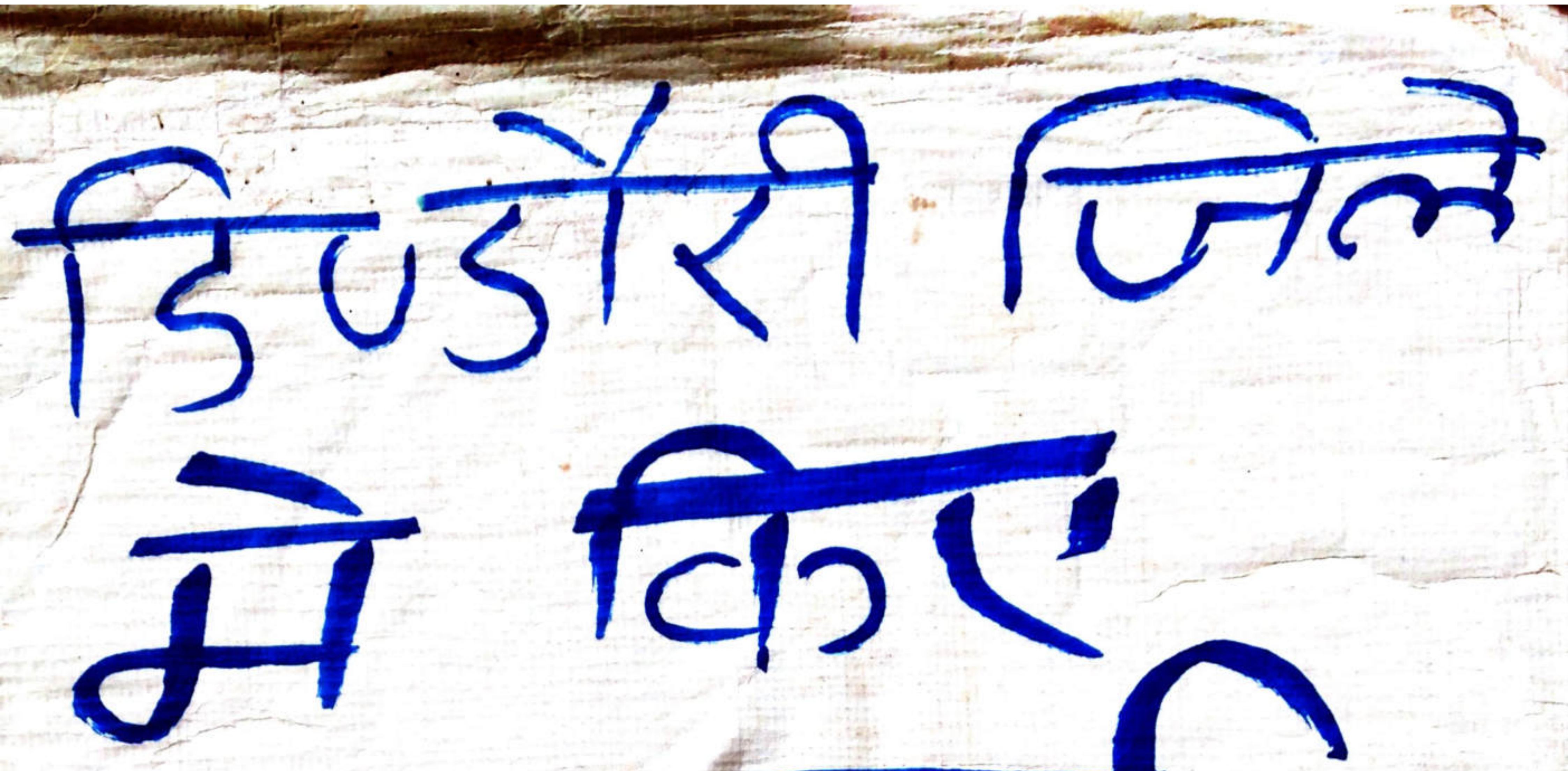
डिंडौरी जिले
मे किए
कार्य
from
AHUJA

पत्राचार आख्यायें

1- 24.26 जुलाई 2003 पंचायत आयुक्त भोपाल श्री मनोज झालानी के साथ पूज्य बाबाजी एवं सुरेन्द्र पाठक जी की गोष्ठी (सं-1)

2- 24 जु. भोपाल में सलाहकार समिति का गठन एवं कार्य समिति की रूप रेखा

2.A- 10.11.2003 पंचायत विभाग द्वारा कलेक्टर डिंडोरी एवं बाबाजी को पत्र

3- 7.10.2004 पंचायत मंत्री म.प्र. शासन श्री नरेन्द्र तोमर जी से पूज्य बाबा जी के भेंट

4- 30.10.2004 साधन जी द्वारा मा. मुख्य मंत्री म.प्र. शासन को गति प्रदान करने हेतु पत्र

5- 05.11.2004 मुख्य मंत्री कार्यालय से डिण्डोरी में कार्य संपादन हेतु प्रमुख सचिव पंचायत विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु पत्र जारी

6- 25.11.2004 साधन भट्टाचार्य को पंचायत संचालनालय द्वारा पत्र में 2.12.04 से 8.12.04 के बीच बैठक तय

7- 13.12.2004 आयुक्त पंचायत द्वारा कलेक्टर एवं साधन जी को पत्र

8- 28.12.2004 साधन जी एवं सुबोध द्वारा कलेक्टर डिण्डोरी से भेंट असफल

9- 15.5.2005 साधन जी की कलेक्टर डिण्डोरी की दूरभाष पर वार्ता 23.05.2005 को अमरकंटक में बाबाजी के साथ बैठक तय। तथा बैठक सम्पन्न हुयी।

10- 06.06.2005 डिण्डोरी कलेक्टर को पूज्य बाबा जी के पत्र चिन्हित ग्राम पाटन एवं ग्राम कौड़िया को चुनने की सलाह

11. 21.06.2005 पू. बाबाजी द्वारा डी.एम डिण्डोरी को पत्र तथा 30.6.05 में गाडासरई में बैठक तय।

12- 04.07.2005. 30.06.05 की बैठक नही हुयी जो 22.07.05 को होना तय हुआ तथा सम्पन्न हुयी

13. 23.07.2005 बाबाजी द्वारा कलेक्टर को पत्र (बैठक की समीक्षा)

14- 04.08.2005 डीएम डिण्डोरी का पत्र सहर्ष अग्रिम सहयोग हेतु संकल्प सम्पर्क तथा दूरभाष द्वारा 21.09.05 को बैठक तय

15- 21.09.2005- बैठक स्थगित होनेपर बाबाजी द्वारा अग्रिम बैठक हेतु डिण्डोरी कलेक्टर को पत्र अभय पांडेय जी एवं साधन जी द्वारा ग्राम पाटन एवं कौड़िया का भ्रमण

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

16\. 12.11.2005 डिण्डोरी कलेक्टर निवास पर अभय पांडेय जी एवं साधन एवं चन्द्रशेखर जी की वार्ता 30.12.2005 डिण्डोरी में 3-5 अपरान्ह बैठक तय। कलेक्टर डिण्डोरी द्वारा मीटिंग स्थगित तथा पुनः 5.12.2005 की तिथि तय

17\. 5.12.2005 को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक सम्पन्न कार्य समिति का गठन एवं त्रि दिवसीय शिविर ग्राम कौडिया में समिति के सदस्यों के ग्रहण होना तय तथा आवास व्यवस्था का आश्वासन

18\. कलेक्टर डिण्डोरी श्री अशोक कुमार शाय जी का साधन जी को पत्र जिसमें कौड़िया ग्रामवासियों के साथ 13/3/06, 11 से 3 अपराह्न की बैठक की सूचना एवं कार्य समिति के सदस्यों को आमंत्रण। (12/2/06)

19\. कलेक्टर श्री अशोक कुमार शाय जी का स्थानांतरण के कारण बैठक स्थगित।

परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था

(मध्यस्थ दर्शन सह-अस्तित्ववाद पर आधारित
- प्रणेता व लेखक ए० नागराज, संस्थापक दिव्य पथ संस्थान)

ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को देश में और मध्यप्रदेश में एक आवश्यकता के रूप में स्वीकारा गया है। इसकी अवधारणा, योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन, फल परिणाम व मूल्यांकन को लेकर अनेक विचार-गोष्ठी प्रस्ताव व प्रयास किये गये। परंतु इनमें संविधान, राज्य सरकार और जन मानस की अपेक्षाओं की एकसूत्रता का व पूरा होने की संभावना का अभाव बना रहना दिखता है।

मध्यस्थ दर्शन 'सह-अस्तित्ववाद' के आधार पर 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' की अवधारणा में उपरोक्त तीनों अपेक्षाओं की एकसूत्रता व उनका पूरा होना का संभावना स्पष्ट होता है।

इसी को केन्द्र में रखकर 24 से 26 जुलाई, 2003 के दौरान आयुक्त, पंचायत एवं समाज कल्याण म०प्र० श्री मनोज झालानी द्वारा श्रद्धेय ए० नागराज (प्रणेता मध्यस्थ दर्शन), उनके सहयोगी व पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक व विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस गोष्ठी में संविधान मानसिकता, शासन मानसिकता व आमजन मानसिकता के साम्य बिन्दु, मिलन बिंदू पर चर्चा हुई। संविधान मानसिकता को समानता एवं सम्प्रदायनिरपेक्षता के रूप में पहचाना गया। ~~संविधान~~ राज्य शासन मानसिकता को पंचायत राज्य व ग्राम स्वराज्य को सफल बनाने के अर्थ में पहचाना गया। आमजन मानसिकता को संग्रह-सुविधा के स्थान पर समाधान, समृद्धि के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता को पहचाना गया। इन तीनों मानसिकता के साम्य व मिलन बिंदू को सह-अस्तित्ववादी 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' में देखा गया। 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' में इन तीनों मानसिकता की अपेक्षायें पूरी हो सकती हैं, ऐसा स्पष्ट हुआ। इसी क्रम में 'लोक शक्ति योजना' व 'परिवारमूलक ~~स्व~~ ग्राम स्वराज्य योजना' का मूल व विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया (संलग्नक-1)।

'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य' योजना के क्रियान्वयन के क्रम में सलाहकार समिति का गठन किया गया एवं कार्यसमिति की रूपरेखा तैयार की गई जिसमें दिव्य पथ संस्थान के दो-दो प्रतिनिधि होने का प्राविधान रखा गया (संल०-2)। इस आशय का पत्र आयुक्त, पंचायत व जन कल्याण द्वारा श्रद्धेय ए० नागराज को दिनांक 24.7.2003 को भेजा गया।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को दो स्तरों पर लागू करने की सहमति बनी थी – 1. चयनित ग्रामों में

1. चयनित ग्रामों में – कुछ चयनित ग्रामों में ग्राम स्वराज्य के सभी आयामों (शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य विनिमय-कोष स्वास्थ्य संयम) पर समझ का लोकव्यापीकरण एवं कार्य-व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करना।

2. राज्य स्तर पर – राज्य स्तर पर 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' योजना की अवधारणा व योजना कार्यक्रम में ग्राम सभा के सदस्यों, अन्य संबंधित व्यक्तियों व अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

चयनित ग्रामों में कार्यक्रम प्रारंभ करने की दृष्टि से डिंडोरी जिला जो अमरकंटक के निकट है, को प्रस्तावित किया है गया। इस आशय से मा.आयुक्त द्वारा 13.11.2003 को एक बैठक निश्चित की गई जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित करनी पड़ी, (संलग्न 3 - आयुक्त का पत्र दि. 10.11.2003)

स्वराज्य व्यवस्था की आवश्यकता और क्रियान्वयन के संदर्भ में 1 अक्टुबर 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. उमा भारती व 7 अक्टुबर 2004 को पंचायत मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी से चर्चा हुई और दोनों ने इसकी सहमति दी। ~~30 अक्टुबर 2004 को साधन भट्टा~~ व स्वीकृति श्रद्धेय ए. नागराजजी के सामने रखी। 30 अक्टुबर 2004 को (सं.-4) साधन भट्टाचार्य ने क्रियान्वयन कार्य को गति देने की अपेक्षा से तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग आगामी कार्यवाही के लिए पत्र लिखा (सं.-5)।

आयुक्त, पंचायत राज ने अपने पत्र दिनांक 25 नवम्बर 2004 (सं-6) द्वारा साधनजी को 2 से 8 दिसम्बर 2004 के बीच चर्चा के लिए आमंत्रित किया। आयुक्त ने कलक्टर, डिंडोरी को भी इस आशय का पत्र लिखकर सूचित किया कि डिंडोरी जिला में कुछ गाँवों को चयनित कर 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य योजना' के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें (पत्र दि. 13.12.04, सं.-7)। इस संदर्भ में 28.12.04 को कलेक्टर, डिंडोरी के साथ निर्धारित (साधनजी व सुशीलजी की) बैठक हो नहीं पायी।

डिंडोरी जिला में ग्रामों के चयन के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी, बजाग तहसील ने कौड़िया व पाटन ग्राम को प्रस्तावित करते हुए 02.06.05 को कलेक्टर डिंडोरी को पत्र लिखा (सं- 8)। ये गाँव नर्मदा के किनारे बसे हैं और गाड़ासरई ब्लॉक में आते हैं। यह कार्यवाही, कलेक्टर डिंडोरी, श्री ए. के. राय की अमरकंटक में श्रद्धेय ए. नागराज जी के साथ हुई भेंट व चर्चा के फलस्वरूप हुई (दिनांक 23.05.05 सं- 9 पत्र दिनांक 06.06.05)। अतः उक्त जानकारी को कलेक्टर द्वारा श्रद्धेय नागराज जी को उपलब्ध कराया गया (सं-9)।

इसी क्रम में गाड़ासरई में कलेक्टर द्वारा 30.06.05 को एक बैठक तय की गई जो स्थगित होकर 22 जुलाई 05 को संपन्न हुई जिसमें श्रद्धेय बाबाजी के कलेक्टर ए.के. राय, एस. डी. एम श्री बृजलाल मिश्रा आदि उपस्थित थे। ग्राम कौड़िया व पाटन के जन संपर्क के दौरान कलेक्टर व एस. डी. एम ने जिस उत्साह वर्धन व धैर्य बंधाने का परिचय दिया वह प्रशंसनीय थी। ग्रामवासियों ने भी 'परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था' में भागीदारी के लिए उत्साह दिखाया। दोनों ग्रामों में 3-3 व्यक्ति ने प्रस्तावित सूची (प्रथम-सूची - चाहिए/नहीं चाहिए) के आधार पर प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी स्वीकारी।

सर्वेक्षण के लिए 4 संवाद-सूची बनायी गयी है (सं 10 से 13)।

प्रथम सूची - 'स्वीकृति के लिए विकल्पात्मक बिन्दु' में सामान्य ग्रामवासियों को क्या स्वीकृत होता है, इसे तय करने के 9 बिन्दु प्रस्तुत किये गये, जिनसे सामान्य रूप से जन-आकांक्षा की स्पष्टता होती है।

द्वितीय सूची - 'विश्वास बिंदु' में यह निश्चय करने की कोशिश की गयी है कि क्या इन अपेक्षाओं को पूरा करने में हमें स्वयं में विश्वास है या नहीं (उपरोक्त 9 बिन्दुओं पर); अगर विश्वास नहीं है तो इससे 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' के आधारभूत सह-अस्तित्ववादी विचार के अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट होती है। मध्यस्थ दर्शन, 'सह-अस्तित्ववाद' के परिचय, अध्ययन के आधार पर हर व्यक्ति में उपरोक्त 9 बिन्दुओं पर स्वयं में विश्वास बनने की संभावना समीचीन है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट होता है कि 'परिवार-मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' के लिए शहरों की तुलना में ग्रामों में अनुकूलता अधिक है (सं-14 ग्राम अनुकूलता)।

तृतीय सूची 'सत्यापन सूची' में अध्ययन के आधार पर स्वयं में समाधान परिवार में समाधान, समृद्धि पूर्वक जीने का सत्यापन ग्राम-स्वराज्य व्यवस्था के पांचों आयामों में भागीदारी का सत्यापन (9 बिंदु)।

चतुर्थ सूची - 'संकल्प बिंदु' - परिवार में समाधान, समृद्धि पूर्वक जीते हुए परिवार समूह सभा व ग्राम सभा में भागीदारी का संकल्प।

कलेक्टर डिंडोरी ने 'मध्यस्थ दर्शन' के प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर इसकी महत्ता व संभावना को स्वीकारते हुए इसपर आधारित ग्राम स्वराज्य योजना में हर संभव सहयोग करने का उत्साह व संकल्प व्यक्त किया (सं-15 पत्र दि. 4-8-05)।

इसी क्रम में 12 नवम्बर '05 को कलेक्टर निवास डिंडोरी में अगली बैठक संपन्न हुई जिसमें ~~श्रद्धेय बाबाजी, प्रणेता मध्यस्थ दर्शन~~ साधन भट्टाचार्य, अमय पांडे, चंद्रशेखर, कलेक्टर डिंडोरी आदि उपस्थित थे। इसमें कार्यसमिति का गठन किया गया जिसमें दिव्य पथ संस्थान की ओर से श्री अमय पांडे, साधन भट्टाचार्य, सुशील सिंह का नाम रखा गया (सं-16)।

अगली बैठक 5 जनवरी 2006 को श्रद्धेय बाबा नागराज जी के मार्गदर्शन में डिंडोरी कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई जिसमें कलेक्टर श्री ए. के. राय, एस. डी. एम. बृजलाल मिश्रा, तहसीलदार जे. पी. यादव आदि व दिव्य पथ संस्थान की ओर से सर्वश्री साधन भट्टाचार्य, सुशील सिंह, अंजली अग्रवाल उपस्थित थे। इसमें बाबाजी ने प्रथम सूची, ~~विश्वास बिंदु~~ 'विकल्पात्मक बिंदु-स्वीकृति के लिए' पर विस्तार से चर्चा रखी। मा. कलेक्टर ने इन नौ बिंदुओं को सर्व मानवोपयोगी, संप्रदायनिरपेक्ष व अत्यंत व्यवहारिक बताते हुए सहमति व्यक्त की और पूर्ण सहयोग प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया। बाबाजी ने कार्यसमिति के सदस्यों के साथ तीन दिवसीय शिविर का प्रस्ताव रखा जिसे सभी ने स्वीकृति प्रदान की। इसका स्थान ग्राम कौड़िया निश्चित हुआ। 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' के महत् कार्य को संपन्न करने के लिए ग्राम कौड़िया में दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों के अंशकालिक निवास के लिए आग्रह किया गया, जिसे दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों ने स्वीकृति दी। दिव्य पथ संस्थान के सदस्य श्री अमय पांडे को प्रोजेक्ट आफिसर के रूप में डिंडोरी पदस्थ करने का प्रस्ताव रखा गया जिसके लिए मा. कलेक्टर ने म. प्र. शासन को अनुशंसा करने की जिम्मेदारी स्वीकारी। (सं-17 गोष्ठी कार्यवाही 5.1.6).

इसी क्रम में दिव्यपथ संस्थान के कार्यकर्ताओं ने, ग्राम कौड़िया के निवासीयों और कार्यसमिति के सदस्यों की एक बैठक बुलाने का निश्चय किया। माननीय कलेक्टर महोदय जी को इस आशय का पत्र साधनजी द्वारा भेजा गया (सं-18 11/2/06) जिसमें 13/3/06, प्रातः 11 बजे बैठक की सूचना एवं निमंत्रण प्रस्तुत किया गया।

मा० कलेक्टर श्री अशोक कुमार राय जी के स्थानांतरण के कारण बैठक स्थगित हो गई।

उन्नीस फरवरी 2006, को श्री साधन जी ने मा० कलेक्टर श्री ई. रमेश कुमार जी से ~~ब~~ दूरभाष पर सम्पर्क कर मिलने का समय चाहा गया, जिससे श्रीमान को अवतक कार्य ~~के~~ की सूचना एवं भविष्य की रूपरेखा बताई जा सके। श्रीमान कलेक्टर महोदय जी ने अगले ही दिन अर्थात 20/2/06 दोपहर 1 बजे बैठक नियत की।

20 फरवरी को ~~श्रीमान कलेक्टर महोदय को~~ श्री साधन जी एवं आवेदक ने डिण्डोरी कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य की सूचना की रूपरेखा स्पष्ट की। इसके साथ 'लोकशाला - परिवार मूलक स्वराज्य योजना' का एक प्रति, मानव व्यवहार दर्शन की एक प्रति, एवं एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसपर माननीय कलेक्टर महोदय से अवगाहन के पश्चात, सूचना देने का निर्देश दिया। सं.-19

कार्य

- बागड़िया जी द्वारा लिखे गये को पुनः लिखना एवं संलग्नक की 5 copy बनाना
  → Type कर 5 copy

एक copy, पुराने फाइल को स्थान प्रस्थापित कर देना।

— 4 copy एवं loose paper पढ़ाई नये फाइल में रखना।

सं 18

प्रतिष्ठा में,

मानवीय कलेक्टर महोदय,
जिला - डिण्डौरी (म.प्र.)

सन्दर्भ :- 5.12.05, कलेक्टोरेट सभा कक्ष में हुई बैठक।

विषय-वस्तु :- ग्राम कौड़िया के ग्रामवासियों के साथ 13/3/06, प्रातः 11 से 3 बजे होनेवाली बैठक की सूचना एवं आमंत्रण

महोदय,

सनम्र निवेदन है कि 5.12.05 को हुई बैठक में 3 दिवसीय शिविर का निश्चय हुआ। इस हेतु समय निश्चय करने के लिए 13/3/06, सोमवार, प्रातः 11 से 3 एक बैठक रखा गया है। बैठक ग्राम कौड़िया में होगी।

कार्यसमिति के सभी सदस्य को आमंत्रण हेतु यह पत्र प्रेषित है।

इस पत्र के साथ 5.12.05 को हुई कार्यवाही की एक प्रति, श्रीमान के अवगाहन के लिए संलग्न है।

धन्यवाद

11.02.06
अमर 1028

भवदीय साधन
साधन महापात्र
सदस्य, कार्यसमिति

दिव्य पथ संस्थान

भजनाश्रम नर्मदा मंदिर के सामने अमरकण्टक जिला-अनूपपुर (म०प्र०)

पंजीयन क्रमांक: 10010/मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

क्र. 11/06 / अमरकण्टक/दिनांक: 14.1.06.

प्रति,

उच्च शिक्षा मंत्री महोदय,
म. प्र. शासन भोपाल (म०प्र०)

मान्यवर,

परिवार मूलक ग्राम स्वराज प्रकल्प का मंगलाचरण जिला प्रशासन डिण्डोरी के सहयोग से ग्राम कोड़िया में किया जा चुका है प्रकल्प के सफल संचालन हेतु लगनशील, निष्ठावान, समर्पित एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं की महती आवश्यकता है।

श्री अभय पाण्डे सहायक प्राध्यापक रसायन, शासकीय महाविद्यालय गंज बासौदा जीवन विद्या परिवार से संलग्न कार्यकर्ता हैं। श्री पाण्डे उक्त प्रकल्प में अपनी स्वयं सेवी सेवायें शासकीय दायित्वों के निष्पादन उपरान्त शेष समय में देने लिये इच्छुक हैं।

आग्रह है कि श्री पाण्डे का स्थानान्तरण शासकीय महाविद्यालय गंज बासौदा से शासकीय महाविद्यालय डिण्डोरी में रसायन शास्त्र विषय के रिक्त पद के विरूद्ध करने की असीम कृपा करें। ताकि श्री पाण्डे की सेवायें शासकीय दायित्व निष्पादन के उपरान्त शेष समय में प्रकल्प हेतु सुनिश्चित की जा सके।

श्रेष्ठ नवाचार एवं अभिनव प्रकल्प के लिये आपके उदार सहयोग हेतु हम आभारी होंगे।

"सर्वशुभ" एवं मंगल कामनाओं सहित

(ए. नागराज)
ह. -11.1.2006
(प्रणेता-मध्यस्थ दर्शन)
सह-अस्तित्ववाद, अमरकण्टक

कार्यवाही गोष्ठी

आज दि० 05.01.2006, स्थान- डिंडोरी कलेक्ट्रेट समय 3-5 अपरान्ह

सन्दर्भ - परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था हेतु

यह गोष्ठी पूज्य बाबा श्री ए. नागराज जी संस्थापक - दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक के मार्ग दर्शन में सम्पन्न हुयी। जिसमें कार्य समिति के निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

1 - श्री अशोक कुमार राय कलेक्टर डिंडोरी
2 - " बृजलाल मिश्रा एस.डी.एम "
3 - " जे. पी. यादव तहसीलदार "
4 - " राकेस कुमार नायब तहसीलदार "
5 - " डी. आर. परमार C.E.O बजाग
6 - " जे. एस. दुर्वे RI करंजिया
7 - " सर्वनलाल वर्मन RI

दिव्य पथ संस्थान की ओर से श्री साधन भट्टाचार्य, श्री सुशील सिंह एवं श्री अंजनी अग्रवाल उपस्थित रहे। दोनों ग्राम के सरपंच एवं दिव्य पथ संस्थान से अभय पांडेय उपस्थित नही हो सके।

सर्व प्रथम सभी उपस्थित सदस्यों का परिचय हुआ। तत्पश्चात पूज्य बाबाजी ने प्रथम विश्वास बिन्दु पर चर्चा प्रारम्भ की और विस्तार से पुन: समझाया

माननीय कलेक्टर महोदय ने इन नौ विश्वास बिन्दुओं को सर्व मानवोपयोगी धर्म निरपेक्ष एवं अत्यन्त व्यवहारिक बताते हुये स्नेह पूर्ण सहमति एवं पूर्ण सहयोग प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया।

श्री बृजलाल मिश्रा जी ने भी उक्त चर्चा पर अपनी सहमति जतायी एवं क्रमश: उपस्थित सदस्यों ने अपनी स्वीकृति एवं भागीदारी का आश्वासन दिया।

पूज्य बाबाजी ने कार्य समिति के सदस्यों के साथ तीन दिवसीय शिविर का प्रस्ताव रखा जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की। कलेक्टर महोदय ने शिविर स्थली ग्राम कौडिया सुझाया जिसे कार्य समिति ने स्वीकार किया

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

क्रमश: -

शिविर के समय एवं तिथि निश्चयन की जिम्मेदारी श्री साधन जी को दी गयी जिसे निश्चित कर सूचना ~~प्रेषित~~ समय पर प्रेषित करेंगें।

उपरोक्त महत् कार्य को सम्पन्न करने के लिये ग्राम कौडिया में दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों के अंश कालिक निवास हेतु आवश्यकता पर बल दिया गया जिसे दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों ने सहमति दी। इसधर एस डी एम श्री मिश्रा जी ने आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली। कौडिया निवासी श्री जे. एस धुर्वे ने प्रारम्भिक अवलोकन कर सूचित करने की जिम्मेदारी ली।

दिव्य पथ संस्थान के सदस्य श्री अभय पांडेय को प्रोजेक्ट आफीसर के रूप में डिंडोरी में पदस्थ करने का सुझाव पूज्य बाबाजी ने दिया। माननीय कलेक्टर महोदय ने म. प्र. शासन को अनुसंशा करने की जिम्मेदारी स्वीकारी तथा अभय पांडेय जी से सहमतिपत्र की आवश्यकता बतायी जिसे साधन जी ने प्राप्त करने का दायित्व स्वीकारा।

कार्यवाही 30.12.05

शासकीय कार्य के व्यस्तता के कारण, माननीय कलेक्टर महोदय ने गोष्ठी स्थगित कर आगामी 5 जनवरी 2006 को गोष्ठी की तिथि नियत की। समय 3-5 अपराह्न, डिंडोरी कलेक्टोरेट।
यह सूचना उन्होंने दूरभाष पर साधन भट्टाचार्य को दिया।
जिसे साधन जी ने पूज्य बाबाजी से चर्चा कर कलेक्टर महोदय को सहमति की सूचना दी।

गोष्ठी दिनांक 12/11/05, स्थान - कलेक्टर निवास, डिंडोरी समय 1 से 3 अपराह्न

उपस्थित सदस्य 1. श्री अशोक कुमार राय कलेक्टर
2. श्री अभय पाण्डेय सहा. आयुक्त

परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था क्रम में संवाद
सूचि क्रमांक - एक

अस्तित्वमूलक मानव केन्द्रित चिन्तन के प्रकाश में
विकल्पात्मक बिन्दु :- स्वीकृति के लिए

		चाहिए	नहीं चाहिए
①	संग्रह - सुविधा के विकल्प में समाधान - समृद्धि सम्पन्न होना		
②	स्वयं में विश्वास - परस्परता में विश्वास सहित मानवीयता पूर्ण आचरण पूर्वक जीना	—"—	—"—
③	परिवार व ग्राम में परस्पर सम्बन्ध निर्वाह होना	—"—	—"—
④	सदा - सदा सम्बन्धों में विश्वास निर्वाह होना	—"—	—"—
⑤	समझदारी व श्रम सहित ग्राम व्यवस्था में भागीदारी करना	—"—	—"—
⑥	सभी नर - नारियों के सहमतिपूर्वक ग्राम व्यवस्था में, से, के लिए जिम्मेदार होना	—"—	—"—
⑦	सभी ग्रामवासियों की परस्परता में जाति, पद, धन, के आधार पर 'अपना - पराया' का दीवार मिटाना	—"—	—"—
⑧	सभी ग्रामवासी श्रमशीलता में दृढ़ता बनाए रखते हुए सभी प्रकार के समाधान के लिए समझदारी सम्पन्न होना	—"—	—"—
⑨	समझदारी से समाधान, श्रमपूर्वक समृद्धि होने में विश्वास [भरोसा] होना	—"—	—"—

मेरे समक्ष कार्यसमिति के सभी सदस्य प्रस्ताव को सराहा एवं सहमति स्वीकृत किए।

सर्व शुभ हो !

ह - नागराज
ए. नागराज
प्रणेता - मध्यस्थ दर्शन
[सहअस्तित्ववाद]

उपरोक्त सभी ९ बिन्दुओं पर सहमत हूँ
एवं जन जन को समझाने के लिये
इच्छुक हूँ।

[signature]
5.1.06
कलेक्टर - जिला डिण्डोरी

[signature]
5/1/06
SDM.

सुशील
05.01.2006

साधना 5.01.06

अंजली कुमार

N.T.

CEO Bajag.

R.S. Kaujia

R.S. अजाता
2/9/06

गोष्ठी दिनांक 12/11/05, स्थान - कलेक्टर निवास, डिंडोरी समय 1 से 3 अपराह्न

उपस्थित सदस्य 1. श्री अशोक कुमार राय कलेक्टर
2. श्री अभय पाण्डेय, सहा. व्याख्याता,
3. श्री साधन महापात्र दिव्य पथ संस्थान, सदस्य
4. श्री चन्द्रशेखर सिंह —॥—

परस्पर परिचय के उपरान्त कार्यगोष्ठी के लिए स्थान का चुनाव पर चर्चा हुई माननीय कलेक्टर महोदय ने 30/12/05 को डिंडोरी कलेक्टरेट में बैठक का सुझाव दिया समय 3 से 5 अपराह्न। जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार किया।

कार्य समिति के गठन के मुद्दे पर माननीय कलेक्टर महोदय ने निम्न शासकीय सदस्यों का नाम प्रस्तावित किया।

1. श्री	अशोक कुमार राय	कलेक्टर
2. श्री	बृजलाल मिश्रा	एस. डी. एम.
3. श्री	जे. पी. यादव	तहसीलदार
4. श्री	राकेश कुमार	नायब तहसीलदार
5. श्री	डी. आर. परमार	CEO जजाग
6. श्री	जे. एस. धुर्वे	RI
7. श्री	सर्वनलाल धर्मेन	RI

दिव्यपथ संस्थान की ओर से श्री साधन महापात्र ने निम्न सदस्यों के नाम प्रस्तावित किए।

1. श्री अभय पाण्डेय
2. श्री साधन महापात्र
3. श्री सुशील सिंह

जिसे सभी व्यक्तियों ने स्वीकार किया एवं सहमत हुए।

Date 21/9/05

माननीय कलेक्टर महोदय
डिण्डौरी (म.प्र.)

विषय-वस्तु - परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था' के प्रयोग के लिए कार्यसमिति गठन हेतु संगोष्ठी की तिथि निर्धारण

महोदय; सविनय निवेदन है कि पाटन एवं कौड़िया ग्राम में उपरोक्त कार्यक्रम हेतु कार्य समिति का गठन हेतु एक संगोष्ठी की आवश्यकता है। इस हेतु आपने इस माह पर 21/9/05 बुधवार की तिथि नियत की थी परन्तु आपके कार्यालय से सूचना मिली कि आप शासन के आवश्यक कार्यवश भोपाल गये हैं। अतः संगोष्ठी नहीं होगी।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अगली तिथि नियत कर मुझे सूचित करें। मैं 12 अक्टोबर तक अमरकण्टक में उपलब्ध हूँ। इसके पश्चात 1 माह के प्रवास में रहूँगा।

सधन्यवाद।

भवदीय

ए. नागराज
नर्मदा उद्गम के समीप
अमरकण्टक

अशोक कुमार राय
(आई. ए. एस.)
कलेक्टर
एवं
जिला दण्डाधिकारी
जिला-डिण्डौरी (म.प्र.)

(07644)234174 - दूरभाष (कार्या.)
234175 - (निवास)
07644-234166 - फैक्स
कार्यालय कलेक्टर, जिला-डिण्डौरी
अर्धशासकीय पत्र क्र./
दिनांक

परम् श्रद्धेय,

अत्यंत आदर सहित अभिवादन।

आपका पत्र दिनांक 23.07.2005 प्राप्त हुआ। आपके आशीष अभिसिंचन से मेरे ह्रदय में अपार खुशी हुई है। कृपया पत्र में उल्लेख की गयी कार्ययोजना भेजने का कष्ट करें। आपकी इस सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्ति के सर्वांग विकास की योजना में मुझे पूर्ण सहयोग करके आत्मसंतोष प्राप्त होगा।

आपके द्वारा भेजी गयी दो पुस्तकें "मानव व्यवहार दर्शन" एवं "जीवन विद्या एक परिचय" प्राप्त हो गयी हैं। इनके संक्षिप्त अध्ययन से ही आपके प्रति अपार श्रद्धा व प्रेम की जो अनुभूति हुई है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

मैं यदि आपके चिंतन, दर्शन और व्यक्ति विकास एवं ग्राम सुराज की अवधारणा के संदर्भ में जितना भी सहयोग कर सकूँ, वह बहुत थोड़ा ही होगा।

कृपया अपने स्नेह और आशीर्वाद से अभिसिंचित करते रहें तो आपकी अपार कृपा होगी।

पुन: अत्यंत आदर।

भवदीय

4.8.05

(अशोक कुमार राय)

प्रति,

परम् आद. श्री ए. नागराज शर्मा जी
प्रणेता मध्यस्थ दर्शन (सह-अस्तित्ववाद)
श्री भजनाश्रम, नर्मदा मंदिर के सामने
अमरकण्टक (म.प्र.)

माननीय कलेक्टर महोदय
डिण्डोरी (म.प्र.)

सन्दर्भ :- परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था

महोदय,

सनम्र निवेदन है कि उपरोक्त सन्दर्भानुसार आपके द्वारा नियत समय पर गाड़ासरई विश्रामगृह में आपसे मिलकर प्रसन्नता का अनुभव हुआ। आपने जिस गंभीरता से प्रमाणों को प्रस्तुत किया, उससे हमसब अत्यंत आशान्वित हुए।

ग्राम पाटन के निवासियों को आपने जितना धैर्य बँधाया, वह ऐतिहासिक सूत्र जैसा हमने महसूस किया।

दूसरे ग्राम कौंड़िया, जिसमें मेरे साथ एस.डी.एम. श्री बृजलाल मिश्रा जी उपस्थित थे। उन्होंने ग्रामवासियों उत्साह जगाया वह मुझे और मेरे साथ उपस्थित विद्वानों को वरदान जैसा लगा।

दोनो गाँवों में 3-3 व्यक्ति 'चाहिए/नहीं चाहिए' सूची के अनुसार प्रत्येक परिवार के साथ सर्वेक्षण कर सूची प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध हुए हैं। विश्वास करता हूँ यह आपके पास निश्चित समय पर पहुँच जायेगा। तत्पश्चात मुझे भी सूचित करने की कृपा करेंगे ताकि मैं आगे की कार्ययोजना तय कर सकूँ।

धन्यवाद !

भवदीय
ए. नागराज
ए. नागराज शर्मा
प्रणेता - मध्यस्थ दर्शन
[सह-अस्तित्ववाद]

23/7/05
श्री अमरकंटक
नर्मदा मंदिर के सामने
अमरकंटक (म.प्र.)

प्रतिलिपि - आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय को सूचनार्थ

प्रतिष्ठा में

मानानीय कलेक्टर महोदय

जिला- डिण्डौरी [म.प्र.]

विषय-वस्तु :- 22/7/05 को आपके सान्निध्य में गाड़ासरई की बैठक

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रं/विकास/2005/3167, दिनांक 6 जून 2005

एवं दूरभाष पर हुई वार्ता

महोदय,

भारी वर्षा के कारण 30/6/05 को गाड़ासरई में होने वाली बैठक स्थगित हो गई। आपने नई तिथि 22/7/05 नियत किया है। यह बैठक आपके सान्निध्य में गाड़ासरई में होगी। इसके उपरान्त 'परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था' के लिए अनुकूल ग्राम-कौड़िया और ग्राम पाटन का दौरा निश्चित है।

आपके अपेक्षानुसार मैं प्रातः 9 बजे 22/7/05 गाड़ासरई गेस्ट हाउस पहुँच जाऊँगा।

धन्यवाद!

दिनांक - 4/7/05

भवदीय

ए. नागराज

ए. नागराज शर्मा

प्रणेता - मध्यस्थदर्शन [सह-अस्तित्ववाद]

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय को सूचनार्थ

प्रतिष्ठा में

मानवीय कलेक्टर महोदय.
जिला- डिण्डौरी.
डिण्डौरी (म.प्र)

विषयवस्तु - 30 जून 2005 में आपके सान्निध्य में गाड़ासरई में होने वाली बैठक

सन्दर्भ - आपका पत्र क्रमांक/विकास/2005/3167, दिनांक 6 जून 2005 एवं 14 जून को दूरभाष पर हुई वार्ता,

महोदय,

सनम्र निवेदन है, उपरोक्त पत्र मिलने पर मैंने दूरभाष पर आपसे सम्पर्क किया। आपने 30 जून 2005 को प्रातः 9 बजे, गाड़ासरई में एक बैठक, आपके उपस्थिति में करने का निर्णय लिया। इसके उपरांत 'परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था' के लिए अनुकूल ग्राम कौड़िया एवं ग्राम पाटन का दौरा निश्चित हुआ है।

आपके अपेक्षानुसार मैं प्रातः 9 बजे, 30 जून 2005, गाड़ासरई गेस्ट हाउस पहुँचूँगा। मेरे साथ इस योजना पर कार्य करने के लिए उत्सुक 7 (सात) मेधावी भी रहेंगे।

धन्यवाद!

भवदीय
ए. नागराज

दिनांक - 21.6.05

ए. नागराज शर्मा
प्रणेता - मध्यस्थ दर्शन [सह-अस्तित्ववाद]

प्रतिलिपि: ① आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय को सूचनार्थ

कार्यालय कलेक्टर डिण्डोरी

क्रमांक/विकास/2005/ 3167 डिण्डोरी दिनांक 6 जून 2005

प्रति

आदरणीय श्री नागराज जी महाराज
नर्मदा उद्‌गम परिसर के पास
अमरकंटक जिला अनूपपुर

विषय:- ग्रामों के समग्र विकास योजना अन्तर्गत ग्रामों के चयन संबंधी जानकारी ।

महोदय

विषयांकित में स्मरण होगा कि दिनांक 23.5.2005 को अमरकंटक प्रवास के दौरान हुई चर्चा के अनुरूप मेरे द्वारा अधिनस्थ राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपकी वांछा अनुसार दो ग्रामों के चयन हेतु निर्देशित किया गया था, तद्‌नुसार क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक बजाग के द्वारा ग्राम चयन संबंधी जानकारी दी गयी है, जो मूलतः संलग्न है । जानकारी प्राप्त होने के उपरांत कृपया इन ग्रामों में लागू होने वाली योजनाओं के संबंध में अवगत कराने का कष्ट करें ।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

कलेक्टर
डिण्डोरी

कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग

क्रमाक /क्यूं/रा. नि. /2005 दिनॉक 2/6/2005

प्रति ,

मानतीय श्री कलेक्टर महोदय डिण्डौरी

द्वारा :– श्री मान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) डिण्डौरी

बिषयः– ग्रामो की जानकारी के संबध में

सदर्भ :– दिनॉक 25/5/2005 की राजस्व अधिकारीयों की बैठक की दौरान दिये मौखिक निर्देश के क्रम में

आदरणीय महोदय,

संदर्भित निर्देश के परिपालन में राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग तहसील व जिला डिण्डौरी के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्देशित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निम्न दो ग्राम प्रस्तावित है ।

1. ग्राम कौड़िया प.ह.नं. 82 :– श्री नर्मदा जी (नदी) के किनारे है , 5 टोलो के रूप में बसाहट है , इस ग्राम में क्रंमशः 4 धर के अहीर जाति के,10 धर के पनिका जाति के , 1धर लोहार जाति का है एंव शेष लगभग 200 परिवार / धर गोंड जाति के है। ग्राम की मिट्टी (लगभग) 70 प्रतिशत काली उपजाऊ है , 30 प्रतिशत भूमि बर्रा किश्म की भूमि है । ग्राम में विधुत लाईन एंव कुछ धरो में विधुत कनेक्शन है यह ग्राम गाड़ासरई से डिण्डौरी मार्ग पर खरगहना ग्राम से 6 कि. मी. उत्तर दिशा की ओर नदी के किनारे है , गाड़ासरई से कुल दूरी 18 कि. मी. है । किसी भी वाहन से ग्राम तक सुगमता से पहुॅचा जा सकता है डूब के अन्तर्गत ग्राम नही आता ।ग्राम में 232 छोटे बडें खातेदार है इनमें से कुछ ग्राम के बाहर निवास करते है ।

2. ग्राम पाटन प.ह.नं. 97 :– यह ग्राम भी श्री नर्मदा जी (नदी) से लगा है /किनारे है , 2टोलो केरूप में मुख्य बसाहट है , बसाहट नदी से लगभग एक डेढ़ किलोमीटर दूरी पर है । नदी के किनारे खेती की भूमि है , इस ग्राम में सहीस जाति के 1धर , पनिका जाति के 3 धर , अहीर जाति के 8 – 10 धर शेष लगभग 150 धर/परिवार गोड़ जाति के है । ग्राम की लगभग 70 प्रतिशत मिट्टी काली उपजाऊ है शेष 30 प्रतिशत मिट्टी बर्रा है जिसमें भी खेती होती है । ग्राम में विधुत लाईन एंव कुछ धरो में विधुत कनेक्सन है । यह ग्राम गाडासरई से उत्तर – पूर्व की दिशा में नदी के किनारे है गाड़ासरई से इस ग्राम की दूरी 6 कि.मी. हैं । गाड़ासरई से इस ग्राम में मोटर साईकिल , जीप , ट्रेक्टर , ट्रक ,से पहुचा जा सकता है । गाड़ासरई से ग्राम तक सडक है पर मरम्मत न होने से कुछ जगह उबड़ खाबड़ हो गये है । यह ग्राम डूब के अंतर्गत नही आता है ।ग्राम में 154 छोटे बडे कृषक खाते दार है इनमें से कुछ ग्राम से बाहर निवास करते हैं ।

सादर ।

एस.एल.बर्मन

राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग

पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय,म0प्र0
तुलसीनगर (1250)भोपाल

क्रमांक / पंचा0 / 16 / 2004 / 1791 भोपाल,दिनांक 25 नवम्बर 04

प्रति,

श्री साधन भट्टाचार्य,
दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक,
नर्मदा मंदिर के सामने,नर्मदांचल,अमरकंटक
जिला अनुपपुर मध्यप्रदेश

विषयः— परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।

संदर्भ— माननीय मुख्यमंत्रीजी को संबोधित आपका पत्र दिनांक 30.10.04

---0---

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए । परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संबंध में आपने चर्चा हेतु समय चाहा हैं कृपया दिनांक 2.12.04 से 8.12.04 के मध्य आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय से उनके कार्यालय में समक्ष में आकर पूरे विषय पर चर्चा करें । कृपया आने से पूर्व फोन पर समय तय करने का कष्ट करें । (फोन नम्बर 95755–2556916)

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

उप संचालक,(पंचा0)
वास्ते–आयुक्त,
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,
मध्यप्रदेश

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

मुख्य मंत्री कार्यालय
मध्य प्रदेश

क्र.:903/CMS/OPR/2004 भोपाल, दिनांक: 05/11/2004

प्रति,

श्री साधन भट्टाचार्य,
दिव्य पथ संस्थान, नर्मदा मंदिर
के सामने नर्मदा चल अंमरकंटक
जिला अनुपपुर म.प्र.

विषय :परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था.

उपरोक्त विषयक मान. मुख्यमंत्रीजी को प्रेषित पत्र/टीप दि. 30/10/2004 प्राप्त हुआ. उक्त पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत और ग्रामीण विभाग को आगामी कार्यवाही के लिए इस कार्यालय के जावक क्र. 903/CMS/OPR/2004 दि. 05/11/2004 द्वारा प्रेषित किया गया है.

अवर सचिव
मुख्यमंत्री

दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक

नर्मदा मंदिर के सामने, नर्मदा चक, अमरकंटक
जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.
फोन: 07629-269407.

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
म०प्र० शासन
भोपाल.

संदर्भ: पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग क्रमांक / एफ-16-20/2003/पं-2/22
दिनांक 24.7.03 एवं क्रमांक पंचा-6/2003/2165

विषय: परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था।

मान्यवर,

सह-अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के क्रियान्वयन की सहमति पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री एवं सचिव व आयुक्त पंचायत एवं समाजकल्याण विभाग से अनेक स्तरों पर हुई गोष्ठियों के उपरांत उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमाभारती के अवगाहन में भी इस योजना को लाने के प्रयास किये गये। पंचायत मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर जी से भी विगत 7 अक्टूबर 2004 को श्रद्धेय ए. नागराज अमरकंटक प्रणेता सह-अस्तित्ववाद, मानव केंद्रित मध्यस्थदर्शन की भेंट भोपाल में जीवन विद्या के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के दरम्यान हुई थी। उन्होंने आयुक्त महो. को निर्देशित किया था। माननीय गोविंदाचार्य जी ने भोपाल एवं अमरकंटक में श्रद्धेय बाबाजी से तीन दिन तक दर्शन के एवं योजना के विविध पक्षों पर चर्चा की थी।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसके क्रियान्वयन के लिये एवं तीव्रता के लिये आदेशित करने की विशेष कृपा करेंगे। श्रद्धेय बाबा जी ए. नागराज जी की इस संबंध में आपसे चर्चा करने की भी इच्छा है। आपके समय की प्रतीक्षा रहेगी।

भवदीय

साधन.
(साधन भट्टाचार्य)
दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक.

30/10/04

पंचायत एवं समाज कल्याण,संचालनालय,म0प्र0

क्रमांक / पंचा– 6 / 2003 / 2165 भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रति,

1. कलेक्टर,
 जिला–डिण्डोरी,
 मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
 जिला पंचायत–डिण्डोरी,
 मध्यप्रदेश ।

विषयः–परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।

परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संदर्भ में दिनांक 13.11.2003 को आयोजित बैठक स्थगित की जाती है । बैठक की आगामी तिथि से पृथक से अवगत कराया जावेगा ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

पृ0क्र / पंचा–6 / 2003 / 2166 भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रतिलिपिः–

1. श्री ए.नागराज शर्मा,संस्थापक,दिव्य पथ संस्थान,नर्मदा मंदिर के सामने अमरकंटक,जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री गणेश बागडिया कानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप–संचालक,जिला कार्यालय,पंचायत एवं समाज कल्याण,जिला डिण्डोरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

Comt-1 10-Nov-0340

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय,भोपाल ।

क्रमांक/एफ–16–20/2003/पं.–2/22/ भोपाल,दिनांक 24.7.2003

प्रति,

संस्थापक,
दिव्य पथ संस्थान,
अमरकंटक,जिला–शहडोल,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था ।

संदर्भः–आपका पत्र दिनांक 30.7.2003

विषयान्तर्गत आपके पत्र के संदर्भ में सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था के कियान्वयन की सहमति निम्नानुसार दी जाती है :–

1. आपकी संस्था द्वारा सर्वेक्षण कर कुछ चुनिन्दा 2–3 ग्राम पंचायतों का चयन किया जायेगा जहाँ पर कि परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था को प्रमाणित किया जा सके ।

2. सम्पूर्ण कार्यवाही वर्तमान वैधानिक दायरे में की जावेगी ।

आपके प्रस्ताव अनुसार राज्य शासन ने निम्नानुसार 02 समितियों के गठन का निर्णय भी लिया है :–

सलाहकार समिति :–

1.	सचिव,पंचायत एवं समाज कल्याण	अध्यक्ष
2	आयुक्त,पंचायत एवं समाज कल्याण	सदस्य
3	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य
4	श्री श्याम बोहरे,ग्रामस्वराज संस्थान,पन्ना	सदस्य
5	श्री आमोद खन्ना,ताल संस्था	सदस्य

कार्य समिति :–

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3.	उपसंचालक,पंचायत	सदस्य
4.	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य

कृपया उपरोक्तानुसार समितियो के लिये दिव्य पथ संस्थान के प्रतिनिधियों का नामांकन शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं समाज कल्याण,

S. BATHAM

ग्राम स्वराज
(लोक शक्ति योजना)

सुधार

प्रस्तुतकर्ता

मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

अमरकण्टक

संलग्न : मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना का अध्ययन क्रम

ग्राम स्वराज– लोक शक्ति योजना

परिचय

आज मेधावीयों में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ऐसी लोकशक्ति तैयार हो जो स्वयं अपनी समस्याओं को दूर करें एवं स्वयं ही स्थानीय प्रबंधन कार्य करे । इसके लिये स्थानीय लोगों की समितियां बनायें और उन्हें अधिक अधिकार देने की चर्चा तथा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए गये हैं । पंचायती राज ग्राम स्वराज का सम्पूर्ण कार्यक्रम भी इसी मानसिकता के आधार पर निशचित किया गया है ।

इस बिन्दु पर हमारा निष्कर्ष यह है कि मनुष्य समझदार होकर ही उपरोक्त कार्य को कर पाता है । जब तक मनुष्य समझदार नहीं हो पाता है जब तक समस्या का ही कारक होता है । समझदार मानव भोग, संग्रह, शोषण, विरोध और विद्रोह मानसिकता से मुक्त होकर सम्पूर्ण व्यवहार करने की क्षमता सम्पन्न होता है एवं मानवीय व्यवस्था के सभी आयामों में भागीदारी करता है ।

कार्य और परिणाम :–

1. स्वायत्त परिवार, स्वायत्त समाज, स्वयं स्फुर्त व्यवस्था की परंपरा ।
2. ग्रामीण अंचल में बौद्धिक और भौतिक विपन्नता उन्मूलन ।
3. मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि व व्यवस्था में पिछड़े व्यक्ति के लिये जागृति सहज कार्यक्रम जिससे मौलिक अधिकारों को पहचानकर कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें ।
4. सामाजिक न्याय सुलभता–परस्पर तृप्ति के अर्थ में सार्थक होने का कार्यक्रम– मानव तथा मानवीयता के आधार पर समानता का अनुभव करने के लिये कार्यक्रम ।
5. नशा मुक्ति ।
6. सामान्य रोग (ज्वर, खांसी, सर्दी, पीलीया, अर्जीण आदि) एवं विशेष रोग (दमा, चर्मव्याधि, कुष्ठ रोग, ह्रदय रोग, यकृत रोग, रक्तचाप आदि) निवारण ।
7. अनाथ बच्चों को मानवीय व्यवस्था में जीने योग्य कार्यक्रम ।
8. देह–व्यापार मुक्ति ।
9. नर–नारी में समान मौलिक अधिकार स्थापना एवं नारी उत्पीड़न का उन्मूलन ।
10. कैदी और विचाराधीन बंदी के परिवार को सान्तवना व राहत कार्य ।
11. जनसंख्या नियंत्रण प्रवृत्ति के उदय के लिये कार्यक्रम ।
12. पर्यावरण संतुलन– जल, भूमि, वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण द्वारा ।

उद्देश्य

1. प्रत्येक व्यक्ति में समाधान, सामाजिकता और स्वालम्बन प्रमाणित होना :—

(अ) समाधान का तात्पर्य स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था प्रकृति में व्यवस्था और अस्तित्व में व्यवस्था का बोध (समझ) होना ।

(ब) सामाजिकता का तात्पर्य मानव संबंधों की पहचान, समाज मूल्यों का निर्वाह एवं परस्पर मूल्यांकन पूर्वक उभयतृप्ति प्रमाणित होना ।

(स) स्वालम्बन का तात्पर्य प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उत्पादन और सेवा की मानसिकता एवं व्यावसायिक निपुणता—कुशलता प्रमाणित होना ।

2. प्रत्येक परिवार में समृद्धि प्रमाणित होना । समृद्धि का तात्पर्य परिवार की आवश्यकता से अधिक उपयोगी वस्तुओं को उत्पादन और सेवापूर्वक प्राप्त करना ।

3. समाज में अभय व सह—अस्तित्व प्रमाणित करना ।

(अ) अभय का तात्पर्य स्वास्थ्य—संयम सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा व न्याय (व्यक्ति के सम्मान) की सुरक्षा उपलब्ध होना ।

(ब) सह—अस्तित्व का तात्पर्य संतुलन को बनाए रखना ।

विधि

शिक्षण व प्रशिक्षण पूर्वक पूर्व उल्लेखित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा । सर्वप्रथम मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकण्टक द्वारा शिक्षकों को तैयार किया जाएगा । ऐसे शिक्षक स्थानीय बच्चों का नियमित शिक्षा देगें एवं युवा प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों को "जीवन विद्या" शिविर द्वारा समाधानित, स्वावलम्बी और साक्षर होने के लिये प्रशिक्षण देंगें । सभी शिक्षक समाधानित, सामाजिक, स्वावलम्बी और साक्षर होंगें । ये शिक्षकगण शिक्षण प्रशिक्षण के लिये वेतन नहीं लेंगें।

शिक्षक स्वावलंबी रहकर शिक्षा प्रदान करने के लिये अभिभावक विद्यालय होगा। जिससे स्वावलम्बन के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध होगा । इन्हीं संसाधनों का उपयोग विद्यार्थियों को स्वालम्बन का प्रशिक्षण देने के लिये किया जायेगा । सभी स्थानीय लोग व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य क्षमता सम्पन्न होने पर पांच समितियां बनाई जायेंगी ।

(1) शिक्षा संस्कार समिति – यह समिति सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी का निर्वाह करे ।

(2) न्याय–सुरक्षा समिति – क्षेत्र के सभी लोगों को न्याय सुलभ कराने एवं प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।

(3) स्वास्थ्य संयम समिति : स्थानीय सभी लोगों के स्वास्थ्य संयम की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी।

(4) उत्पादन कार्य समिति :– स्थान विशेष में उत्पादन के अवसर, संभावना तथा तकनीकी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी

(5) विनिमय कोष समिति :– शोषण मुक्त विनिमय एवं भविष्य के लिये आवश्यक वस्तुओं का कोष बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी । इन सभी समितियों के सदस्य समाधानित, सामाजिक स्वावलम्बी एवं अवैतानिक होंगें ।

इन सभी समितियों में तालमेल को सुनिश्चित करने के लिये एक सभा का गठन किया जाएगा जिसमें परिवार के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे ।

अभिभावक विद्यालय

शिक्षक :– प्राथमिक कक्षाओं में प्रत्येक 20 से 30 विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिये एक शिक्षक का प्रावधान होगा।

संसाधन :–

1. प्राथमिक शाला के छः कमरो का विद्यालय भवन।
2. न्युनतम छः शिक्षकों का सपरिवार रहने के लिए आवासीय व्यवस्था।
3. कर्मशाला
4. गोशाला दुधारू गाय बैल सहित।
5. 20–25 एकड कृषि योग्य भूमि ।
6. कृषि के सामान्य यंत्र और उपकरण।
7. जल व विद्युत की सुविधा।
8. गोबर गैस संयंत्र और ऊर्जा, भवन शक्ति यंत्र और उपकरण।

इन संसाधनों का स्वामित्व " अभिभावक विद्यालय" का होगा। यह किसी की निजी सम्पत्ति नही होगी।

विद्यालय स्थापित होने के बाद इसकी सुरक्षा व देखभाल का दायित्व शिक्षा–संस्कार समिति का होगा। स्थानीय प्रत्येक परिवार इस बनाए रखने के लिए एक न्युनतम राशि देकर भागीदारी का निर्वाह करेंगें।

कार्य और योजना

लोक शक्ति योजना पांच चरणों में पूरी होगी।

प्रथम चरण :-

मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकंटक कें शिक्षण और प्रशिक्षण पूर्वक स्थानीय शिक्षकों को तैयार करेगा। प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर समान्यतः 5 शिक्षक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य होगा। प्रथम चरण में ही अभिभावक विद्यालय का निर्माण पूरा होगा।

अनुमति समय :- एक वर्ष

द्वितीय चरण :-

प्रशिक्षित शिक्षक एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकंटक के शिक्षक के साथ मिलकर स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करेंगें।

(अ) शाला में विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 तक) दी जायेगी। प्रथम वर्ष में कक्षा एक प्रारंभ किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष एक-एक कक्षा बढाते हुए 5 वर्षों में कक्षा 5 तक शिक्षण कार्य संम्पन्न होगा।

(ब) शिक्षकगण स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित करेंगें। क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रहेगा।

अनुमति समयः- 3 वर्ष

तृतीय चरण :-

स्थानीय प्रशिक्षित लोक शक्ति, प्रशिक्षत शिक्षक और मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकंटक के शिक्षक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेंगें :-

1. न्याय सुरक्षा समिति
2. स्वास्थ्य संयम समिति

(प्रथम चरण के बाद ही शिक्षकों के रूप में शिक्षा संस्कार समिति कार्यरत् हो पाएगी।)

अनुमति समयः- 1 वर्ष

चतुर्थ चरण :-

पूर्व में निर्धारित तीनों समितियों एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक के शिखक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेंगें।

1. उत्पादन कार्य समिति
2. विनिमय कोष समिति

अनुमति समयः- 1 वर्ष

पंचम चरण :-

पांचों समितियां एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक के शिक्षक मिलकर "स्थानीय सभा" का गठन करेंगें। स्थानीय सभा व पांचों समितियों के सदस्य मिलकर व्यवस्था का सम्पूर्ण कार्य स्वयं स्फुर्त विधि सें करेंगें।

मूल्यांकन

मूल्यांकन पांच बिन्दु पर किए जायेंगे :-

1. शिक्षा संस्कार
2. स्वास्थ्य संयम
3. न्याय सुरक्षा
4. उत्पादन कार्य
5. विनिमय कोष

अभियान शुरू होने के पहले सभी बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त कर लिया जाएगा एवं 1 वर्ष के पश्चात्, 2 वर्ष के पश्चात्, 3 वर्ष के पश्चात्, 4 वर्ष के पश्चात् एवं 5 वर्ष के पश्चात्, मूल्यांकन किया जाएगा ।

01. मानवीय शिक्षा–संस्कार :-

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा ।

1. मानवीय शिक्षा – संस्कार शिक्षण में प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या ।
2. लोगों में साक्षरता व सामान्य जानकारी ।

मूल्यांकन का आधार :-

मानवीय शिक्षा संस्कार में पारंगत व्यक्ति स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था एवं अस्तित्व में व्यवस्था की समझ से सम्पन्न होते हैं एवं ऐसी समझ के अनुसार जीने में प्रमाणित होते हैं ।

02. स्वास्थ्य संयम :-

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :-

1. रोगों के प्रकार व रोगी की संख्या ।
2. स्थानीय चिकित्सा से ठीक हुए रोग व रोगी की संख्या ।
3. बाह्रय चिकित्सा से स्वस्थ हुए रोग व रोगी की संख्या ।
4. चिकित्सा अभाव से पीड़ित व मृत व्यक्तियों की संख्या ।
5. सामान्य चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।

6. विशेष चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।
7. पर्यावरण स्वच्छता ।

03. न्याय सुरक्षा :–

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :–

1. परिवार में सम्बंधों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
2. परिवार में सम्पदा का सदुपयोग करने योग्य व्यक्तियों की संख्या ।
3. परस्पर परिवारों के बीच सम्बन्धों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
4. जुआ एवं परधन में प्रयासरत् लोगों की संख्या ।
5. परनारी/परपुरूष प्रवृत्ति व कार्यों में लिप्त व्यक्तियों की सख्या ।
6. परिवार कलह से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ।
7. ग्राम कलह (जमीन, आवास, सड़क, पानी, पशु नियंत्रण, व घरेलू अशुद्धियों को फेंकने के आधार पर होने वाले विवाद) से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ।
8. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव में सुलझे ।
9. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव के बाहर सुलझ गये ।
10. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो अब तक अनसुलझे हैं ।
11. विपन्न (गरीब) व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।
12. जनसंख्या एवं उसका नियंत्रण (जन्म दर, मृत्यु दर व अन्य स्थानों से आने वाले या अन्य स्थानों में गये व्यक्तियों की संख्या) ।
13. प्राकृतिक संतुलन (जल, वन, भूमि, औषधि व चारागाह का संरक्षण) ।

04. उत्पादन कार्य :–

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :–

1. श्रम नियोजित करने के लिये मानसिकता से सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
2. श्रम नियोजन के लिये कार्यों को पहचाने हुए व्यक्तियों की संख्या ।
3. निश्चित उत्पादन व सेवा की तकनीकी सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
4. उत्पादन में भागीदारी करते हुए व्यक्तियों की संख्या ।

5. परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन व सेवा करते हुए परिवारों की संख्या ।
6. गांव की कुल आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने का मूल्यांकन ।
7. उत्पादन व सेवा से विमुख व्यक्तियों की संख्या ।
8. न चाहते हुए भी मजबूरीवश उत्पादन व सेवा करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।

05. विनिमय कोष :-

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :-

1. श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय करने की प्रवृत्ति सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
2. श्रम मूल्य के आधार पर प्रतीक मूल्यों की पहचान ।
3. लाभ–हानि मुक्त विनिमय प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले लोगों की संख्या ।
4. गांव की आवश्यकता की पूर्ति के लिये अनिवार्य वस्तुओं के कोष का मूल्यांकन ।
5. लाभ–हानि मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों व परिवारों की संख्या ।

शिक्षा स्रोत

सम्पूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण का स्रोत मध्यस्थ–दर्शन (सह–अस्तित्ववाद) रहेगा । इसके प्रणेता श्री ए. नागराज, अमरकण्टक हैं ।

यह दर्शन चार भागों में हैं –

(1) मानव व्यवहार दर्शन (2) मानव कर्म दर्शन (3)मानव अभ्यास दर्शन(4) मानव अनुभव दर्शन के अनुसार सह–अस्तित्ववादी विचार तीन भागों में प्रस्तुत है –

1. समाधानात्मक भौतिकवाद
2. व्यवहारात्मक जनवाद
3. अनुभवात्मक अध्यात्मवाद

दर्शन और विचारों के आधार पर तीन शास्त्र प्रस्तुत है –

1. मानव संचेतनवादी मनोविज्ञान
2. आवर्तनशील अर्थशांस्त्र
3. व्यवहारवादी समाजशास्त्र

दर्शन विचारों व शास्त्रों के आधार पर तीन योजनाएं प्रस्तुत हैं –

1. जीवन विद्या योजना
2. मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना
3. परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना

अध्ययन वस्तु/कक्षा	एक	दो	तीन	चार	पांच
1. मानव संबध	संबंध एवं मूल्यों का सम्बोधन	संबंध एवं मूल्यों की पहचान	संबंधों व मूल्यों का निश्चयन	संबंधों व मूल्यों का निर्वाह	संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह मूल्यांकन व उभयतृप्ति का प्रमाण
2. नैसर्गिक संबंध	इकाईयों का संबोधन	क्रिया–कलाप के रूप में इकाईयों का पहचान	नाम के साथ इकाईयों की उपयोग की पहचान	संतुलन के रूप में उपयोगिता की पहचान	सभी अवस्थाओं में परस्पर पूरकता की पहचान
3. अस्तित्व में सह–अस्तित्व	अस्तित्व का संबोधन	सह–अस्तित्व की पहचान, स्वीकृति	इकाईयों में क्रियाशील एवं सत्ता, क्रियाशून्यता में व्यापकता	इकाईयों की क्रियाशीलता एवं नियंत्रण	इकाईयों मे परस्पर पूरकता, रचना, विरचना व विकास
4. जीवन का स्वरूप	जीवन के बल, शक्तियों का नाम	जीवन शक्तियों (आशा, विचार व इच्छा) की पहचान	चयन, अस्वादन, तुलन विश्लेषण क्रिया की पहचान	चिंतन व चित्रण क्रिया की पहचान	बोध, अनुभव, संकल्प व प्रामणिकता की पहचान एवं सुख
5. शरीर और स्वास्थ्य संयम	शरीर के अंग प्रत्यंगों का सम्बोधन व पहचान	शरीर के अंग प्रत्यंगों की प्रयोजन एवं उनकी स्वच्छता	शरीर के ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेन्द्रियों के क्रियाकलापों की पहचान, जीवन क्रिया से संबंध	शरीर स्वास्थ्य संयम विधि एवं आंतरिक अवयवों की पहचान	जागृति के अर्थ में शरीर के प्रयोग की पहचान
6. खेल एवं कर्माभ्यास	खेल एवं कर्माभ्यासों का नाम	खेलों के स्वरूप की पहचान कर्माभ्यास के स्वरूप की पहचान	खेलों का प्रयोजन, कर्माभ्यास का प्रयोजन	शेल का अभ्यास कर्माभ्यास का प्रशिक्षण प्रयोग विधि प्रयोग विधि	खेल, आसन, व्यायाम, प्रणायाम का अभ्यास प्राथमि उपचार, कर्माभ्यास औषधियों का कर्माभ्यास

प्रति

श्री मनोज झलानी
आयुक्त
पंचायत एवं समाज कल्याण
मध्यप्रदेश शासन
भोपाल

विषय: परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था योजना के तहत कार्ययोजना, प्रस्ताव, प्रगति एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया।

महोदय,

मध्यप्रदेश शासन की मंशा के अनुकूल ग्राम स्वराज व्यवस्था को सफल और प्रमाणित करने की संभावनाओं की पहचान के लिये 25-26 जुलाई, 2007 को भोपाल में आपके द्वारा विचार गोष्ठी एवं बैठक का आयोजन किया गया। गोष्ठी में ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के क्रियान्वयन, सम्भावना एवं उद्देश्य की पूर्ति में आने वाले व्यवधान, समस्या के विभिन्न पक्षों पर चर्चा की गई। साथ ही पंचायत राज व्यवस्था को सफल करने और प्रमाणित करने की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में यह पहचानने का भी प्रयास किया गया कि ग्राम स्वराज को प्रमाणित करने की कार्ययोजना की रूपरेखा क्या होगी तथा उसके क्रियान्वयन के क्या चरण होंगे इस पर भी चर्चा हुई।

गोष्ठी में इस चिंता पर भी चर्चा हुई कि पंचायत राज व्यवस्था और ग्राम स्वराज व्यवस्था के क्रियान्वयन के क्रम में ग्राम पंचायतों एवं ग्राम समाज में बढ़ने वाले बैर-विरोध, अपराध प्रवृत्ति से कैसे

निपटा जाये। ऐसा क्या किया जाये ताकि मानव परस्परता में समाधानपूर्वक और सह-अस्तित्व के साथ जी सके।

इसी प्रकार सरकार ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों को स्वायत्त एवं स्वावलंबी बनाना चाहती है जबकि ग्राम पंचायतें सरकार से पैसे की अपेक्षा रखती हैं इसे ही अपना अधिकार मानती हैं, इस विरोधाभास से कैसे निपटा जाये। चर्चा के उपरांत प्रारम्भिक सहमति यह बनी कि सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के शिक्षण प्रशिक्षण से समस्या का समाधान निकलता है। परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था की समझ सम्पन्नता और कार्य-व्यवहार के स्तर पर कार्य किया जाना चाहिये तभी ग्राम स्वराज सफल और प्रमाणित हो सकेगा।

सह-अस्तित्ववादी दृष्टिकोण का अर्थ है कि मानव परस्परता में जाति, वर्ग, सम्प्रदाय मुक्त विधि से जीने का ज्ञान, विवेक-विज्ञान पूर्ण कार्य-व्यवहार। सह-अस्तित्व वादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवारमूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार से है कि (1) हर गांव में मानवीय शिक्षा का प्रावधान (2) सभी के लिये न्याय-सुरक्षा सुलभ करने का प्रस्ताव (3) उत्पादन-कार्य सर्व सुलभ होने के प्रावधान (4) लाभ-हानि मुक्त विनिमय का प्रावधान (5) स्वास्थ्य-संयम क्रियाकलाप हर परिवार में सुलभ हो।

गोष्ठी में संविधान मानसिकता, शासन मानसिकता और आमजन मानसिकता के साम्य बिन्दु, भिन्न बिंदु पर भी चर्चा हुई। संविधान मानसिकता को समानता और धर्मनिरपेक्षता के रूप में पहचाना गया। राज्य शासन मानसिकता को पंचायत राज व ग्राम स्वराज व्यवस्था को सफल बनाने के अर्थ में पहचाना गया। आमजन

मानसिकता को संग्रह-सुविधा के स्थान पर समाधान-समृद्धि के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता को पहचाना गया। इन तीनों बिन्दुओं में साम्य और मिलन बिन्दु को 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था' में देखा गया है। परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था में शासन की योजना ग्राम स्वराज व्यवस्था की सफलता पूरी होती दिखती है।

'लोक शक्ति योजना' एवं 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज योजना' का मूल एवं विस्तृत प्रस्ताव संलग्न है। इन प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरांत शासन के साथ दो स्तरों पर कार्य करने की आपकी सहमति बनी।

(I) चयनित ग्रामों में : कुछ चयनित ग्राम पंचायतों के स्तर पर ग्राम स्वराज के सभी आयामों (शिक्षा-संस्कार, विनिमय-उत्पादन-कार्य, न्याय-सुरक्षा, स्वास्थ्य-संयम, विनिमय-कोष आदि) पर समझ का लोकव्यापीकरण एवं कार्य-व्यवहार को प्रमाणित करना।

(II) राज्य स्तर पर : राज्य स्तर पर परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था योजना की अवधारणा में ग्राम-सभा के सदस्यों, अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

ग्राम स्तर पर ग्राम स्वराज्य को प्रमाणित करने के लिये क्रियान्वयन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

क्रियान्वयन की विधि एवं चरण

(i) शिक्षण : सर्वप्रथम ग्राम के प्रत्येक तबके की सहमति प्राप्त करना। ग्राम स्वराज व्यवस्था में भागीदारी करने

के लिये हर व्यक्ति में स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, स्वयं के प्रतिभा में विश्वास अर्थात समझदारी में विश्वास, स्वयं के व्यक्तित्व में विश्वास, मानवीयतापूर्ण आहार-विहार-व्यवहार में विश्वास, व्यवहार में सामाजिक होने में विश्वास और प्रमाण का शिक्षण-प्रशिक्षण। उत्पादन कार्य में (व्यवसाय में) परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन में विश्वास को स्थापित करना। इसके लिये शिक्षा प्रदान करना लक्ष्य और आशय रहेगा। इन सभी तथ्यों को पढ़े-लिखे और निरक्षर लोगों को समझाना।

(ii) उत्पादन कार्य के लिये संभावना को पहचानना एवं परिवार का स्वावलंबन होने के लिये पर्याप्तता के आधार पर आंकलन।

(iii) प्रत्येक मनुष्य में परिवार की आवश्यकता को पहचानने की प्रक्रिया का बोध कराना। इसकी सफलता के लिये शिक्षण (लोकशिक्षण) सुनिश्चित करना। जिसका प्रमाण ऊपर इंगित किये गये मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रमाण पर आधारित है।

<u>क्रियान्वयन के पूर्व की प्रक्रिया</u>

सर्वेक्षण विधि से ऐसी ग्राम पंचायतों को चिन्हित करना जहाँ पर परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को लोकव्यापी एवं प्रमाणित करना है।

उपरोक्त दो स्तरों पर कार्य को सम्पन्न करने के क्रम में यह उपयोगी होगा कि परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था योजना के आधार पर काम करने के लिये दो समितियों का गठन किया जाना चाहिये।

(i) सलाहकार समिति (Advisory Commettee)

(ii) कार्य समिति (Working Group).

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

आपकी लिखित सहमति के उपरांत इन समितियों के सदस्यों के नाम सुझाये जा सकेंगे।

जिन दो स्तरों पर कार्य करने की सहमति बनी है उनके क्रियान्वयन का विस्तृत विवरण आगे आपकी सहमति के बाद प्रस्तुत किया जायेगा।

(अ. नागराज)
प्रणेता मध्यस्थ दर्शन
(सह अस्तित्ववाद)
संस्थापक
दिव्य पथ संस्थान
नर्मदा मंदिर के सामने
अमरकंटक, जिला शहडोल
फोन: 07629-269407

संलग्न:-

(i) लोक शक्ति योजना।

(ii) परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था योजना।

परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था क्रम में, संवाद
सूचि क्रमांक - एक

अस्तित्वमूलक मानव केन्द्रित चिन्तन के प्रकाश में
विकल्पात्मक बिन्दु :- स्वीकृति के लिए

(1) संग्रह - सुविधा के विकल्प में समाधान - समृद्धि सम्पन्न होना	चाहिए	नहीं चाहिए
(2) स्वयं में विश्वास - परस्परता में विश्वास सहित मानवीयता पूर्ण आचरण पूर्वक जीना	-"-	-"-
(3) परिवार व ग्राम में परस्पर सम्बन्ध निर्वाह होना	-"-	-"-
(4) सदा-सदा सम्बन्धों में विश्वास निर्वाह होना	-"-	-"-
(5) समझदारी व श्रम सहित ग्राम व्यवस्था में भागीदारी करना	-"-	-"-
(6) सभी नर-नारियों के सहमतिपूर्वक ग्राम व्यवस्था में, से, के लिए जिम्मेदार होना	-"-	-"-
(7) सभी ग्रामवासियों की परस्परता में जाति, पद, धन, के आधार पर 'अपना-पराया' का दीवार मिटाना	-"-	-"-
(8) सभी ग्रामवासी श्रमशीलता में दृढ़ता बनाए रखते हुए सभी प्रकार के समाधान के लिए समझदारी सम्पन्न होना	-"-	-"-
(9) समझदारी से समाधान, श्रमपूर्वक समृद्धि होने में विश्वास [भरोसा] होना	-"-	-"-

सर्व शुभ हो !

ए. नागराज
प्रणेता - मध्यस्थ दर्शन
[सहअस्तित्ववाद]

हेमराज
भोगादास
मानसिंह
प्रेमलाल
सुरेन्दसिंह
वीरसिंह

पंचायत एवं समाज कल्याण आयुक्तालय,म0प्र0

क्रमांक/पंचा-- 6/2003/2165 भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला-डिण्डोरी,
   मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत-डिण्डोरी,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः--परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।

परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संदर्भ में दिनांक 13.11.2003 को आयोजित बैठक स्थगित की जाती है। बैठक की आगामी तिथि से पृथक से अवगत कराया जावेगा ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

पृ0क्र/पंचा-6/2003/2166 भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रतिलिपिः-

1. श्री ए.नागराज शर्मा,संस्थापक,दिव्य पथ संस्थान,नर्मदा मंदिर के सामने अमरकंटक,जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री गणेश बागड़िया कानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उप-संचालक,जिला कार्यालय,पंचायत एवं समाज कल्याण,जिला डिण्डोरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

Comt-1 10-Nov-0340

(... नागराज)
दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक.

मध्यप्रदेश शासन,
पचायत एवं समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय,भोपाल ।

क्रमांक / एफ-16-20 / 2003 / पं.-2 / 22 / भोपाल,दिनांक 24.7.2003

प्रति,

संस्थापक,
दिव्य पथ संस्थान,
अमरकंटक,जिला-शहडोल,
मध्यप्रदेश ।

विषयः-परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था ।

संदर्भः-आपका पत्र दिनांक 30.7.2003

विषयान्तर्गत आपके पत्र के संदर्भ में सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था के क्रियान्वयन की सहमति निम्नानुसार दी जाती है :-

1. आपकी संस्था द्वारा सर्वेक्षण कर कुछ चुनिन्दा 2-3 ग्राम पचायतों का चयन किया जायेगा जहाँ पर कि परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था को प्रमाणित किया जा सके ।

2. सम्पूर्ण कार्यवाही वर्तमान वैधानिक दायरे में की जावेगी ।

आपके प्रस्ताव अनुसार राज्य शासन ने निम्नानुसार 02 समितियो के गठन का निर्णय भी लिया है :-

सलाहकार समिति :-

1.	सचिव,पचायत एवं समाज कल्याण	अध्यक्ष
2	आयुक्त,पचायत एवं समाज कल्याण	सदस्य
3	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य
4	श्री श्याम बोहरे,ग्रामस्वराज संस्थान,पन्ना	सदस्य
5	श्री आमोद खन्ना,ताल संस्था	सदस्य

कार्य समिति :-

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3.	उपसचालक,पंचायत	सदस्य
4.	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य

कृपया उपरोक्तानुसार समितियो के लिये दिव्य पथ संस्थान के प्रतिनिधियों का नामांकन शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पचायत एवं समाज कल्याण,

S. BATHAM

Fax

पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय म०प्र०
तुलसीनगर (1250)भोपाल

क्रमांक / पंचा०6/16/2004/1791 भोपाल दिनांक 25 नवम्बर 04

श्री साधन भट्टाचार्य,
दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक,
नर्मदा मंदिर के सामने,नर्मदांचल,अमरकंटक
जिला अनुपपुर मध्यप्रदेश

विषय -- परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।
संदर्भ-- माननीय मुख्यमंत्रीजी को संबोधित आपका पत्र दिनांक

---0---

उपरोक्त विषय मे सदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए । परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के सबंध मे आपने चर्चा हेतु समय चाहा है कृपया दिनांक 2.12.04 से 8.12.04 के मध्य आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय से उनके कार्यालय में आकर पूरे विषय पर चर्चा करें । कृपया आने से पूर्व फोन पर समय तय करने का कष्ट करें । (फोन नम्बर 95755--2556916)

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

उप संचालक
वास्ते--आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक
मध्यप्रदेश

पंचायत एवं समाज कल्याण,संचालनालय,म0प्र0

क्रमांक / पंचा– 6 / 2003 / 2165 भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला–डिण्डोरी
   मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत–डिण्डोरी,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः–परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।

परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संदर्भ में दिनांक 13.11.2003 को आयोजित बैठक स्थगित की जाती है । बैठक की आगामी तिथि से पृथक से अवगत कराया जावेगा ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

पृ0क्रं / पंचा–6 / 2003 / 2166 भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रतिलिपिः–

1. श्री ए.नागराज शर्मा,संस्थापक,दिव्य पथ संस्थान,नर्मदा मंदिर के सामने अमरकंटक,जिला शहडोल को ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री गणेश बागड़िया कानपुर को ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. उप–संचालक,जिला कार्यालय,पंचायत एवं समाज कल्याण,जिला डिण्डोरी को ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

Conf-1 10-Nov-0340

1- 24.26 जुलाई 2003 पंचायत आयुक्त भोपाल श्री मनोज झालानी के साथ पूज्य बाबाजी एवं सुरेन्द्र पाठक जी की गोष्ठी

2- 24 जु. भोपाल में सलाहकार समिति का गठन एवं कार्य समिति की रूप रेखा

2.A- 10.11.2003 पंचायत विभाग द्वारा कलेक्टर डिंडोरी एवं बाबाजी को पत्र

3- 7.10.2004 पंचायत मंत्री म.प्र. शासन श्री नरेन्द्र तोमर जी से पूज्य बाबा जी की भेंट

4. 30.10.2004 साधन जी द्वारा मा. मुख्यमंत्री म.प्र. शासन को गति प्रदान करने हेतु पत्र

5. 05.11.2004 मुख्यमंत्री कार्यालय से डिंडोरी में कार्य संपादन हेतु प्रमुख सचिव पंचायत विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु पत्र जारी।

6- 25.11.2004 साधन ब्रह्मचारी को पंचायत संचालनालय द्वारा पत्र में 2.12.04 से 8.12.04 के बीच बैठक तय

7- 13.12.2004 आयुक्त पंचायत द्वारा कलेक्टर एवं साधन जी को पत्र

8- 28.12.2004 साधन जी एवं सुशील द्वारा कलेक्टर डिंडोरी से भेंट असफल

9- 15.5.2005 साधन जी की कलेक्टर डिंडोरी की दूरभाष पर वार्ता 23.05.2005 को अमरकंटक में बाबाजी के साथ बैठक तय। तथा बैठक सम्पन्न हुई।

10- 06.06.2005 डिंडोरी कलेक्टर को पूज्य बाबा जी के पत्र

11. 21.06.2005 पू. बाबा जी द्वारा डी एम डिंडोरी को पत्र तथा 30.6.05 में गाडासरई में बैठक तय।

12- 04.07.2005. 30.06.05 की बैठक नहीं हुई जो 22.07.05 को होना तय हुआ तथा सम्पन्न हुई

13. 23.07.2005 बाबाजी द्वारा कलेक्टर को पत्र (बैठक की समीक्षा)

14- 04.08.2005 डीएम डिंडोरी का पत्र सहर्ष अग्रिम सहयोग हेतु संकल्प व्यक्त तथा दूरभाष द्वारा 21.09.05 को बैठक तय

15- 21.09.2005- बैठक स्थगित होने पर बाबाजी द्वारा अग्रिम बैठक हेतु डिंडोरी कलेक्टर को पत्र अभय पांडेय जी एवं साधन जी द्वारा ग्राम पाटन एवं कोडिया का भ्रमण

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

16. 12.11.2005 डिण्डोरी कलेक्टर निवास पर अभय पांडेय जी एवं साधन एवं चन्द्रशेखर जी की वार्ता
30.12.2005 डिण्डोरी में 3-5 अपरान्ह बैठक तय
कलेक्टर डिण्डोरी द्वारा मीटिंग स्थगित तथा
पुनः 5.12.2005 की तिथि तय

17. 5.12.2005 को कलेक्टर सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न
कार्य समिति का गठन एवं तीन दिवसीय शिविर
ग्राम कौडिया में समिति के सदस्यों के गठन
होना तय तथा आवास व्यवस्था का आश्वासन

(18) कलेक्टर श्री अशोक कुमार राय जी का साधन जी पत्र 11/2, जिसमें कौड़िया ग्रामवासियों के साथ 13/3/06, 11 से 3 अपराह्न की बैठक की सूचना एवं कार्य समिति के सदस्यों को आमंत्रण.

(19) कलेक्टर श्री अशोक कुमार राय जी का स्थानांतरण के कारण बैठक स्थगित।

दिव्य पथ संस्थान

भजनाश्रम नर्मदा मंदिर के सामने अमरकण्टक जिला-अनूपपुर (म0प्र0)

पंजीयन क्रमांक: 10010/मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान / अमरकण्टक/दिनांक: 14.1.06.

क्र. 11/06

प्रति,

उच्च शिक्षा मंत्री महोदय,

म. प्र. शासन भोपाल (म0प्र0)

मान्यवर,

परिवार मूलक ग्राम स्वराज प्रकल्प का मंगलाचरण जिला प्रशासन डिण्डौरी के सहयोग से ग्राम कोड़िया में किया जा चुका है प्रकल्प के सफल संचालन हेतु लगनशील, निष्ठावान, समर्पित एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं की महती आवश्यकता है।

श्री अभय पाण्डे सहायक प्राध्यापक रसायन, शासकीय महाविद्यालय गंज बासौदा जीवन विद्या परिवार से संलग्न कार्यकर्ता हैं। श्री पाण्डे उक्त प्रकल्प में अपनी स्वयं सेवी सेवायें शासकीय दायित्वों के निष्पादन उपरान्त शेष समय में देने लिये इच्छुक हैं।

आग्रह है कि श्री पाण्डे का स्थानान्तरण शासकीय महाविद्यालय गंज बासौदा से शासकीय महाविद्यालय डिण्डौरी में रसायन शास्त्र विषय के रिक्त पद के विरुद्ध करने की असीम कृपा करें। ताकि श्री पाण्डे की सेवायें शासकीय दायित्व निष्पादन के उपरान्त शेष समय में प्रकल्प हेतु सुनिश्चित की जा सके।

श्रेष्ठ नवाचार एवं अभिनव प्रकल्प के लिये आपके उदार सहयोग हेतु हम आभारी होंगे।

"सर्वशुभ" एवं मंगल कामनाओं सहित

(ए. नागराज)

[signature]

(प्रणेता-मध्यस्थ दर्शन)

सह-अस्तित्ववाद, अमरकण्टक

माननीय कलेक्टर महोदय
डिण्डोरी (म.प्र.)
सन्दर्भ :- परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था
महोदय,

सनम्र निवेदन है कि उपरोक्त सन्दर्भानुसार आपके द्वारा नियत समय पर गाड़ासरई विश्रामगृह में आपसे मिलकर प्रसन्नता का अनुभव हुआ। आपने जिस गंभीरता से प्रमाणों को प्रस्तुत किया, उससे हमसब अत्यंत आशान्वित हुए।

ग्राम पाटन के निवासियों को आपने जितना धैर्य बँधाया, वह ऐतिहासिक सूत्र जैसा हमने महसूस किया।

दूसरे ग्राम कोंड़िया, जिसमें मेरे साथ एस.डी.एम. श्री बृजलाल मिश्रा जी उपस्थित थे। उन्होंने ग्रामवासियों उत्साह जगाया वह मुझे और मेरे साथ उपस्थित विद्वानों को वरदान जैसा लगा।

दोनो गाँवों में 3-3 व्यक्ति 'चाहिए / नहीं चाहिए' सूची के अनुसार प्रत्येक परिवार के साथ सर्वेक्षण कर सूची प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध हुए हैं। विश्वास करता हूँ यह आपके पास निश्चित समय पर पहुँच जायेगा। तत्पश्चात मुझे भी सूचित करने की कृपा करेंगे ताकि मैं आगे की कार्ययोजना तय कर सकूँ।

धन्यवाद!

भवदीय
ए. नागराज
ए. नागराज शर्मा
प्रणेता - मध्यस्थ दर्शन
[सह-अस्तित्ववाद]

23/7/05
श्री भजनाश्रम
नर्मदा मंदिर के सामने
अमरकंटक (म.प्र.)

प्रतिलिपी - आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय को सूचनार्थ

प्रतिष्ठा में

मानननीय कलेक्टर महोदय

जिला- डिण्डौरी [म.प्र.]

विषय-वस्तु:- 22/7/05 को आपके सान्निध्य में गाड़ासरई की बैठक

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रं/विकास/2005/3167, दिनांक 6 जून 2005 एवं दूरभाष पर हुई वार्ता

महोदय,

भारी वर्षा के कारण 30/6/05 को गाड़ासरई में होने वाली बैठक स्थगित हो गई। आपने नई तिथि 22/7/05 नियत किया है। यह बैठक आपके सान्निध्य में गाड़ासरई में होगी। इसके उपरान्त 'परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था' के लिए अनुकूल ग्राम-कौड़िया और ग्राम पाटनका दौरा निश्चित है।

आपके अपेक्षानुसार मैं प्रातः 9 बजे 22/7/05 गाड़ासरई रेस्ट हाउस पहुँच जाऊँगा।

धन्यवाद!

दिनांक - 4/7/05

भवदीय

ए.-नागराज

ए. नागराज शर्मा

प्रणेता - मध्यस्थदर्शन [सह-अस्तित्ववाद]

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय को सूचनार्थ

प्रतिष्ठा में

माननीय कलेक्टर महोदय.

जिला- डिण्डौरी.

डिण्डौरी (म.प्र)

विषय-वस्तु - 30 जून 2005 में आपके सान्निध्य में गाड़ासरई में होने वाली बैठक

सन्दर्भ- आपका पत्र क्रमांक/विकास/2005/3167. दिनांक 6 जून 2005 एवं 14 जून को दूरभाष पर हुई वार्ता,

महोदय,

सनम्र निवेदन है, उपरोक्त पत्र मिलने पर मैंने दूरभाष पर आपसे सम्पर्क किया। आपने 30 जून 2005 को प्रातः 9 बजे, गाड़ासरई में एक बैठक, आपके उपस्थिति में करने का निर्णय लिया। इसके उपरांत 'परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था' के लिए अनुकूल ग्राम कौड़िया एवं ग्राम पाटन का दौरा निश्चित हुआ है।

आपके अपेक्षानुसार मैं प्रातः 9 बजे, 30 जून 2005, गाड़ासरई गेस्ट हाउस पहुँचूँगा। मेरे साथ इस योजना पर कार्य करने के लिए उत्सुक 7 (सात) मेधावी भी रहेंगे।

धन्यवाद !

भवदीय

ए. नागराज [signature]

दिनांक - 21.6.05

ए. नागराज शर्मा

प्रणेता - मध्यस्थ दर्शन [सह-अस्तित्ववाद]

प्रतिलिपि : ① आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय को सूचनार्थ

Date 21/9/05

माननीय कलेक्टर महोदय
डिण्डोरी (म.प्र.)

विषय-वस्तु - परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था" के प्रयोग के लिए कार्यसमिति गठन हेतु संगोष्ठी की तिथि निर्धारण

महोदय; सानुनिवेदन है कि पाटन एवं कौड़िया ग्राम में उपरोक्त कार्यक्रम हेतु कार्य समिति का गठन हेतु एक संगोष्ठी की आवश्यकता है। इस हेतु आपने इस माह पर 21/9/05 बुधवार की तिथि नियत की थी परन्तु आपके कार्यालय से सूचना मिली कि आप शासन के आवश्यक कार्यवश भोपाल गये हैं। अतः संगोष्ठी नहीं होगी।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अगली तिथि नियत कर मुझे सूचित करें। मैं 12 अक्टूबर तक अमरकंटक में उपलब्ध हूँ। इसके पश्चात 1 माह के प्रवास में रहूँगा।

सधन्यवाद।

भवदीय

ए. नागराज
नर्मदा उद्गम के समीप
अमरकंटक

अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के आधार पर
परिवार मूलक ग्राम-मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था के संदर्भ में

प्रथम संवाद सूचि

(स्वीकृति के लिए विकल्पात्मक बिंदु)

1.	संग्रह-सुविधा के विकल्प में समाधान-समृद्धि संपन्न होना	चाहिये	नहीं चाहिये
2.	स्वयं में विश्वास, परस्परता में विश्वास सहित मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक जीना	चाहिये	नहीं चाहिये
3.	परिवार व ग्राम में परस्पर संबंध निर्वाह होना	चाहिये	नहीं चाहिये
4.	सदा-सदा संबंधों में विश्वास निर्वाह होना	चाहिये	नहीं चाहिये
5.	समझदारी व श्रम सहित ग्राम व्यवस्था में भागीदारी करना	चाहिये	नहीं चाहिये
6.	सभी नर-नारियों के सहमति पूर्वक ग्राम व्यवस्था में, से, के लिए जिम्मेदार होना	चाहिये	नहीं चाहिये
7.	सभी ग्राम वासियों की परस्परता में जाति, पद, धन के आधार पर अपना-पराया का दीवार मिटाना	चाहिये	नहीं चाहिये
8.	सभी ग्रामवासी श्रमशीलता में दृढ़ता बनाए रखते हुए सभी प्रकार के समाधान के लिए समझदारी संपन्न होना	चाहिये	नहीं चाहिये
9.	समझदारी से समाधान, श्रमपूर्वक समृद्धि होने में विश्वास (भरोसा) होना	चाहिये	नहीं चाहिये

अस्तित्वमूलक मानव केन्द्रित चिंतन के आधार पर
ग्राम-मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था स्थापित होने के संदर्भ में
द्वितीय ~~सूचि~~ संवाद सूचि
(विश्वास बिंदु)

1. हर परिवार समझदारी सहित समाधान-समृद्धि पूर्वक जीने में विश्वास	है	नही है
2. मानवीयतापूर्ण आचरण सहित जीने देने व जीने में विश्वास	है	नही है
3. परिवार में, पूरा ग्राम में संबंध को निर्वाह करने में विश्वास	है	नहीं है
4. ग्राम मे जितने भी परिवार हैं, उनके साथ जीने में विश्वास	है	नहीं है
5. परिवार में समाधान-समृद्धि पूर्वक जीने और ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी करने में विश्वास	है	नहीं है
6. हर परिवार में, हर नर-नारी में से एक सदस्य ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी करने में विश्वास	है	नहीं है
7. ग्राम में हर परिवार, हर परिवार में हर सदस्य मानव व मानवीयता के आधार पर पहचानने व निर्वाह करने में विश्वास	है	नहीं है
8. पूरे ग्रामवासियों में समझदारी-श्रमशीलता सहित समाधान-समृद्धि सहज प्रमाण प्रस्तुत करने में विश्वास	है	नहीं है
9. ग्राम के सभी परिवारों में हर नर-नारी समझदारी पूर्वक ही समाधान, श्रम पूर्वक ही समृद्धि संपन्न होने में विश्वास	है	नहीं है

अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के आधार पर
परिवार मूलक ग्राम-मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था के संदर्भ में
तृतीय संवाद सूचि
(सत्यापन बिंदु)

1 1. हम परिवार समाधान-समृद्धि पूर्वक जीने का सत्यापन

2 2. हम स्वयं में विश्वास करने, श्रेष्ठता का सम्मान करने, प्रतिभा व व्यक्तित्व में संतुलन सहज प्रमाण प्रस्तुत करने, व्यवहार में सामाजिकता व उत्पादन में स्वावलंबन प्रमाणित करने का सत्यापन

3. हर परिवार में सभी संबंधों व मूल्यों का निर्वाह करने और परिवार सभा, परिवार समूह सभा, ग्राम परिवार सभा में भागीदारी करने का सत्यापन

3 4. परिवार संबंधों में मानवीयता सहित मानव संस्कृति-सभ्यता सहज निर्वाह करने का सत्यापन

5. परिवारों और सभाओं में विधि-व्यवस्था में निर्वाह रूप में भागीदारी करने का सत्यापन

6. मानवीय शिक्षा-संस्कार, न्याय-सुरक्षा सुलभ होने में भागीदारी करने का सत्यापन

7. उत्पादन कार्य, विनिमय कोष कार्य सहज सुलभ होने में भागीदारी करने का सत्यापन

8. स्वास्थ्य संयम कार्य सहज सुलभ होने में भागीदारी करने का सत्यापन

9. हर परिवार में समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि संपन्न होने का सत्यापन

अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के आधार पर
परिवार मूलक ग्राम मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था स्थापित होने के संदर्भ में

चतुर्थ सूचि
(संकल्प बिन्दु)

. हम परिवार में समाधान - समृद्धि पूर्वक न्याय- व्यवस्था में जीने का संकल्प

. समाधान- समृद्धि सहित जीता हुआ दश परिवार से निर्वाचित दस सदस्यीय संकल्प
परिवार समूह सभा में न्याय पूर्वक जीते हुए, उत्पादित वस्तुओं का उपयोगिता मूल्य
के आधार पर मूल्यांकन विनिमय सहित, मानवीयतापूर्ण आचरण- व्यवहार करने का

3. दश परिवार समूह सभा में से निर्वाचित दश सदस्यीय ग्राम सभा में आमी व्यवस्था संकल्प
सहज विधि से जीने का

अस्तित्व मूलक मानव केन्द्रित चिंतन के आधार पर परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था स्थापित होने के संदर्भ में

द्वितीय संवाद सूची

(विश्वास बिंदु)

1- हर परिवार समझदारी सहित समाधान-समृद्धि पूर्वक जीने में विश्वास	है	नहीं है
2- मानवीयता पूर्ण आचरण सहित जीने देने व जीने में विश्वास	है	नहीं है
3- परिवार में, पूरा ग्राम में संबंध का निर्वाह करने में विश्वास	है	नहीं है
4- ग्राम में जितने भी परिवार हैं उनके साथ जीने में विश्वास	है	नहीं है
5- परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीने और ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी में विश्वास	है	नहीं है
6- हर परिवार में, नर-नारी में से एक सदस्य ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी में विश्वास	है	नहीं है
7- ग्राम में हर परिवार, परिवार में प्रत्येक सदस्य मानव व मानवीयता के आधार पर पहचानने व निर्वाह करने में विश्वास	है	नहीं है
8- पूरे ग्रामवासियों में समझदारी-श्रमशीलता सहित समाधान समृद्धि सहज प्रमाण प्रस्तुत करने में विश्वास	है	नहीं है
9. ग्राम के सभी परिवारों में हर नर-नारी समझदारी पूर्वक ही समाधान, श्रम पूर्वक ही समृद्धि सम्पन्न होने में विश्वास	है	नहीं है

परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था क्रम में संवाद

सूचि क्रमांक - एक

अस्तित्वमूलक मानव केन्द्रित चिन्तन के प्रकाश में

विकल्पात्मक बिन्दु :- स्वीकृति के लिए

		चाहिए -	नहीं चाहिए
①	संग्रह - सुविधा के विकल्प में समाधान - समृद्धि सम्पन्न होना		
②	स्वयं में विश्वास - परस्परता में विश्वास सहित मानवीयता पूर्ण आचरण पूर्वक जीना	—"—	—"—
③	परिवार व ग्राम में परस्पर सम्बन्ध निर्वाह होना	—"—	—"—
④	सदा - सदा सम्बन्धों में विश्वास निर्वाह होना	—"—	—"—
⑤	समझदारी व श्रम सहित ग्राम व्यवस्था में भागीदारी करना	—"—	—"—
⑥	सभी नर - नारियों के सहमतिपूर्वक ग्राम व्यवस्था में, से, के लिए जिम्मेदार होना	—"—	—"—
⑦	सभी ग्रामवासियों की परस्परता में जाति, पद, धन, के आधार पर 'अपना - पराया' का दीवार मिटाना	—"—	—"—
⑧	सभी ग्रामवासी श्रमशीलता में दृढ़ता बनाए रखते हुए सभी प्रकार के समाधान के लिए समझदारी सम्पन्न होना	—"—	—"—
⑨	समझदारी से समाधान, श्रमपूर्वक समृद्धि होने में विश्वास [भरोसा] होना	—"—	—"—

सर्व शुभ हो !

ए. नागराज
प्रणेता - मध्यस्थ दर्शन
[सहअस्तित्ववाद]

ग्राम अनुकूलता

1- ग्राम में निवास करने वाले व्यक्ति सीमित एवं निश्चित हैं।

2- सभी ग्राम वासी एक दूसरे को पहचानते हैं।

3- सभी ग्रामवासी एक दूसरे से सम्बन्धों को सम्बोधित करते हैं तथा सम्बन्धों को पहचान सकते हैं।

4- बाहरी परिवेश का प्रभाव व दबाव कम है।

5- कार्य एवं व्यवहार (पानी, बिजली, व्यवसाय के कार्य) में स्वतंत्रता ज्यादा है।

6- आवास के लिये स्थान, शुद्ध वायु, स्वच्छ परिवेश (प्रदूषण रहित) संभावित है।

7- आहार उत्पादन के लिये अनुकूलता है।

8- उत्पादन के लिये अवसर व संसाधन स्वाधीन है।

9- स्वास्थ्य के लिये अनुकूलता है।

10- बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने की संभावना है।

11- ग्राम व्यवस्था को स्वयंस्फूर्त विधि से संचालित कर सकते हैं।

12- ईंधन एवं ऊर्जा संतुलन की संभावना है।

13- ग्राम स्वायत्त एवं समृद्ध होने की संभावना है।

14- प्रत्येक परिवार स्वायत्त एवं समृद्ध होने की संभावना है।

परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था
(मध्यस्थ दर्शन सह–अस्तित्ववाद पर आधारित प्रेणता व लेखक ए0नागराज, संस्थापक दिव्य पथ संस्थान)

ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को देश में और मध्यप्रदेश में एक आवश्यकता के रूप में स्वीकारा गया है। इसकी अवधारणा योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन, फल परिणाम व मूल्यांकन को लेकर अनेक विचार–गोष्ठी, प्रस्ताव व प्रयास किये गये। परंतु इनमें संविधान, राज्य सरकार और जनमानस की अपेक्षाओं की एकसूत्रता का व पूरा होने की संभावना का अभाव बना रहना दिखता है।

मध्यस्थ दर्शन 'सह–अस्तित्ववाद' के आधार पर 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' की अवधारणा में उपरोक्त तीनो अपेक्षाओं की एकसूत्रता व उनका पूरा होना की संभावना स्पष्ट हेाती है।

इसी को केन्द्र में रखकर 24 से 26 जुलाई 2003 के दौरान आयुक्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, म0प्र0, श्री मनोज झालानी द्वारा श्रद्धेय ए0नागराज (प्रणेता मध्यस्थ दर्शन) उनके सहयोगी व पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक व विचार–गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस गोष्ठी में सविधान मानसिकता, शासन मानसिकता व आमजन मानसिकता के साम्य बिन्दु, मिलन बिन्दु पर चर्चा हुई। संविधान मानसिकता को समानता एवं सम्प्रदायनिरपेक्षता के रूप में पहचाना गया। राज्य शासन मानसिकता को पंचायत राज्य व ग्राम स्वराज्य को सफल बनाने के अर्थ में पहचाना गया। आम जनमानसिकता को संग्रह–सुविधा के स्थान पर समाधान, समृद्धि के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता को पहचाना गया। इन तीनों मानसिकता के साम्य व मिलन बिन्दु को सह–अस्तित्ववादी 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यस्था' में देखा गया। 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' में इन तीनों मानसिकता की अपेक्षाएं पूरी हो सकती है, ऐसा स्पष्ट हुआ। इसी क्रम में 'लोक शक्ति योजना' व 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य योजना' का मूल व विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया (संलग्नक–1)।

'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य' योजना के क्रियान्वयन के क्रम में सलाहकार समिति का गठन किया गया एवं कार्य समिति की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें दिव्य पथ संस्थान के दो–दो प्रतिनिधि होने का प्राविधान रखा गया (संलग्नक–2)। इस आशय का पत्र आयुक्त पंचायत व जन कल्याण द्वारा श्रद्धेय ए0नागराज को दिनांक–24–07–2003 को भेजा गया।

परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को दो स्तरों पर लागू करने की सहमति बनी थी – 1. चयनित ग्रामों में

1. चयनित ग्रामों में–कुछ चयनित ग्रामों में ग्राम स्वराज्य के सभी आयामों (शिक्षा संस्कार,

न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष स्वास्थ्य संयम) पर समझ का लोक व्यापीकरण एवं कार्य कार्य–व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करना।

2. राज्य स्तर पर–राज्य स्तर पर 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' योजना की अवधारणा व योजना कार्यक्रम में ग्राम सभा के सदस्यों अन्य संबंधित व्यक्तियों व अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

चयनित ग्रामों में कार्यक्रम प्रारंभ करने की दृष्टि से डिंडोरी जिला जो अमरकंटक के निकट है, को प्रस्तावित किया गया। इस आशय से मा0आयुक्त द्वारा 13–11–2003 को एक बैठक निश्चित की गई जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित करनी पड़ी, (संलग्नक–3 आयुक्त का पत्र दिनांक–10–11–203)।

स्वराज्य व्यवस्था की आवश्यकता और क्रियान्वयन के संदर्भ में 1 अक्टूबर 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय उमा भारती व 07 अक्टूबर 2004 को पंचायत मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी से चर्चा हुई और दोनों ने इसकी सहमति व स्वीकृति श्रद्धेय ए0नागराज जी के सामने रखी। 30 अक्टूबर 2004 को (संलग्नक–4) साधन भट्टाचार्य ने क्रियान्वयन कार्य को गति देने की अपेक्षा से तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग को आगामी कार्यवाही के लिये पत्र लिखा (संलग्नक–5)।

आयुक्त पंचायत राज ने अपने पत्र दिनांक–25 नवम्बर 2004 (संलग्नक–6) द्वारा साधन जी को 2 से 8 दिसम्बर 2004 के बीच चर्चा के लिये आमंत्रित किया। आयुक्त ने कलेक्टर, डिंडोरी को भी इस आशय का पत्र लिखकर सूचित किया कि डिंडोरी जिला में कुछ गांवों को चयनित कर 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य योजना' के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें (पत्र दिनांक–13–12–04 संलग्नक–7)। इस संदर्भ में 28–12–04 को कलेक्टर, डिंडोरी के साथ निर्धारित (साधन जी व सुशील जी की) बैठक हो नही पायी।

डिंडोरी जिला में ग्रामों के चयन के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी बजाग तहसील ने कौड़िया व पाटन ग्राम को प्रस्तावित करते हुये 02–06–05 को कलेक्टर डिंडोरी को पत्र लिखा (संलग्नक–8)। ये गांव नर्मदा के किनारे बसे है और गाडासरई ब्लाक में आते है। यह कार्यवाही, कलेक्टर डिंडोरी श्री ए0के0 राय की अमरकंटक में श्रद्धेय ए0नागराजी जी के साथ हुई भेंट व चर्चा के फलस्वरूप हुई (दिनांक–23–05–05 संलग्नक–9 पत्र दिनांक–06–06–05)। अतः उक्त जानकारी को कलेक्टर द्वारा श्रद्धेय नागराज जी को उपलब्ध कराया गया (संलग्नक–9)।

इसी क्रम में गाड़ासरई में कलेक्टर द्वारा 30–06–05 को एक बैठक तय की गई जो स्थगित होकर 22 जुलाई 05 को संपन्न हुई जिसमें श्रद्धेय बाबाजी के कलेक्टर ए0के0 राय, एस0डी0एम0 श्री बृजलाल मिश्रा आदि उपस्थित थे। ग्राम कौड़िया व पाटन के जनसंपर्क के दौरान कलेक्टर व एस0डी0एम0 ने जिस उत्साह वर्धन व धैर्य बंधाने का परिचय दिया वह प्रशंसनीय था। ग्रामवासियों ने भी 'परिवार मूलक स्वराज्य व्यस्था' में भागीदारी के

लिये उत्साह दिखाया। दोनों ग्रामों में 3–3 व्यक्ति ने प्रस्तावित सूची (प्रथम सूची चाहिये / नही चाहिये) के आधार पर प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी स्वीकारी।

सर्वेक्षण के लिये 4 संवाद सूची बनायी गई है (संलग्नक–10 से 13)।

प्रथम सूची–'स्वीकृति के लिये विकल्पात्मक बिन्दु' में सामान्य ग्रामवासियों को क्या स्वीकृत होता है, इसे तय करने के 9 बिन्दु प्रस्तुत किये गये, जिनसे सामान्य रूप से जन आकांक्षा की स्पष्टता होती है।

द्वितीय सूची–'विश्वास बिन्दु' में यह निश्चय करने की कोशिश की गई है कि क्या इन अपेक्षाओं को पूरा करने में हमें स्वयं में विश्वास है या नहीं (उपरोक्त–9 बिन्दुओं पर); अगर विश्वास नही है तो इससे 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' के आधारभूत सह–अस्तित्ववादी विचार के अध्ययन के आधार पर हर व्यक्ति में उपरोक्त 9 बिन्दुओं पर स्वयं में विश्वास बनने की संभावना समीचीन है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट होता है कि 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' के लिये शहरों की तुलना में ग्रामों में अनुकूलता अधिक है (संलग्नक–14 ग्राम अनुकूलता)।

तृतीय सूची–'सत्यापन सूची' में अध्ययन के आधार पर स्वयं में समाधान परिवार में समाधान, समृद्धि पूर्वक जीने का सत्यापन ग्राम–स्वराज्य व्यवस्था के पांचों आयामों में भागीदारी का सत्यापन (9 बिन्दू)।

चतुर्थ सूची–'संकल्प बिन्दू'–परिवार में समाधान, समृद्धि पूर्वक जीते हुये परिवार समूह सभा व ग्राम सभा में भागीदारी का संकल्प।

कलेक्टर डिंडोरी ने 'मध्यस्थ दर्शन' के प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर इसकी महत्ता व संभावना को स्वीकारते हुये इस पर आधारित ग्राम स्वराज्य योजना में हर संभव सहयोग करने का उत्साह व संकल्प व्यक्त किया (संलग्नक–15 पत्र दिनांक–04–08–05)।

इसी क्रम में 12 नवम्बर 05 को कलेक्टर निवास डिंडोरी में अगली बैठक संपन्न हुई। जिसमें साधन भट्टाचार्य, अभय पाण्डे, चन्द्रशेखरू, कलेक्टर डिंडोरी आदि उपस्थित थे। इसमे कार्य समिति का गठन किया गया। जिसमें दिव्य पथ संस्थान की ओर से श्री अभय पांडे, साधन भट्टाचार्य, सुशील सिंह का नाम रखा गया (संलग्नक–16)।

अगली बैठक 05 जनवरी 2006 को श्रद्धेय बाबा नागराज जी के मार्गदर्शन में डिंडोरी कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। जिसमें कलेक्टर श्री ए0के0राय, एस0डी0एम0 बृजलाल मिश्रा, तहसीलदार जे0पी0 यादव आदि व दिव्य पथ संस्थान की ओर से सर्वश्री साधन भट्टाचार्य, सुशील सिंह, अंजनी अग्रवाल उपस्थित थे। इसमें बाबाजी ने प्रथम सूची, विकल्पात्मक बिन्दु स्वीकृति के लिये पर विस्तार से चर्चा रखी। माननीय कलेक्टर ने इन नौ बिन्दुओ को सर्व मानवोपयोगी, सम्प्रदायनिरपेक्ष व अत्यन्त व्यवहारिक बताते हुये सहमति व्यक्त की और पूर्ण सहयोग प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया। बाबाजी ने कार्यसमिति के सदस्यों के साथ तीन दिवसीय शिविर का प्रस्ताव रखा जिसे सभी ने स्वीकृति प्रदान की। इसका स्थान ग्राम कौड़िया निश्चित हुआ। 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' के महत् कार्य को संपन्न करने के लिये ग्राम कौड़िया में दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों के अंशकालिक

निवास के लिये आग्रह किया गया, जिसे दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों ने स्वीकृति दी। दिव्य पथ संस्थान के सदस्य श्री अभय पाण्डे को प्रोजेक्ट आफिसर के रूप में डिडोरी पदस्थ करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिये माननीय कलेक्टर ने म0प0 शासन को अनुशंसा करने की जिम्मेदारी स्वीकारी (संलग्नक–17 गोष्ठी कार्यवाही 5–1–6)।

इस क्रम में दिव्वयपथ संस्थान के कार्यकर्ताओं ने ग्राम कौड़िया के निवासीयों और कार्यसमिति के सदस्यों की एक बैठक बुलाने का निश्चय किया। माननीय कलेक्टर महोदय को इस आशय का पत्र साधन जी द्वारा भेजा गया (11/2 का पत्र संलग्नक–18)। जिससे 13–03–06 प्रातः 11 से 3 बजे बैठक की सूचना एंव निमंत्रण प्रस्तुत किया गया।

माननीय कलेक्टर श्री अशोक कुमार राय जी के स्थानांतरण के कारण बैठक स्थगित हो गई।

उन्नीस फरवरी 2006 को श्री साधन जी ने माननीय कलेक्टर श्री ई0रमेश कुमार जी से दूरभाष पर संपर्क कर मिलने का समय चाहा गया, जिससे श्रीमान को अब तक कार्य की सूचना एवं भविष्य की रूपरेखा बताई जा सके। श्रीमान कलेक्टर महोदय ने अगले ही दिन 20/02/06 दोहपर 1 बजे बैठक नियत की।

20 फरवरी को श्री साधन जी ने डिंडौरी कलेक्टर कार्यालय में उपस्थिति होकर कार्य की सूचना एंव भविष्य की रूपरेखा स्पष्ट की। इससे साथ लोकशक्ति परिवार मूलक स्वराज्य योजना का एक प्रति मानव व्यवहार दर्शन को एक प्रति, एवं एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर माननीय कलेक्टर महोदय से अवगायहन के पश्चात, सूचना देने का निर्देश दिया (संलग्नक–19)।

ग्राम स्वराज
(लोक शक्ति योजना)

प्रस्तुतकर्ता
मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान
अमरकण्टक

संलग्न : मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना का
अध्ययन क्रम

ग्राम स्वराज– लोक शक्ति योजना

परिचय

आज मेधावीयों में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ऐसी लोकशक्ति तैयार हो जो स्वयं अपनी समस्याओं को दूर करें एवं स्वयं ही स्थानीय प्रबंधन कार्य करे । इसके लिये स्थानीय लोगों की समितियां बनायें और उन्हें अधिक अधिकार देने की चर्चा तथा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए गये हैं । पंचायती राज ग्राम स्वराज का सम्पूर्ण कार्यक्रम भी इसी मानसिकता के आधार पर निश्चित किया गया है ।

इस बिन्दु पर हमारा निष्कर्ष यह है कि मनुष्य समझदार होकर ही उपरोक्त कार्य को कर पाता है । जब तक मनुष्य समझदार नही हो पाता है जब तक समस्या का ही कारक होता है । समझदार मानव भोग, संग्रह, शोषण, विरोध और विद्रोह मानसिकता से मुक्त होकर सम्पूर्ण व्यवहार करने की क्षमता सम्पन्न होता है एवं मानवीय व्यवस्था के सभी आयामों में भागीदारी करता है ।

कार्य और परिणाम :–

1. स्वायत्त परिवार, स्वायत्त समाज, स्वयं स्फुर्त व्यवस्था की परंपरा ।
2. ग्रामीण अंचल में बौद्धिक और भौतिक विपन्नता उन्मूलन ।
3. मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि व व्यवस्था में पिछड़े व्यक्ति के लिये जागृति सहज कार्यक्रम जिससे मौलिक अधिकारों को पहचानकर कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें ।
4. सामाजिक न्याय सुलभता–परस्पर तृप्ति के अर्थ में सार्थक होने का कार्यक्रम– मानव तथा मानवीयता के आधार पर समानता का अनुभव करने के लिये कार्यक्रम ।
5. नशा मुक्ति ।
6. सामान्य रोग (ज्वर, खांसी, सर्दी, पीलीया, अर्जीण आदि) एवं विशेष रोग (दमा, चर्मव्याधि, कुष्ठ रोग, हृदय रोग, यकृत रोग, रक्तचाप आदि) निवारण ।
7. अनाथ बच्चों को मानवीय व्यवस्था में जीने योग्य कार्यक्रम ।
8. देह–व्यापार मुक्ति ।
9. नर–नारी में समान मौलिक अधिकार स्थापना एवं नारी उत्पीड़न का उन्मूलन ।
10. कैदी और विचाराधीन बंदी के परिवार को सान्तवना व राहत कार्य ।
11. जनसंख्या नियंत्रण प्रवृत्ति के उदय के लिये कार्यक्रम ।
12. पर्यावरण संतुलन– जल, भूमि, वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण द्वारा ।

उद्देश्य

1. प्रत्येक व्यक्ति में समाधान, सामाजिकता और स्वालम्बन प्रमाणित होना :–

(अ) समाधान का तात्पर्य स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था प्रकृति में व्यवस्था और अस्तित्व में व्यवस्था का बोध (समझ) होना ।

(ब) सामाजिकता का तात्पर्य मानव संबंधों की पहचान, समाज मूल्यों का निर्वाह एवं परस्पर मूल्यांकन पूर्वक उभयतृप्ति प्रमाणित होना ।

(स) स्वालम्बन का तात्पर्य प्राकृतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उत्पादन और सेवा की मानसिकता एवं व्यावसायिक निपुणता–कुशलता प्रमाणित होना ।

2. प्रत्येक परिवार में समृद्धि प्रमाणित होना । समृद्धि का तात्पर्य परिवार की आवश्यकता से अधिक उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन और सेवापूर्वक प्राप्त करना ।

3. समाज में अभय व सह–अस्तित्व प्रमाणित करना ।

(अ) अभय का तात्पर्य स्वास्थ्य–संयम सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों की सुरक्षा व न्याय (व्यक्ति के सम्मान) की सुरक्षा उपलब्ध होना ।

(ब) सह–अस्तित्व का तात्पर्य संतुलन को बनाए रखना ।

विधि

शिक्षण व प्रशिक्षण पूर्वक पूर्व उल्लेखित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा । सर्वप्रथम मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अमरकण्टक द्वारा शिक्षकों को तैयार किया जाएगा, ऐसे शिक्षक स्थानीय बच्चों का नियमित शिक्षा देगें एवं युवा प्रौढ़ और वृद्ध व्यक्तियों को "जीवन विद्या शिविर द्वारा समाधानित, स्वावलम्बी और साक्षर होने के लिये प्रशिक्षण देगें । सभी शिक्षक समाधानित, सामाजिक, स्वावलम्बी और साक्षर होगें । ये शिक्षकगण शिक्षण प्रशिक्षण के लिये वेतन नहीं लेंगे।

शिक्षक स्वावलम्बी रहकर शिक्षा प्रदान करने के लिये अभिभावक विद्यालय होगा जिससे स्वावलन्बन के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध होगा । इन्हीं संसाधनों का उपयोग विद्यार्थियों को स्वालम्बन का प्रशिक्षण देने के लिये किया जायेगा । सभी स्थानीय लोग व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य क्षमता सम्पन्न होने पर पांच समितियां बनाई जायेंगी ।

(1) शिक्षा संस्कार समिति – यह समिति सभी व्यक्तियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी का निर्वाह करे

(2) न्याय–सुरक्षा समिति – क्षेत्र के सभी लोगों को न्याय सुलभ कराने एवं प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी ।

(3) स्वास्थ्य संयम समिति : स्थानीय सभी लोगों के स्वास्थ्य संयम की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी

(4) उत्पादन कार्य समिति – स्थान विशेष में उत्पादन के अवसर, संभावना तथा तकनीकी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी

(5) विनिमय कोष समिति – शोषण मुक्त विनिमय एवं भविष्य के लिये आवश्यक वस्तुओं का कोष बनाए रखने की जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी । इन सभी समितियों के सदस्य समाधानित, सामाजिक स्वावलम्बी एवं अवैतानिक होंगें ।

इन सभी समितियों में तालमेल को सुनिश्चित करने के लिये एक सभा का गठन किया जाएगा जिसमें परिवार के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे ।

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अभिभावक विद्यालय

शिक्षक :– प्राथमिक कक्षाओं में प्रत्येक 20 से 30 विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिये एक शिक्षक का प्रावधान होगा।

संसाधन :–

1. प्राथमिक शाला के छः कमरों का विद्यालय भवन।
2. न्युनतम छः शिक्षकों का सपरिवार रहने के लिए आवासीय व्यवस्था।
3. कर्मशाला
4. गोशाला दुधारू गाय बैल सहित।
5. 20–25 एकड कृषि योग्य भूमि ।
6. कृषि के सामान्य यंत्र और उपकरण।
7. जल व विद्युत की सुविधा।
8. गोबर गैस संयंत्र और ऊर्जा, भवन शक्ति यंत्र और उपकरण।

इन संसाधनों का स्वामित्व " अभिभावक विद्यालय" का होगा। यह किसी की निजी सम्पत्ति नही होगी।

विद्यालय स्थापित होने के बाद इसकी सुरक्षा व देखभाल का दायित्व शिक्षा–संस्कार समिति का होगा। स्थानीय प्रत्येक परिवार इसे बनाए रखने के लिए एक न्युनतम राशि देकर भागीदारी का निर्वाह करेंगे।

कार्य और योजना

लोक शक्ति योजना पांच चरणों में पूरी होगी।

प्रथम चरण :–

मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकंटक के शिक्षण और प्रशिक्षण पूर्वक स्थानीय शिक्षकों को तैयार करेगा। प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर समान्यतः 5 शिक्षक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य होगा। प्रथम चरण में ही अभिभावक विद्यालय का निर्माण पूरा होगा।

अनुमति समय :– एक वर्ष

द्वितीय चरण :–

प्रशिक्षित शिक्षक एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकंटक के शिक्षक के साथ मिलकर स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करेंगें।

(अ) शाला में विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 तक) दी जायेगी। प्रथम वर्ष में कक्षा एक प्रारंभ किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष एक–एक कक्षा बढाते हुए 5 वर्षों में कक्षा 5 तक शिक्षण कार्य सम्पन्न होगा।

(ब) शिक्षकगण स्थानीय निवासियों को प्रशिक्षित करेंगें। क्षेत्र के प्रत्येक निवासी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रहेगा।

अनुमति समय:– 5 वर्ष

तृतीय चरण :–

स्थानीय प्रशिक्षित लोक शक्ति, प्रशिक्षित शिक्षक और मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अमरकंटक के शिक्षक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेंगें :–

1. न्याय सुरक्षा समिति
2. स्वास्थ्य संयम समिति

(प्रथम चरण के बाद ही शिक्षकों के रूप में शिक्षा संस्कार समिति कार्यरत हो पाएगी।)

अनुमति समयः– 1 वर्ष

चतुर्थ चरण :–

पूर्व में निर्धारित तीनों समितियों एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक के शिक्षक मिलकर निम्न दो समितियों का गठन करेंगें।

1. उत्पादन कार्य समिति
2. विनिमय कार्य समिति

अनुमति समय:– 1 वर्ष

पंचम चरण :–

पांचों समितियां एवं मानव संचेतना शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक के शिक्षक मिलकर "स्थानीय सभा" का गठन करेंगें। स्थानीय सभा व पांचों समितियों के सदस्य मिलकर व्यवस्था का सम्पूर्ण कार्य स्वयं स्फुर्त विधि से करेंगें।

मूल्यांकन

मूल्यांकन पांच बिन्दु पर किए जायेंगे :–

1. शिक्षा संस्कार
2. स्वास्थ्य संयम
3. न्याय सुरक्षा
4. उत्पादन कार्य
5. विनिमय कोष

अभियान शुरू होने के पहले सभी बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त कर लिया जाएगा एवं 1 वर्ष के पश्चात्, 2 वर्ष के पश्चात्, 3 वर्ष के पश्चात्, 4 वर्ष के पश्चात् एवं 5 वर्ष के पश्चात्, मूल्यांकन किया जाएगा ।

01. मानवीय शिक्षा–संस्कार :–

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा ।

1. मानवीय शिक्षा – संस्कार शिक्षण में प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या ।
2. लोगों में साक्षरता व सामान्य जानकारी ।

मूल्यांकन का आधार :–

मानवीय शिक्षा संस्कार में पारंगत व्यक्ति स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था एवं अस्तित्व में व्यवस्था की समझ से सम्पन्न होते हैं एवं ऐसी समझ के अनुसार जीने में प्रमाणित होते हैं ।

02. स्वास्थ्य संयम :–

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :–

1. रोगों के प्रकार व रोगी की संख्या ।
2. स्थानीय चिकित्सा से ठीक हुए रोग व रोगी की संख्या ।
3. बाह्रय चिकित्सा से स्वस्थ हुए रोग व रोगी की संख्या ।
4. चिकित्सा अभाव से पीड़ित व मृत व्यक्तियों की संख्या ।
5. सामान्य चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।

6. विशेष चिकित्सा से पारंगत स्थानीय व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।

7. पर्यावरण स्वच्छता ।

03. न्याय सुरक्षा :–

निम्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा :–

1. परिवार में सम्बंधों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
2. परिवार में सम्पदा का सदुपयोग करने योग्य व्यक्तियों की संख्या ।
3. परस्पर परिवारों के बीच सम्बन्धों का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।
4. जुआ एवं परधन में प्रयासरत् लोगों की संख्या ।
5. परनारी/परपुरूष प्रवृत्ति व कार्यों में लिप्त व्यक्तियों की संख्या ।
6. परिवार कलह से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ।
7. ग्राम कलह (जमीन, आवास, सड़क, पानी, पशु नियंत्रण, व घरेलू अशुद्धियों को फेंकने के आधार पर होने वाले विवाद) से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या ।
8. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव में सुलझे ।
9. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो गांव के बाहर सुलझ गये ।
10. कलह के बिन्दुओं की संख्या जो अब तक अनसुलझे हैं ।
11. विपन्न (गरीब) व्यक्ति व परिवारों की संख्या ।
12. जनसंख्या एवं उसका नियंत्रण (जन्म दर, मृत्यु दर व अन्य स्थानों से आने वाले या अन्य स्थानों में गये व्यक्तियों की संख्या) ।
13. प्राकृतिक संतुलन (जल, वन, भूमि, औषधि व चारागाह का संरक्षण) ।

04. उत्पादन कार्य :–

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :–

1. श्रम नियोजित करने के लिये मानसिकता से सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
2. श्रम नियोजन के लिये कार्यों को पहचाने हुए व्यक्तियों की संख्या ।
3. निश्चित उत्पादन व सेवा की तकनीकी सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
4. उत्पादन में भागीदारी करते हुए व्यक्तियों की संख्या ।

5. परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन व सेवा करते हुए परिवारों की संख्या ।
6. गांव की कुल आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने का मूल्यांकन ।
7. उत्पादन व सेवा से विमुख व्यक्तियों की संख्या ।
8. न चाहते हुए भी मजबूरीवश उत्पादन व सेवा करने वाले व्यक्तियों की संख्या ।

05. विनिमय कोष :–

मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं पर किया जाएगा :–

1. श्रम मूल्य के आधार पर विनिमय करने की प्रवृत्ति सम्पन्न व्यक्तियों की संख्या ।
2. श्रम मूल्य के आधार पर प्रतीक मूल्यों की पहचान ।
3. लाभ–हानि मुक्त विनिमय प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले लोगों की संख्या ।
4. गांव की आवश्यकता की पूर्ति के लिये अनिवार्य वस्तुओं के कोष का मूल्यांकन ।
5. लाभ–हानि मानसिकता से ग्रसित व्यक्तियों व परिवारों की संख्या ।

शिक्षा स्रोत

सम्पूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण का स्रोत मध्यस्थ–दर्शन (सह–अस्तित्ववाद) रहेगा । इसके प्रणेता श्री ए. नागराज, अमरकण्टक हैं ।

यह दर्शन चार भागों में हैं --

(1) मानव व्यवहार दर्शन (2) मानव कर्म दर्शन (3)मानव अभ्यास दर्शन(4) मानव अनुभव दर्शन के अनुसार सह–अस्तित्ववादी विचार तीन भागों में प्रस्तुत है –

1. समाधानात्मक भौतिकवाद
2. व्यवहारात्मक जनवाद
3. अनुभवात्मक अध्यात्मवाद

दर्शन और विचारों के आधार पर तीन शास्त्र प्रस्तुत है –

1. मानव संचेतनवादी मनोविज्ञान
2. आवर्तनशील अर्थशास्त्र
3. व्यवहारवादी समाजशास्त्र

दर्शन विचारों व शास्त्रों के आधार पर तीन योजनाएं प्रस्तुत हैं –

1. जीवन विद्या योजना
2. मानव संचेतनावादी शिक्षा संस्कार योजना
3. परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना

अध्ययन वस्तु/कक्षा	एक	दो	तीन	चार	पांच
1. मानव संबध	संबंध एवं मूल्यों का सम्बोधन	संबंध एवं मूल्यों की पहचान	संबंधों व मूल्यों का निश्चयन	संबंधो व मूल्यों का निर्वाह	संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह मूल्यांकन व उभयतृप्ति का प्रमाण
2. नैसर्गिक संबंध	इकाईयों का संबोधन	क्रिया–कलाप के रूप मे इकाईयों का पहचान	नाम के साथ इकाईयों की उपयोग की पहचान	संतुलन के रूप मे उपयोगिता की पहचान	सभी अवस्थाओं में परस्पर पूरकता की पहचान
3. अस्तित्व में सह–अस्तित्व	अस्तित्व का संबोधन	सह–अस्तित्व की पहचान, स्वीकृति	इकाईयो मे क्रियाशील एवं सत्ता, क्रियाशून्यता में व्यापकता	इकाईयो की क्रियाशीलता एवं नियंत्रण	इकाईयों मे परस्पर पूरकता, रचना, विरचना व विकास
4. जीवन का स्वरूप	जीवन के बल, शक्तियों का नाम	जीवन शक्तियों (आशा, विचार व इच्छा) की पहचान	चयन, आस्वादन, तुलन विश्लेषण क्रिया की पहचान	चिंतन व चित्रण क्रिया की पहचान	बोध, अनुभव, संकल्प व प्रामणिकता की पहचान एवं सुख
5. शरीर और स्वास्थ्य संयम	शरीर के अंग प्रत्यंगो का सम्बोधन व पहचान	शरीर के अंग प्रत्यंगों की प्रयोजन एवं उनकी स्वच्छता	शरीर के ज्ञानेन्द्रियो व कर्मेन्द्रियो के क्रियाकलापो की पहचान, जीवन क्रिया से संबंध	शरीर स्वास्थ्य संयम विधि एवं आंतरिक अवयवों की पहचान	जागृति के अर्थ में शरीर के प्रयोग की पहचान
6. खेल एवं कर्माभ्यास	खेल एवं कर्माभ्यासों का नाम	खेलो के स्वरूप की पहचान कर्माभ्यास के स्वरूप की पहचान	खेलो का प्रयोजन, कर्माभ्यास का प्रयोजन	खेल का अभ्यास कर्माभ्यास का प्रशिक्षण प्रयोग विधि प्रयोग विधि	खेल, आसन, व्यायाम, प्रणायाम का अभ्यास प्राथमि उपचार, कर्माभ्यास औषधियों का कर्माभ्यास

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय,भोपाल ।

कमांक/एफ–16–20/2003/पं.–2/22/ भोपाल,दिनांक 24.7.2003

प्रति,

संस्थापक,
दिव्य पथ संस्थान,
अमरकंटक,जिला–शहडोल,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था ।

संदर्भः–आपका पत्र दिनांक 30.7.2003

विषयान्तर्गत आपके पत्र के संदर्भ में सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था के कियान्वयन की सहमति निम्नानुसार दी जाती है :–

1. आपकी संस्था द्वारा सर्वेक्षण कर कुछ चुनिन्दा 2–3 ग्राम पंचायतों का चयन किया जायेगा जहाँ पर कि परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था को प्रमाणित किया जा सके ।

2. सम्पूर्ण कार्यवाही वर्तमान वैधानिक दायरे में की जावेगी ।

आपके प्रस्ताव अनुसार राज्य शासन ने निम्नानुसार 02 समितियों के गठन का निर्णय भी लिया है :–

सलाहकार समिति :–

1.	सचिव,पंचायत एवं समाज कल्याण	अध्यक्ष
2	आयुक्त,पंचायत एवं समाज कल्याण	सदस्य
3	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य
4	श्री श्याम बोहरे,ग्रामस्वराज संस्थान,पन्ना	सदस्य
5	श्री आमोद खन्ना,ताल संस्था	सदस्य

कार्य समिति :–

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3.	उपसंचालक,पंचायत	सदस्य
4.	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य

कृपया उपरोक्तानुसार समितियो के लिये दिव्य पथ संस्थान के प्रतिनिधियों का नामांकन शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं समाज कल्याण,

S. BATHAM

पंचायत एवं समाज कल्याण, संचालनालय, म0प्र0

क्रमांक / पंच– 6 / 2003 / 2165 भोपाल, दिनांक 10-11-2003

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला–डिण्डोरी
   मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत–डिण्डोरी,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः–परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।

परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संदर्भ में दिनांक 13.11.2003 को आयोजित बैठक स्थगित की जाती है । बैठक की आगामी तिथि से पृथक से अवगत कराया जायेगा ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

पृ0क्र / पंच.–6 / 2003 / 2166 भोपाल, दिनांक 10-11-2003

प्रतिलिपिः–

1. श्री ए. नागराज शर्मा, संस्थापक, दिव्य पथ संस्थान, नर्मदा मंदिर के पास अमरकंटक, जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री राकेश ... कानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. उप–संचालक/जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला डिण्डोरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

Comt-1 10-Nov-0340

दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक
नर्मदा मंदिर के सामने, नर्मदांचल, अमरकंटक
जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
फोन: 07629-269407.

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
म०प्र० शासन
भोपाल.

संदर्भ: पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग क्रमांक / एफ-16-20/2003/पं-2/22
दिनांक 24.7.03 एवं क्रमांक पंचा-6/2003/2165

विषय: परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था।

मान्यवर,

सह-अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के क्रियान्वयन की सहमति पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री एवं सचिव व आयुक्त पंचायत एवं समाजकल्याण विभाग से अनेक स्तरों पर हुई गोष्ठियों के उपरांत उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमाभारती के अवगाहन में भी इस योजना को लाने के प्रयास किये गये। पंचायत मंत्री श्री-नरेन्द्र तोमर जी से भी विगत 7 अक्टूबर 2004 को श्रद्धेय ए. नागराज अमरकंटक प्रणेता सह-अस्तित्ववाद, मानव केंद्रित मध्यस्थदर्शन की भेंट भोपाल में जीवन विद्या के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के दरम्यान हुई थी। उन्होंने आयुक्त महो. को निर्देशित किया था। माननीय गोविंदाचार्य जी ने भोपाल एवं अमरकंटक में श्रद्धेय बाबा जी से तीन दिन तक दर्शन के एवं योजना के विविध पक्षों पर चर्चा की थी।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसके क्रियान्वयन के लिये एवं तीव्रता के लिये आदेशित करने की विशेष कृपा करेंगे। श्रद्धेय बाबा जी ए. नागराज जी की इस संबंध में आपसे चर्चा करने की भी इच्छा है। आपके समय की प्रतीक्षा रहेगी।

भवदीय

साधन .
(साधन भट्टाचार्य)
दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक.

30/10/04

मुख्य मंत्री कार्यालय
मध्य प्रदेश

क्र.:903/CMS/OPR/2004 भोपाल, दिनांक: 05/11/2004

प्रति,

श्री साधन भट्टचार्य,
दिव्य पथ संस्थान, नर्मदा मंदिर
के सामने नर्मदा चल अंमरकंटक
जिला अनुपपुर म.प्र.

विषय :परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था.

उपरोक्त विषयक मान.मुख्यमंत्रीजी को प्रेषित पत्र/टीप दि.30/10/2004 प्राप्त हुआ. उक्त पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत और ग्रामीण विभाग को आगामी कार्यवाही के लिए इस कार्यालय के जावक क्र.903/CMS/OPR/2004 दि.05/11/2004 द्वारा प्रेषित किया गया है.

अवर सचिव
मुख्यमंत्री

पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय,म0प्र0
तुलसीनगर (1250)भोपाल

क्रमांक / पंचा06 16 / 2004 / 1791 भोपाल,दिनांक 25 नवम्बर 04

प्रति,

श्री साधन भट्टाचार्य,
दिव्य पथ संस्थान अमरकटक,
नर्मदा मंदिर के सामने,नर्मदांचल अमरकटक
जिला अनुपपुर मध्यप्रदेश

विषयः– परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।

संदर्भ– माननीय मुख्यमंत्रीजी को संबोधित आपका पत्र दिनांक 30.10.04

---0---

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए । परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संबंध में आपने चर्चा हेतु समय चाहा हैं कृपया दिनांक 2.12.04 से 8.12.04 के मध्य आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय से उनके कार्यालय में समक्ष में आकर पूरे विषय पर चर्चा करें । कृपया आने से पूर्व फोन पर समय तय करने का कष्ट करें । (फोन नम्बर 95755–2556916)

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

उप संचालक,(पंचा0)
वास्ते–आयुक्त,
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,
मध्यप्रदेश

पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय,मध्यप्रदेश

कमांक / पंचा–6 / 2004 / 1922 भोपाल,दिनांक 13 दिसंबर 04

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश ।

विषय:– ग्राम स्वराज व्यवस्था विषयक ।

––0––

संस्थापक, दिव्यपथ संस्थान, अमरकंटक, जिला शहडोल द्वारा सह अस्तित्वादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के कियान्वयन की कार्यवाही जिला डिंडौरी की एक या दो ग्राम पंचायतों में करना चाहते हैं ।

2/ मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं सामाजिक न्याय द्वारा ज्ञापन कमांक/ एफ16–20 / 2003 / पं–2 / 22, दिनांक 24.7.03 से संबंधित संस्थान को कियान्वयन की सहमति दी है । सहज संदर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है। पत्रानुसार जिला स्र पर कार्य समिति का गठन भी किया जाना है, जिसमें निम्न होंगे :–

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3	उप संचालक पंचायत	सदस्य
4	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य

3/ संस्थान के श्री साधन भट्टाचार्य आपसे संपर्क कर विस्तृत जानकारी देंगें । तदनुसार जिले की चुनिन्दा पंचायतों में कार्यकम की रूपरेखा तैयार करने की कार्यवाही कर अवगत करावें । संबंधित को दूरभाष कमांक 07629 269631 तथा 269407 है ।

आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,म0प्र0

पृ0 क0 / पंचा–6 / 2004 / 1923 भोपाल,दिनांक 13 दिसंबर 04

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय,मध्यप्रदेशभोपाल के पत्र कमांक 903 / सीएमएस / ओपीआंर / 04, दिनांक 5.11.04 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. श्री साधन भट्टाचार्य, दिव्यपथ संस्थान, नर्मदा मंदिर नर्मदांचल, अमरकंटक, जिला अनुपपूर की ओर दिनांक 6.12.2004 को हुई चर्चा के संदर्भ में सूचनार्थ। कृपया कलेक्टर डिंडौरी से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें ।
3. उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला डिंडौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,म0प्र0

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग

क्रमाक /क्यूं/रा. नि. /2005 दिनॉक 2/6/2005

प्रति ,

मानीय श्री कलेक्टर महोदय डिण्डौरी

द्वारा :– श्री मान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) डिण्डौरी

बिषयः– ग्रामो की जानकारी के संबध में

सदर्भ :– दिनॉक 25/5/2005 की राजस्व अधिकारीयों की बैठक की दौरान दिये मौखिक निर्देश के क्रम में

आदरणीय महोदय,

संदर्भित निर्देश के परिपालन में राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग तहसील व जिला डिण्डौरी के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्देशित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निम्न दो ग्राम प्रस्तावित है ।

1. ग्राम कौड़िया प.ह.नं. 82 :– श्री नर्मदा जी (नदी) के किनारे है , 5 टोलो के रूप में बसाहट है , इस ग्राम में क्रंमशः 4 धर के अहीर जाति के,10 धर के पनिका जाति के , 1धर लोहार जाति का है एंव शेष लगभग 200 परिवार / धर गोंड जाति के है। ग्राम की मिट्टी (लगभग) 70 प्रतिशत काली उपजाऊ है , 30 प्रतिशत भूमि बर्रा किश्म की भूमि है । ग्राम में विधुत लाईन एंव कुछ धरो में विधुत कनेक्शन है यह ग्राम गाड़ासरई से डिण्डौरी मार्ग पर खरगहना ग्राम से 6 कि. मी. उत्तर दिशा की ओर नदी के किनारे है , गाड़ासरई से कुल दूरी 18 कि. मी. है । किसी भी वाहन से ग्राम तक सुगमता से पहुॅचा जा सकता है डूब के अन्तर्गत ग्राम नही आता ।ग्राम में 232 छोटे बडें खातेदार है इनमें से कुछ ग्राम के बाहर निवास करते है ।

2. ग्राम पाटन प.ह.नं. 97 :– यह ग्राम भी श्री नर्मदा जी (नदी) से लगा है /किनारे है , 2टोलो केरूप में मुख्य बसाहट है , बसाहट नदी से लगभग एक डेढ़ किलोमीटर दूरी पर है । नदी के किनारे खेती की भूमि है , इस ग्राम में सहीस जाति के 1धर , पनिका जाति के 3 धर , अहीर जाति के 8 – 10 धर शेष लगभग 150 धर/परिवार गोंड़ जाति के है । ग्राम की लगभग 70 प्रतिशत मिट्टी काली उपजाऊ है शेष 30 प्रतिशत मिट्टी बर्रा है जिसमें भी खेती होती है । ग्राम में विधुत लाईन एंव कुछ धरो में विधुत कनेक्सन है । यह ग्राम गाडासरई से उत्तर – पूर्व की दिशा में नदी के किनारे है गाड़ासरई से इस ग्राम की दूरी 6 कि.मी. हैं । गाड़ासरई से इस ग्राम में मोटर साईकिल , जीप , ट्रेक्टर , ट्रक ,से पहुचा जा सकता है । गाड़ासरई से ग्राम तक सडक है पर मरम्मत न होने से कुछ जगह उबड़ खाबड़ हो गये है । यह ग्राम डूब के अंतर्गत नही आता है ।ग्राम में 154 छोटे बडे कृषक खाते दार है इनमें से कुछ ग्राम से बाहर निवास करते हैं ।

सादर ।

एस.एल.बर्मन
राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सं - 9

कार्यालय कलेक्टर डिण्डोरी

क्रमांक/विकास/2005/ 3167 डिण्डोरी दिनांक 6 जून 2005

प्रति

आदरणीय श्री नागराज जी महाराज
नर्मदा उद्‌गम परिसर के पास
अमरकंटक जिला अनूपपुर

विषय:- ग्रामों के समग्र विकास योजना अन्तर्गत ग्रामों के चयन संबंधी जानकारी।

महोदय

विषयांकित में स्मरण होगा कि दिनांक 23.5.2005 को अमरकंटक प्रवास के दौरान हुई चर्चा के अनुरूप मेरे द्वारा अधिनस्थ राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपकी वांछा अनुसार दो ग्रामों के चयन हेतु निर्देशित किया गया था, तद्‌नुसार क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक बजाग के द्वारा ग्राम चयन संबंधी जानकारी दी गयी है, जो मूलत: संलग्न है। जानकारी प्राप्त होने के उपरांत कृपया इन ग्रामों में लागू होने वाली योजनाओं के संबंध मे अवगत कराने का कष्ट करें।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

कलेक्टर
डिण्डोरी

अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के आधार पर
परिवार मूलक ग्राम-मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था के संदर्भ में

प्रथम संवाद सूचि
(स्वीकृति के लिए विकल्पात्मक, बिंदु)

संग्रह-सुविधा के विकल्प में समाधान-समृद्धि संपन्न होना	चाहिये	नहीं चाहिये
स्वयं में विश्वास, परस्परता में विश्वास सहित मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक जीना	चाहिये	नहीं चाहिये
परिवार व ग्राम में परस्पर संबंध निर्वाह होना	चाहिये	नहीं चाहिये
सदा-सदा संबंधों में विश्वास निर्वाह होना	चाहिये	नहीं चाहिये
समझदारी व श्रम सहित ग्राम व्यवस्था में भागीदारी करना	चाहिये	नहीं चाहिये
सभी नर-नारियों के सहमति पूर्वक ग्राम व्यवस्था में, से, के लिए जिम्मेदार होना	चाहिये	नहीं चाहिये
सभी ग्राम वासियों की परस्परता में जाति, पद, धन के आधार पर अपना-पराया का दीवार मिटाना	चाहिये	नहीं चाहिये
सभी ग्रामवासी श्रमशीलता में दृढ़ता बनाए रखते हुए सभी प्रकार के समाधान के लिए समझदारी संपन्न होना	चाहिये	नहीं चाहिये
समझदारी से समाधान, श्रमपूर्वक समृद्धि होने में विश्वास (भरोसा) होना	चाहिये	नहीं चाहिये

सं- 11

अस्तित्व मूलक मानव केन्द्रित चिंतन के आधार पर
~~ग्राम मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था स्थापित होने के संदर्भ में~~

द्वितीय ~~सूचि~~ संवाद सूचि
(विश्वास बिंदु)

हर परिवार समझदारी सहित समाधान-समृद्धि पूर्वक जीने में विश्वास	है	नहीं है
मानवीयतापूर्ण आचरण सहित जीने देने व जीने में विश्वास	है	नहीं है
परिवार में, पूरा ग्राम में संबंध को निर्वाह करने में विश्वास	है	नहीं है
ग्राम में जितने भी परिवार हैं, उनके साथ जीने में विश्वास	है	नहीं है
परिवार में समाधान-समृद्धि पूर्वक जीने और ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी करने में विश्वास	है	नहीं है
हर परिवार में, हर नर-नारी में से एक सदस्य ग्राम स्वराज्य व्यवस्था मे भागीदारी ~~करने में विश्वास~~	है	नहीं है
ग्राम में हर परिवार, हर परिवार में हर सदस्य मानव व मानवीयता के आधार पर पहचानने व निर्वाह करने में विश्वास	है	नहीं है
पूरे ग्रामवासियों में समझदारी-श्रमशीलता सहित समाधान-समृद्धि सहज प्रमाण प्रस्तुत करने में विश्वास	है	नहीं है
ग्राम के सभी परिवारों में हर नर-नारी समझदारी पूर्वक ही समाधान, श्रम पूर्वक ही समृद्धि संपन्न होने में विश्वास	है	नहीं है

~~अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित~~ चिंतन के आधार पर
परिवार मूलक ग्राम-मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था के संदर्भ में

तृतीय संवाद सूचि
(सत्यापन बिंदु)

हम परिवार समाधान-समृद्धि पूर्वक जीने का	सत्यापन
हम स्वयं में विश्वास करने, श्रेष्ठता का सम्मान करने, प्रतिभा व व्यक्तित्व में संतुलन सहज प्रमाण प्रस्तुत करने, व्यवहार में सामाजिकता व उत्पादन में स्वावलंबन प्रमाणित करने का	सत्यापन
हर परिवार में सभी संबंधों व मूल्यों का निर्वाह करने और परिवार सभा, परिवार समूह सभा, ग्राम परिवार सभा में भागीदारी करने का	सत्यापन
परिवार संबंधों में मानवीयता सहित मानव संस्कृति-सभ्यता सहज निर्वाह करने का	सत्यापन
परिवारों और सभाओं में विधि-व्यवस्था में निर्वाह रूप में भागीदारी करने का	सत्यापन
मानवीय शिक्षा-संस्कार, न्याय-सुरक्षा सुलभ होने में भागीदारी करने का	सत्यापन
उत्पादन कार्य, विनिमय कोष कार्य सहज, सुलभ होने में भागीदारी करने का	सत्यापन
स्वास्थ्य संयम कार्य सहज सुलभ होने में भागीदारी करने का	सत्यापन
हर परिवार में समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि संपन्न होने का	सत्यापन

अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के आधार पर
परिवार मूलक ग्राम मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था स्थापित होने के संदर्भ में

सं - 13

चतुर्थ सूचि
(संकल्प बिन्दु)

हम परिवार में समाधान - समृद्धि पूर्वक न्याय- व्यवस्था में जीने का संकल्प

समाधान- समृद्धि सहित जीता हुआ दश परिवार से निर्वाचित दस सदस्यीय परिवार समूह सभा में न्याय पूर्वक जीते हुए, उत्पादित वस्तुओं का उपयोगिता मूल्य के आधार पर मूल्यांकन विनिमय सहित, मानवीयतापूर्ण आचरण- व्यवहार करने का संकल्प

दश परिवार समूह सभा में से निर्वाचित दश सदस्यीय ग्राम सभा में आमी व्यवस्था सहज विधि से जीने का संकल्प

ग्राम अनुकूलता

1- ग्राम में निवास करने वाले व्यक्ति सीमित एवं निश्चित है।
2- सभी ग्रामवासी एक दूसरे को पहचानते है।
3- सभी ग्रामवासी एक दूसरे से सम्बन्ध को सम्बोधित करते हैं तथा सम्बन्ध को पहचान सकते हैं।
4- बाहरी परिवेश का प्रभाव व दबाव कम है।
5- कार्य एवं व्यवहार (पानी, बिजली, व्यवसाय के कार्य) में स्वतंत्रता ज्यादा है।
6- आवास के लिये स्थान, शुद्ध वायु, स्वच्छ परिवेश (प्रदूषण रहित) संभावित है।
7- आहार उत्पादन के लिये अनुकूलता है।
8- उत्पादन के लिये अवसर व संसाधन स्वाधीन है।
9- स्वास्थ्य के लिये अनुकूलता है।
10- बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने की संभावना है।
11- ग्राम व्यवस्था को स्वयंस्फूर्त विधि से संचालित कर सकते है।
12- ईंधन एवं ऊर्जा संतुलन की संभावना है।
13- ग्राम स्वायत्त एवं समृद्ध होने की संभावना है।
14- प्रत्येक परिवार स्वायत्त एवं समृद्ध होने की संभावना है।

डिंडोरी जिला में कार्य_c

आज दि० 05.01.2006, स्थान- डिंडोरी कलेक्ट्रेट समय 3.5 आपरान्ह

सन्दर्भ - परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था हेतु

यह गोष्ठी पूज्य बाबा श्री ए. नागराज जी संस्थापक दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक के मार्ग दर्शन में सम्पन्न हुयी। जिसमें कार्य समिति के निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

1- श्री अशोक कुमार ...... कलेक्टर डिंडोरी
2- " बृजलाल मिश्रा एस.डी.एम "
3. " जे. पी. यादव तहसीलदार "
4. " राकेश कुमार नायब तहसीलदार "
5- " डी. आर. परमार C.E.O जनपद
6- " जे. एस. दुबे RI करंजिया
7- " सर्वन लाल कर्ण RI

दिव्य पथ संस्थान की ओर से श्री साधन भट्टाचार्य, श्री सुशील सिंह एवं श्री अंजनी अग्रवाल उपस्थित रहे। दोनों ग्राम के सरपंच एवं दिव्य पथ संस्थान से अभय पांडेय उपस्थित नहीं हो सके।

सर्व प्रथम सभी उपस्थित सदस्यों का परिचय हुआ तत्पश्चात पूज्य बाबाजी ने प्रथम विश्वास बिन्दु पर चर्चा प्रारम्भ की और विस्तार से पुनः समझाया

माननीय कलेक्टर महोदय ने इन नौ विश्वास बिन्दुओं को सर्व मानवोपयोगी धर्म निरपेक्ष एवं अत्यन्त व्यवहारिक बताते हुये स्नेह पूर्ण सहमति एवं पूर्ण सहयोग प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया।

श्री बृजलाल मिश्रा जी ने भी उक्त चर्चा पर अपनी सहमति जताई एवं क्रमशः उपस्थित सदस्यों ने अपनी स्वीकृति एवं भागीदारी का आश्वासन दिया।

पूज्य बाबाजी ने कार्य समिति के सदस्यों के साथ तीन दिवसीय शिविर का प्रस्ताव रखा जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की। कलेक्टर महोदय ने शिविर स्थली ग्राम कौडिया सुझाया जिसे कार्य समिति ने स्वीकार किया

www.madhyasth-darshan.info • Information Portal

निवासरत के सभी एवं विस्तार निरंतरता की जिम्मेदारी श्री साधन जी को दी गयी जिसे निश्चित कर सूचना समय पर प्रेषित करेंगे।

उपरोक्त महत् कार्य को सम्पन्न करने के लिये ग्राम कौडिया में दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों के अंशकालिक निवास हेतु आवश्यकता पर बल दिया गया जिसे दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों ने सहमति दी। इस पर एस.डी.एम. श्री मिश्रा जी ने आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली। कौडिया निवासी श्री जे. एस. धुर्वे ने प्रारम्भिक अवलोकन कर सूचित करने की जिम्मेदारी ली।

दिव्य पथ संस्थान के सदस्य श्री अभय पांडेय को प्रोजेक्ट आफीसर के रूप में डिंडोरी में पदस्थ करने का सुझाव पूज्य बाबाजी ने दिया। माननीय कलेक्टर महोदय ने म.प्र. शासन को अनुसंशा करने की जिम्मेदारी स्वीकारी तथा अभय पांडेय जी से सहमतिपत्र की आवश्यकता बताई जिसे साधन जी ने प्राप्त करने का दायित्व स्वीकारा।

स - 15

अशोक कुमार राय
(आई. ए. एस.)
कलेक्टर
एवं
जिला दण्डाधिकारी
जिला-डिण्डौरी (म.प्र.)

(07644)234174 - दूरभाष (कार्या.)
234175 - (निवास)
07644-234166 - फैक्स
कार्यालय कलेक्टर, जिला-डिण्डौरी
अर्धशासकीय पत्र क्र./
दिनांक

परम् श्रद्धेय,

अत्यंत आदर सहित अभिवादन।

आपका पत्र दिनांक 23.07.2005 प्राप्त हुआ। आपके आशीष अभिसिंचन से मेरे ह्रदय में अपार खुशी हुई है। कृपया पत्र में उल्लेख की गयी कार्ययोजना भेजने का कष्ट करें। आपकी इस सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्ति के सर्वांग विकास की योजना में मुझे पूर्ण सहयोग करके आत्मसंतोष प्राप्त होगा।

आपके द्वारा भेजी गयी दो पुस्तकें "मानव व्यवहार दर्शन" एवं "जीवन विद्या एक परिचय" प्राप्त हो गयी हैं। इनके संक्षिप्त अध्ययन से ही आपके प्रति अपार श्रद्धा व प्रेम की जो अनुभूति हुई है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

मैं यदि आपके चिंतन, दर्शन और व्यक्ति विकास एवं ग्राम सुराज की अवधारणा के संदर्भ में जितना भी सहयोग कर सकूँ, वह बहुत थोड़ा ही होगा।

कृपया अपने स्नेह और आशीर्वाद से अभिसिंचित करते रहें तो आपकी अपार कृपा होगी।

पुन: अत्यंत आदर!

भवदीय

4.8.05

(अशोक कुमार राय)

प्रति,

परम् आद. श्री ए. नागराज शर्मा जी
प्रणेता मध्यस्थ दर्शन (सह-अस्तित्ववाद)
श्री भजनाश्रम, नर्मदा मंदिर के सामने
अमरकण्टक (म.प्र.)

प्र

स - 16

गोष्ठी दिनांक 12/11/05, स्थान - कलेक्टर निवास, डिण्डोरी समय 1 से 5 अपरान्ह

उपस्थित सदस्य 1. श्री अशोक कुमार राय कलेक्टर
2. श्री अजय पाण्डेय, सहा. ग्रोशाला,
3. श्री साधन भट्टाचार्य दिव्य पथ संस्थान, सदस्य
4. श्री चन्द्रशेखर सिंह —"—

परस्पर परिचय के उपरान्त कार्यगोष्ठी के लिए स्थान का चुनाव पर चर्चा हुई माननीय कलेक्टर महोदय ने 30/12/05 को डिण्डोरी कलेक्टोरेट में बैठक का सुझाव दिया समय 3 से 5 अपरान्ह। जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार किया।

कार्य समिति के गठन के मुद्दे पर माननीय कलेक्टर महोदय ने निम्न शासकीय सदस्यों का नाम प्रस्तावित किया

1. श्री अशोक कुमार राय — कलेक्टर
2. श्री बृजलाल मिश्रा — एस डी एम
3. श्री जे. पी. यादव — तहसीलदार
4. श्री राकेश कुमार — नायब तहसीलदार
5. श्री डी. आर. परमार — CEO जनपद
6. श्री जे. एल. धुर्वे — RI
7. श्री सर्वनलाल वर्मा — RI

दिव्यपथ संस्थान की ओर से श्री साधन भट्टाचार्य ने निम्न सदस्यों के नाम प्रस्तावित किये

1. श्री अजय पाण्डेय
2. श्री साधन भट्टाचार्य
3. श्री सुशील सिंह

जिसे सभी व्यक्तियों ने स्वीकार किया एवं सहमत हुए।

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय,भोपाल ।

क्रमांक/एफ–16–20/2003/पं.–2/22/ भोपाल,दिनांक 24.7.2003

प्रति,

संस्थापक,
दिव्य पथ संस्थान,
अमरकंटक,जिला–शहडोल,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था ।

संदर्भः–आपका पत्र दिनांक 30.7.2003

विषयान्तर्गत आपके पत्र के संदर्भ में सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था के कियान्वयन की सहमति निम्नानुसार दी जाती है :–

1. आपकी संस्था द्वारा सर्वेक्षण कर कुछ चुनिन्दा 2–3 ग्राम पंचायतों का चयन किया जायेगा जहाँ पर कि परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था को प्रमाणित किया जा सके ।

2. सम्पूर्ण कार्यवाही वर्तमान वैधानिक दायरे में की जावेगी ।

आपके प्रस्ताव अनुसार राज्य शासन ने निम्नानुसार 02 समितियों के गठन का निर्णय भी लिया है :–

सलाहकार समिति :–

1.	सचिव,पंचायत एवं समाज कल्याण	अध्यक्ष
2	आयुक्त,पंचायत एवं समाज कल्याण	सदस्य
3	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य
4	श्री श्याम बोहरे,ग्रामस्वराज संस्थान,पन्ना	सदस्य
5	श्री आमोद खन्ना,ताल संस्था	सदस्य

कार्य समिति :–

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3.	उपसंचालक,पंचायत	सदस्य
4.	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य

कृपया उपरोक्तानुसार समितियो के लिये दिव्य पथ संस्थान के प्रतिनिधियों का नामांकन शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं समाज कल्याण,

S. BATHAM

सं - 3

पंचायत एवं समाज कल्याण,संचालनालय,म0प्र0

क्रमांक / पंचा-- 6 / [illegible] / 2165 भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला--डिण्डोरी
   मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत--डिण्डोरी,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः--परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।

परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संदर्भ मे दिनांक 13.11.2003 को आयोजित बैठक स्थगित की जाती है । बैठक की आगामी तिथि से पृथक से अवगत कराया जावेगा ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

पृ0क्र / पंचा.--6 / 2003 / 2166 भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रतिलिपिः--

1. श्री ए.नागराज [illegible],संस्थापक,दिव्य पथ संस्थान,नर्मदा मंदिर के [illegible] अमरकंटक,जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री [illegible] कानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. [illegible] जिला कार्यालय,पंचायत एवं समाज कल्याण,जिला डिण्डोरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

Comt-1 10-Nov-0340

सं - 4

दिव्य पथ संस्थान अमरकँटक

नर्मदा मंदिर के सामने, नर्मदा चक्र, अमरकँटक
जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.
फोन: 07629-269407

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
म०प्र० शासन
भोपाल.

संदर्भ: पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग क्रमांक / एफ-16-20/2003/पं-2/22
दिनांक 24.7.03 एवं क्रमांक पंचा-6/2003/2165

विषय: परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था।

मान्यवर,

सह-अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के क्रियान्वयन की सहमति पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री एवं सचिव व आयुक्त पंचायत एवं समाजकल्याण विभाग से अनेक स्तरों पर हुई गोष्ठियों के उपरांत उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमाभारती के अवगाहन में भी इस योजना को लाने के प्रयास किये गये। पंचायत मंत्री श्री-नरेन्द्र तोमर जी से भी विगत 7 अक्टूबर 2004 को श्रद्धेय ए. नागराज अमरकंटक प्रणेता सह-अस्तित्ववाद, मानव केंद्रित मध्यस्थ दर्शन की भेंट भोपाल में जीवन विद्या के दसवें राष्ट्रीय सम्मेलन के दरम्यान हुई थी। उन्होंने आयुक्त महो. को निर्देशित किया था। माननीय गोविंदाचार्य जी ने भोपाल एवं अमरकँटक में श्रद्धेय बाबा जी से तीन दिन तक दर्शन के एवं योजना के विविध पक्षों पर चर्चा की थी।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसके क्रियान्वयन के लिये एवं तीव्रता के लिये आदेशित करने की विशेष कृपा करेंगे। श्रद्धेय बाबा जी ए. नागराज जी की इस संबंध में आपसे चर्चा करने की भी इच्छा है। आपके समय की प्रतीक्षा रहेगी।

भवदीय

हस्ता.
(साधन भट्टाचार्य)
दिव्य पथ संस्थान अमरकँटक.

30/10/04

सं - 5

मुख्य मंत्री कार्यालय
मध्य प्रदेश

क्र.:903/CMS/OPR/2004 भोपाल, दिनांक: 05/11/2004

प्रति,

श्री साधन भट्टचार्य,
दिव्य पथ संस्थान, नर्मदा मंदिर
के सामने नर्मदा चल अंमरकंटक
जिला अनुपपुर म.प्र.

विषय :परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था.

उपरोक्त विषयक मान.मुख्यमंत्रीजी को प्रेषित पत्र/टीप दि.30/10/2004 प्राप्त हुआ. उक्त पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत और ग्रामीण विभाग को आगामी कार्यवाही के लिए इस कार्यालय के जावक क्र.903/CMS/OPR/2004 दि.05/11/2004 द्वारा प्रेषित किया गया है.

अवर सचिव
मुख्यमंत्री

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय,म0प्र0
तुलसीनगर (1250)भोपाल

क्रमांक / पचा06 16 / 2004 / 1791 भोपाल,दिनांक 25 नवम्बर 04

प्रति,

श्री साधन भट्टाचार्य,
दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक,
नर्मदा मंदिर के सामने,नर्मदांचल अमरकंटक
जिला अनुपपुर मध्यप्रदेश

विषयः– परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।
संदर्भ-- माननीय मुख्यमंत्रीजी को संबोधित आपका पत्र दिनांक 30.10.04

---0---

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए । परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संबंध में आपने चर्चा हेतु समय चाहा है कृपया दिनांक 2.12.04 से 8.12.04 के मध्य आयुक्त पचायत एवं सामाजिक न्याय से उनके कार्यालय में समक्ष में आकर पूरे विषय पर चर्चा करें । कृपया आने से पूर्व फोन पर समय तय करने का कष्ट करें । (फोन नम्बर 95755–2556916)

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

उप संचालक,(पंचा0)
वास्ते–आयुक्त,
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,
मध्यप्रदेश

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

स - 7

पचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय,मध्यप्रदेश

कमांक / पंचा–6 / 2004 / 1922 भोपाल,दिनांक 13 दिसंबर 04

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– ग्राम स्वराज व्यवस्था विषयक ।

--0--

संस्थापक, दिव्यपथ संस्थान, अमरकटक, जिला शहडोल द्वारा सह अस्तित्वादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के कियान्वयन की कार्यवाही जिला डिंडौरी की एक या दो ग्राम पंचायतों में करना चाहते हैं ।

2/ मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं सामाजिक न्याय द्वारा ज्ञापन कमांक/ एफ16–20/2003/पं–2/22, दिनांक 24.7.03 से संबंधित संस्थान को कियान्वयन की सहमति दी है । सहज संदर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है। पत्रानुसार जिला स्र पर कार्य समिति का गठन भी किया जाना है, जिसमें निम्न होंगे :–

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3	उप संचालक पंचायत	सदस्य
4	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य

3/ संस्थान के श्री साधन भट्टाचार्य आपसे संपर्क कर विस्तृत जानकारी देंगें । तद्नुसार जिले की चुनिन्दा पंचायतों में कार्यकम की रूपरेखा तैयार करने की कार्यवाही कर अवगत करावें । संबंधित को दूरभाष कमांक 07629 269631 तथा 269407 है ।

आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,म0प्र0

पृ0 कं0 / पंचा–6 / 2004 / 1923 भोपाल,दिनांक 13 दिसंबर 04

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय,मध्यप्रदेशभोपाल के पत्र कमांक 903/सीएमएस/ओपीआंर/04, दिनांक 5.11.04 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. श्री साधन भट्टाचार्य, दिव्यपथ संस्थान, नर्मदा मंदिर नर्मदांचल, अमरकंटक, जिला अनुपपूर की ओर दिनांक 6.12.2004 को हुई चर्चा के संदर्भ में सूचनार्थ। कृपया कलेक्टर डिंडौरी से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें ।
3. उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला डिंडौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,म0प्र0

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सं – 8

कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग

क्रमाक /क्यूं/रा. नि. /2005 दिनॉक 2/6/2005

प्रति ,

माननीय श्री कलेक्टर महोदय डिण्डौरी

द्वारा :– श्री मान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) डिण्डौरी

विषयः– ग्रामो की जानकारी के संबध में

सदर्भ :– दिनॉक 25/5/2005 की राजस्व अधिकारीयों की बैठक की दौरान दिये मौखिक निर्देश के क्रम में

आदरणीय महोदय,

संदर्भित निर्देश के परिपालन में राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग तहसील व जिला डिण्डौरी के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्देशित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निम्न दो ग्राम प्रस्तावित है ।

1. ग्राम कौड़िया प.ह.नं. 82 :– श्री नर्मदा जी (नदी) के किनारे है , 5 टोलो के रूप में बसाहट है , इस ग्राम में क्रंमशः 4 धर के अहीर जाति के,10 धर के पनिका जाति के , 1धर लोहार जाति का है एंव शेष लगभग 200 परिवार / धर गोंड जाति के है। ग्राम की मिट्टी (लगभग) 70 प्रतिशत काली उपजाऊ है , 30 प्रतिशत भूमि बर्रा किश्म की भूमि है । ग्राम में विधुत लाईन एंव कुछ धरो में विधुत कनेक्शन है यह ग्राम गाड़ासरई से डिण्डौरी मार्ग पर खरगहना ग्राम से 6 कि. मी. उत्तर दिशा की ओर नदी के किनारे है , गाड़ासरई से कुल दूरी 18 कि. मी. है । किसी भी वाहन से ग्राम तक सुगमता से पहुॅचा जा सकता है डूब के अन्तर्गत ग्राम नही आता ।ग्राम में 232 छोटे बडें खातेदार है इनमें से कुछ ग्राम के बाहर निवास करते है ।

2. ग्राम पाटन प.ह.नं. 97 :– यह ग्राम भी श्री नर्मदा जी (नदी) से लगा है /किनारे है , 2टोलो केरूप में मुख्य बसाहट है , बसाहट नदी से लगभग एक डेढ़ किलोमीटर दूरी पर है । नदी के किनारे खेती की भूमि है , इस ग्राम में सहीस जाति के 1धर , पनिका जाति के 3 धर , अहीर जाति के 8 – 10 धर शेष लगभग 150 धर/परिवार गोड़ जाति के है । ग्राम की लगभग 70 प्रतिशत मिट्टी काली उपजाऊ है शेष 30 प्रतिशत मिट्टी बर्रा है जिसमें भी खेती होती है । ग्राम में विधुत लाईन एंव कुछ धरो में विधुत कनेक्सन है । यह ग्राम गाडासरई से उत्तर – पूर्व की दिशा में नदी के किनारे है गाड़ासरई से इस ग्राम की दूरी 6 कि.मी. हैं । गाड़ासरई से इस ग्राम में मोटर साईकिल , जीप , ट्रेक्टर , ट्रक ,से पहुचा जा सकता है । गाड़ासरई से ग्राम तक सडक है पर मरम्मत न होने से कुछ जगह उबड़ खाबड़ हो गये है । यह ग्राम डूब के अंतर्गत नही आता है ।ग्राम में 154 छोटे बडे कृषक खाते दार है इनमें से कुछ ग्राम से बाहर निवास करते हैं ।

सादर ।

एस.एल.बर्मन

राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग

सं - 9

कार्यालय कलेक्टर डिण्डोरी

क्रमांक/विकास/2005/ 3167 डिण्डोरी दिनांक 6 जून 2005

प्रति

आदरणीय श्री नागराज जी महाराज
नर्मदा उद्‌गम परिसर के पास
अमरकंटक जिला अनूपपुर

विषयः- ग्रामों के समग्र विकास योजना अन्तर्गत ग्रामों के चयन संबंधी जानकारी ।

महोदय

विषयांकित में स्मरण होगा कि दिनांक 23.5.2005 को अमरकंटक प्रवास के दौरान हुई चर्चा के अनुरूप मेरे द्वारा अधिनस्थ राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपकी वांछा अनुसार दो ग्रामों के चयन हेतु निर्देशित किया गया था, तद्‌नुसार क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक बजाग के द्वारा ग्राम चयन संबंधी जानकारी दी गयी है, जो मूलतः संलग्न है । जानकारी प्राप्त होने के उपरांत कृपया इन ग्रामों में लागू होने वाली योजनाओं के संबंध में अवगत कराने का कष्ट करें ।

सहपत्रः- उपरोक्तानुसार

कलेक्टर
डिण्डोरी

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के आधार पर
परिवार मूलक ग्राम-मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था के संदर्भ में

प्रथम संवाद सूचि
(स्वीकृति के लिए विकल्पात्मक, बिंदु)

संग्रह-सुविधा के विकल्प में समाधान-समृद्धि संपन्न होना	चाहिये	नहीं चाहिये
स्वयं में विश्वास, परस्परता में विश्वास सहित मानवीयतापूर्ण आचरण पूर्वक जीना	चाहिये	नहीं चाहिये
परिवार व ग्राम में परस्पर संबंध निर्वाह होना	चाहिये	नहीं चाहिये
सदा-सदा संबंधों में विश्वास निर्वाह होना	चाहिये	नहीं चाहिये
समझदारी व श्रम सहित ग्राम व्यवस्था में भागीदारी करना	चाहिये	नहीं चाहिये
सभी नर-नारियों के सहमति पूर्वक ग्राम व्यवस्था में, से, के लिए जिम्मेदार होना	चाहिये	नहीं चाहिये
सभी ग्रामवासियों की परस्परता में जाति, पद, धन के आधार पर अपना-पराया का दीवार मिटाना	चाहिये	नहीं चाहिये
सभी ग्रामवासी श्रमशीलता में दृढ़ता बनाए रखते हुए सभी प्रकार के समाधान के लिए समझदारी संपन्न होना	चाहिये	नहीं चाहिये
समझदारी से समाधान, श्रमपूर्वक समृद्धि होने में विश्वास (भरोसा) होना	चाहिये	नहीं चाहिये

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

अस्तित्व मूलक मानव केन्द्रित चिंतन के आधार पर
~~ग्राम-मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था स्थापित होने के संदर्भ में~~

द्वितीय ~~सूचि~~ संवाद सूचि
(विश्वास बिंदु)

हर परिवार समझदारी सहित समाधान-समृद्धि पूर्वक जीने में विश्वास	है	नहीं है
मानवीयतापूर्ण आचरण सहित जीने देने व जीने में विश्वास	है	नहीं है
परिवार में, पूरा ग्राम में संबंध को निर्वाह करने में विश्वास	है	नहीं है
ग्राम में जितने भी परिवार हैं, उनके साथ जीने में विश्वास	है	नहीं है
परिवार में समाधान-समृद्धि पूर्वक जीने और ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी करने में विश्वास	है	नहीं है
हर परिवार में, हर नर-नारी में से एक सदस्य ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी करने में विश्वास	है	नहीं है
ग्राम में हर परिवार, हर परिवार में हर सदस्य मानव व मानवीयता के आधार पर पहचानने व निर्वाह करने में विश्वास	है	नहीं है
पूरे ग्रामवासियों में समझदारी-श्रमशीलता सहित समाधान-समृद्धि सहज प्रमाण प्रस्तुत करने में विश्वास	है	नहीं है
ग्राम के सभी परिवारों में हर नर-नारी समझदारी पूर्वक ही समाधान, श्रम पूर्वक ही समृद्धि संपन्न होने में विश्वास	है	नहीं है

अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के आधार पर
परिवार मूलक ग्राम-मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था के संदर्भ में

तृतीय संवाद सूचि
(सत्यापन बिंदु)

हम परिवार समाधान-समृद्धि पूर्वक जीने का — सत्यापन

हम स्वयं में विश्वास करने, श्रेष्ठता का सम्मान करने, प्रतिभा व व्यक्तित्व में संतुलन सहज प्रमाण प्रस्तुत करने, व्यवहार में सामाजिकता व उत्पादन में स्वावलंबन प्रमाणित करने का — सत्यापन

हर परिवार में सभी संबंधों व मूल्यों का निर्वाह करने और परिवार सभा, परिवार समूह सभा, ग्राम परिवार सभा में भागीदारी करने का — सत्यापन

परिवार संबंधों में मानवीयता सहित मानव संस्कृति-सभ्यता सहज निर्वाह करने का — सत्यापन

परिवारों और सभाओं में विधि-व्यवस्था में निर्वाह रूप में भागीदारी करने का — सत्यापन

मानवीय शिक्षा-संस्कार, न्याय-सुरक्षा सुलभ होने में भागीदारी करने का — सत्यापन

उत्पादन कार्य, विनिमय कोष कार्य सहज सुलभ होने में भागीदारी करने का — सत्यापन

स्वास्थ्य संयम कार्य सहज सुलभ होने में भागीदारी करने का — सत्यापन

हर परिवार में समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि संपन्न होने का — सत्यापन

सं – 13

अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के आधार पर
परिवार मूलक ग्राम मोहल्ला स्वराज्य व्यवस्था स्थापित होने के संदर्भ में

चतुर्थ सूचि
(संकल्प बिन्दु)

हम परिवार में समाधान - समृद्धि पूर्वक न्याय - व्यवस्था में जीने का — संकल्प

समाधान - समृद्धि सहित जीता हुआ दश परिवार से निर्वाचित दस सदस्यीय परिवार समूह सभा में न्याय पूर्वक जीते हुए, उत्पादित वस्तुओं का उपयोगिता मूल्य के आधार पर मूल्यांकन विनिमय सहित, मानवीयतापूर्ण आचरण - व्यवहार करने का — संकल्प

दश परिवार समूह सभा में से निर्वाचित दश सदस्यीय ग्राम सभा में आर्मी व्यवस्था सहज विधि से जीने का — संकल्प

ग्राम अनुकूलता

1- ग्राम में निवास करने वाले व्यक्ति सीमित एवं निश्चित हैं।

2- सभी ग्राम वासी एक दूसरे को पहचानते हैं।

3- सभी ग्रामवासी एक दूसरे से सम्बन्ध को सम्बोधित करते हैं तथा सम्बन्ध को पहचान सकते हैं।

4- बाहरी परिवेश का प्रभाव व दबाव कम है।

5- कार्य एवं व्यवहार (पानी, बिजली, व्यवसाय के कार्य) में स्वतंत्रता ज्यादा है।

6- आवास के लिये स्थान, शुद्ध वायु, स्वच्छ परिवेश (प्रदूषण रहित) संभावित है।

7- आहार उत्पादन के लिये अनुकूलता है।

8- उत्पादन के लिये अवसर व संसाधन स्वाधीन है।

9- स्वास्थ्य के लिये अनुकूलता है।

10- बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने की संभावना है।

11- ग्राम व्यवस्था को स्वयंस्फूर्त विधि से संचालित कर सकते हैं।

12- ईंधन एवं ऊर्जा संतुलन की संभावना है।

13- ग्राम स्वायत्त एवं समृद्ध होने की संभावना है।

14- प्रत्येक परिवार स्वायत्त एवं समृद्ध होने की संभावना है।

आज दि० 05.01.2006, स्थान-डिंडोरी कलेक्ट्रेट समय 3-5 अपरान्ह

सन्दर्भ - परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था हेतु
यह गोष्ठी पूज्य बाबा श्री ए. नागराज जी संस्थापक दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक के मार्ग दर्शन में सम्पन्न हुयी। जिसमें कार्य समिति के निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

1 - श्री अशोक कुमार ... कलेक्टर डिंडोरी
2 - " बृजलाल मिश्रा एस.डी.एम "
3 - " जे. पी. यादव तहसीलदार "
4 - " राकेश कुमार नायब तहसीलदार "
5 - " डी. आर. परमार C.E.O जनपद
6 - " जे. एस. दुबे RI करंजिया
7 - " सर्वनलाल ... RI

दिव्य पथ संस्थान की ओर से श्री साधन भट्टाचार्य, श्री सुशील सिंह एवं श्री अंजनी अग्रवाल उपस्थित रहे। दोनो ग्राम के सरपंच एवं दिव्य पथ संस्थान से अभय पांडेय उपस्थित नही हो सके।

सर्व प्रथम सभी उपस्थित सदस्यों का परिचय हुआ तत्पश्चात पूज्य बाबाजी ने प्रथम विश्वास बिन्दु पर चर्चा प्रारम्भ की और विस्तार से पुनः समझाया।

माननीय कलेक्टर महोदय ने इन नौ विश्वास बिन्दुओं को सर्व मानवोपयोगी धर्म निरपेक्ष एवं अत्यन्त व्यवहारिक बताते हुये स्नेह पूर्ण सहमति एवं पूर्ण सहयोग प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया।

श्री बृजलाल मिश्रा जी ने भी उक्त चर्चा पर अपनी सहमति जताई एवं क्रमशः उपस्थित सदस्यों ने अपनी स्वीकृति एवं भागीदारी का आश्वासन दिया।

पूज्य बाबाजी ने कार्य समिति के सदस्यों के साथ तीन दिवसीय शिविर का प्रस्ताव रखा जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की। कलेक्टर महोदय ने शिविर स्थली ग्राम कौडिया सुबखार ... किसे कार्य समिति ने स्वीकार किया

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

निवास के समय एवं तिथि निश्चयन की जिम्मेदारी श्री साधन जी को दी गयी जिसे निश्चित कर सूचना समय पर प्रेषित करेंगे। 15

उपरोक्त महत् कार्य को सम्पन्न करने के लिये ग्राम कौडिया में दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों के अंशकालिक निवास हेतु आवश्यकता पर बल दिया गया जिसे दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों ने सहमति दी। इसपर एस.डी.एम. श्री मिश्रा जी ने आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली। कौडिया निवासी श्री जे. एस. धुर्वे ने प्रारम्भिक अवलोकन कर सूचित करने की जिम्मेदारी ली।

दिव्य पथ संस्थान के सदस्य श्री अभय पांडेय को प्रोजेक्ट आफीसर के रूप में डिंडोरी में पदस्थ करने का सुझाव पूज्य बाबाजी ने दिया। माननीय कलेक्टर महोदय ने म.प्र. शासन को अनुसंशा करने की जिम्मेदारी स्वीकारी तथा अभय पांडेय जी से सहमतिपत्र की आवश्यकता बतायी जिसे साधन जी ने प्राप्त करने का दायित्व स्वीकारा।

सं - 15

अशोक कुमार राय
(आई. ए. एस.)
कलेक्टर
एवं
जिला दण्डाधिकारी
जिला-डिण्डौरी (म.प्र.)

(07644)234174 - दूरभाष (कार्या.)
234175 - (निवास)
07644-234166 - फैक्स
कार्यालय कलेक्टर, जिला-डिण्डौरी
अर्धशासकीय पत्र क्र./
दिनांक

परम् श्रद्धेय,

अत्यंत आदर सहित अभिवादन।

आपका पत्र दिनांक 23.07.2005 प्राप्त हुआ । आपके आशीष अभिसिंचन से मेरे ह्रदय में अपार खुशी हुई है । कृपया पत्र में उल्लेख की गयी कार्ययोजना भेजने का कष्ट करें । आपकी इस सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्ति के सर्वांग विकास की योजना में मुझे पूर्ण सहयोग करके आत्मसंतोष प्राप्त होगा ।

आपके द्वारा भेजी गयी दो पुस्तकें "मानव व्यवहार दर्शन" एवं "जीवन विद्या एक परिचय" प्राप्त हो गयी हैं । इनके संक्षिप्त अध्ययन से ही आपके प्रति अपार श्रद्धा व प्रेम की जो अनुभूति हुई है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता ।

मैं यदि आपके चिंतन, दर्शन और व्यक्ति विकास एवं ग्राम सुराज की अवधारणा के संदर्भ में जितना भी सहयोग कर सकूँ, वह बहुत थोड़ा ही होगा ।

कृपया अपने स्नेह और आशीर्वाद से अभिसिंचित करते रहें तो आपकी अपार कृपा होगी ।

पुनः अत्यंत आदर !

भवदीय

4.8.05

(अशोक कुमार राय)

प्रति,

परम् आद. श्री ए. नागराज शर्मा जी
प्रणेता मध्यस्थ दर्शन (सह-अस्तित्ववाद)
श्री भजनाश्रम, नर्मदा मंदिर के सामने
अमरकण्टक (म.प्र.)

परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था

(मध्यस्थ दर्शन सह–अस्तित्ववाद पर आधारित योजना

सं - 16

गोष्ठी दिनांक 12/11/05, स्थान- कलेक्टर निवास, डिण्डोरी समय 1 से 3 अपराह्न

उपस्थित सदस्य 1. श्री अशोक कुमार राय कलेक्टर
2. श्री अजय पाण्डेय. सहा. आरखाना,
3. श्री साधन भट्टाचार्य दिव्य पथ संस्थान, सदस्य
4. श्री चन्द्रशेखर सिंह —"—

परस्पर परिचय के उपरान्त कार्यगोष्ठी के लिए स्थान का चुनाव पर चर्चा हुई माननीय कलेक्टर महोदय ने 30/12/05 को डिण्डोरी कलेक्टोरेट में बैठक का सुझाव दिया समय 3 से 5 अपराह्न। जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार किया।

कार्य समिति के गठन के मुद्दे पर माननीय कलेक्टर महोदय ने निम्न शासकीय सदस्यों का नाम प्रस्तावित किया

1. श्री अशोक कुमार राय — कलेक्टर
2. श्री बृजलाल मिश्रा — एस. डी. एम.
3. श्री जे. पी. यादव — तहसीलदार
4. श्री राकेश कुमार — नायब तहसीलदार
5. श्री डी. आर. परमार — CEO जनपद
6. श्री जे. एस. धुर्वे — RI
7. श्री सर्वनलाल वर्मा — RI

दिव्यपथ संस्थान की ओर से श्री साधन भट्टाचार्य ने निम्न सदस्यों के नाम प्रस्तावित किये

1. श्री अजय पाण्डेय
2. श्री साधन भट्टाचार्य
3. श्री सुशील सिंह

जिसे सभी व्यक्तियों ने स्वीकार किया एवं सहमत हुए।

परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था
(मध्यस्थ दर्शन सह–अस्तित्ववाद पर आधारित प्रेणता व लेखक ए0नागराज, संस्थापक दिव्य पथ संस्थान)

ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को देश में और मध्यप्रदेश में एक आवश्यकता के रूप में स्वीकारा गया है। इसकी अवधारणा योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन, फल परिणाम व मूल्यांकन को लेकर अनेक विचार–गोष्ठी, प्रस्ताव व प्रयास किये गये। परंतु इनमें संविधान, राज्य सरकार और जनमानस की अपेक्षाओं की एकसूत्रता का व पूरा होने की संभावना का अभाव बना रहना दिखता है।

मध्यस्थ दर्शन 'सह–अस्तित्ववाद' के आधार पर 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' की अवधारणा में उपरोक्त तीनो अपेक्षाओं की एकसूत्रता व उनका पूरा होना की संभावना स्पष्ट हेाती है।

इसी को केन्द्र में रखकर 24 से 26 जुलाई 2003 के दौरान आयुक्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, म0प्र0, श्री मनोज झालानी द्वारा श्रद्धेय ए0नागराज (प्रणेता मध्यस्थ दर्शन) उनके सहयोगी व पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक व विचार–गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस गोष्ठी में सविधान मानसिकता, शासन मानसिकता व आमजन मानसिकता के साम्य बिन्दु, मिलन बिन्दु पर चर्चा हुई। संविधान मानसिकता को समानता एवं सम्प्रदायनिरपेक्षता के रूप में पहचाना गया। राज्य शासन मानसिकता को पंचायत राज्य व ग्राम स्वराज्य को सफल बनाने के अर्थ में पहचाना गया। आम जनमानसिकता को संग्रह–सुविधा के स्थान पर समाधान, समृद्धि के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता को पहचाना गया। इन तीनों मानसिकता के साम्य व मिलन बिन्दु को सह–अस्तित्ववादी 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यस्था' में देखा गया। 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' में इन तीनों मानसिकता की अपेक्षाएं पूरी हो सकती है, ऐसा स्पष्ट हुआ। इसी क्रम में 'लोक शक्ति योजना' व 'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य योजना' का मूल व विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया (संलग्नक–1)।

'परिवारमूलक ग्राम स्वराज्य' योजना के क्रियान्वयन के क्रम में सलाहकार समिति का गठन किया गया एवं कार्य समिति की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें दिव्य पथ संस्थान के दो–दो प्रतिनिधि होने का प्राविधान रखा गया (संलग्नक–2)। इस आशय का पत्र आयुक्त पंचायत व जन कल्याण द्वारा श्रद्धेय ए0नागराज को दिनांक–24–07–2003 को भेजा गया।

परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था को दो स्तरों पर लागू करने की सहमति बनी थी – 1. चयनित ग्रामों में

1. चयनित ग्रामों में–कुछ चयनित ग्रामों में ग्राम स्वराज्य के सभी आयामों (शिक्षा संस्कार,

न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष स्वास्थ्य संयम) पर समझ का लोक व्यापीकरण एवं कार्य कार्य–व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी को प्रमाणित करना।

2. राज्य स्तर पर–राज्य स्तर पर 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' योजना की अवधारणा व योजना कार्यक्रम में ग्राम सभा के सदस्यों अन्य संबंधित व्यक्तियों व अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

चयनित ग्रामों में कार्यक्रम प्रारंभ करने की दृष्टि से डिंडोरी जिला जो अमरकंटक के निकट है, को प्रस्तावित किया गया। इस आशय से मा0आयुक्त द्वारा 13–11–2003 को एक बैठक निश्चित की गई जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित करनी पड़ी, (संलग्नक–3 आयुक्त का पत्र दिनांक–10–11–203)।

स्वराज्य व्यवस्था की आवश्यकता और क्रियान्वयन के संदर्भ में 1 अक्टूबर 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय उमा भारती व 07 अक्टूबर 2004 को पंचायत मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी से चर्चा हुई और दोनों ने इसकी सहमति व स्वीकृति श्रद्धेय ए0नागराज जी के सामने रखी। 30 अक्टूबर 2004 को (संलग्नक–4) साधन भट्टाचार्य ने क्रियान्वयन कार्य को गति देने की अपेक्षा से तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग को आगामी कार्यवाही के लिये पत्र लिखा (संलग्नक–5)।

आयुक्त पंचायत राज ने अपने पत्र दिनांक–25 नवम्बर 2004 (संलग्नक–6) द्वारा साधन जी को 2 से 8 दिसम्बर 2004 के बीच चर्चा के लिये आमंत्रित किया। आयुक्त ने कलेक्टर, डिंडोरी को भी इस आशय का पत्र लिखकर सूचित किया कि डिंडोरी जिला में कुछ गांवों को चयनित कर 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य योजना' के क्रियान्चयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें (पत्र दिनांक–13–12–04 संलग्नक–7)। इस संदर्भ में 28–12–04 को कलेक्टर, डिंडोरी के साथ निर्धारित (साधन जी व सुशील जी की) बैठक हो नही पायी।

डिंडोरी जिला में ग्रामों के चयन के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी बजाग तहसील ने कौड़िया व पाटन ग्राम को प्रस्तावित करते हुये 02–06–05 को कलेक्टर डिंडोरी को पत्र लिखा (संलग्नक–8)। ये गांव नर्मदा के किनारे बसे है और गाडासरई ब्लाक में आते है। यह कार्यवाही, कलेक्टर डिंडोरी श्री ए0के0 राय की अमरकंटक में श्रद्धेय ए0नागराजी जी के साथ हुई भेंट व चर्चा के फलस्वरूप हुई (दिनांक–23–05–05 संलग्नक–9 पत्र दिनांक–06–06–05)। अतः उक्त जानकारी को कलेक्टर द्वारा श्रद्धेय नागराज जी को उपलब्ध कराया गया (संलग्नक–9)।

इसी क्रम में गाड़ासरई में कलेक्टर द्वारा 30–06–05 को एक बैठक तय की गई जो स्थगित होकर 22 जुलाई 05 को संपन्न हुई जिसमें श्रृद्धेय बाबाजी के कलेक्टर ए0के0 राय, एस0डी0एम0 श्री बृजलाल मिश्रा आदि उपस्थित थे। ग्राम कौड़िया व पाटन के जनसंपर्क के दौरान कलेक्टर व एस0डी0एम0 ने जिस उत्साह वर्धन व धैर्य बंधाने का परिचय दिया वह प्रशंसनीय था। ग्रामवासियों ने भी 'परिवार मूलक स्वराज्य व्यस्था' में भागीदारी के

लिये उत्साह दिखाया। दोनों ग्रामों में 3–3 व्यक्ति ने प्रस्तावित सूची (प्रथम सूची चाहिये / नही चाहिये) के आधार पर प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी स्वीकारी।

सर्वेक्षण के लिये 4 संवाद सूची बनायी गई है (संलग्नक–10 से 13)।

प्रथम सूची–'स्वीकृति के लिये विकल्पात्मक बिन्दु' में सामान्य ग्रामवासियों को क्या स्वीकृत होता है, इसे तय करने के 9 बिन्दु प्रस्तुत किये गये, जिनसे सामान्य रूप से जन आकांक्षा की स्पष्टता होती है।

द्वितीय सूची–'विश्वास बिन्दु' में यह निश्चय करने की कोशिश की गई है कि क्या इन अपेक्षाओं को पूरा करने में हमें स्वयं में विश्वास है या नहीं (उपरोक्त–9 बिन्दुओं पर); अगर विश्वास नही है तो इससे 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' के आधारभूत सह–अस्तित्ववादी विचार के अध्ययन के आधार पर हर व्यक्ति में उपरोक्त 9 बिन्दुओं पर स्वयं में विश्वास बनने की संभावना समीचीन है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट होता है कि 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' के लिये शहरों की तुलना में ग्रामों में अनुकूलता अधिक है (संलग्नक–14 ग्राम अनुकूलता)।

तृतीय सूची–'सत्यापन सूची' में अध्ययन के आधार पर स्वयं में समाधान परिवार में समाधान, समृद्धि पूर्वक जीने का सत्यापन ग्राम–स्वराज्य व्यवस्था के पांचों आयामों में भागीदारी का सत्यापन (9 बिन्दू)।

चतुर्थ सूची–'संकल्प बिन्दू'–परिवार में समाधान, समृद्धि पूर्वक जीते हुये परिवार समूह सभा व ग्राम सभा में भागीदारी का संकल्प।

कलेक्टर डिंडोरी ने 'मध्यस्थ दर्शन' के प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर इसकी महत्ता व संभावना को स्वीकारते हुये इस पर आधारित ग्राम स्वराज्य योजना में हर संभव सहयोग करने का उत्साह व संकल्प व्यक्त किया (संलग्नक–15 पत्र दिनांक–04–08–05)।

इसी क्रम में 12 नवम्बर 05 को कलेक्टर निवास डिंडोरी में अगली बैठक संपन्न हुई। जिसमें साधन भट्टाचार्य, अभय पाण्डे, चन्द्रशेखरू, कलेक्टर डिंडोरी आदि उपस्थित थे। इसमे कार्य समिति का गठन किया गया। जिसमें दिव्य पथ संस्थान की ओर से श्री अभय पांडे, साधन भट्टाचार्य, सुशील सिंह का नाम रखा गया (संलग्नक–16)।

अगली बैठक 05 जनवरी 2006 को श्रद्धेय बाबा नागराज जी के मार्गदर्शन में डिंडोरी कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। जिसमें कलेक्टर श्री ए0के0राय, एस0डी0एम0 बृजलाल मिश्रा, तहसीलदार जे0पी0 यादव आदि व दिव्य पथ संस्थान की ओर से सर्वश्रभ साधन भट्टाचार्य, सुशील सिंह, अंजनी अग्रवाल उपस्थित थे। इसमें बाबाजी ने प्रथम सूची, विकल्पात्मक बिन्दु स्वीकृति के लिये पर विस्तार से चर्चा रखी। माननीय कलेक्टर ने इन नौ बिन्दुओ को सर्व मानवोपयोगी, सम्प्रदायनिरपेक्ष व अत्यन्त व्यवहारिक बताते हुये सहमति व्यक्त की और पूर्ण सहयोग प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया। बाबाजी ने कार्यसमिति के सदस्यों के साथ तीन दिवसीय शिविर का प्रस्ताव रखा जिसे सभी ने स्वीकृति प्रदान की। इसका स्थान ग्राम कौड़िया निश्चित हुआ। 'परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था' के महत् कार्य को संपन्न करने के लिये ग्राम कौड़िया में दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों के अंशकालिक

निवास के लिये आग्रह किया गया, जिसे दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों ने स्वीकृति दी। दिव्य पथ संस्थान के सदस्य श्री अभय पाण्डे को प्रोजेक्ट आफिसर के रूप में डिडोरी पदस्थ करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिये माननीय कलेक्टर ने म0प्र0 शासन को अनुशंसा करने की जिम्मेदारी स्वीकारी (संलग्नक–17 गोष्ठी कार्यवाही 5–1–6)।

इस क्रम में दिव्वयपथ संस्थान के कार्यकर्ताओं ने ग्राम कौड़िया के निवासीयों और कार्यसमिति के सदस्यों की एक बैठक बुलाने का निश्चय किया। माननीय कलेक्टर महोदय को इस आशय का पत्र साधन जी द्वारा भेजा गया (11/2 का पत्र संलग्नक–18)। जिससे 13–03–06 प्रातः 11 से 3 बजे बैठक की सूचना एंव निमंत्रण प्रस्तुत किया गया।

माननीय कलेक्टर श्री अशोक कुमार राय जी के स्थानांतरण के कारण बैठक स्थगित हो गई।

उन्नीस फरवरी 2006 को श्री साधन जी ने माननीय कलेक्टर श्री ई0रमेश कुमार जी से दूरभाष पर संपर्क कर मिलने का समय चाहा गया, जिससे श्रीमान को अब तक कार्य की सूचना एवं भविष्य की रूपरेखा बताई जा सके। श्रीमान कलेक्टर महोदय ने अगले ही दिन 20/02/06 दोहपर 1 बजे बैठक नियत की।

20 फरवरी को श्री साधन जी ने डिंडौरी कलेक्टर कार्यालय में उपस्थिति होकर कार्य की सूचना एंव भविष्य की रूपरेखा स्पष्ट की। इससे साथ लोकशक्ति परिवार मूलक स्वराज्य योजना का एक प्रति मानव व्यवहार दर्शन को एक प्रति, एवं एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर माननीय कलेक्टर महोदय से अवगायहन के पश्चात, सूचना देने का निर्देश दिया (संलग्नक–19)।

ग्राम अनुकूलता

1- ग्राम में निवास करने वाले व्यक्ति सीमित एवं निश्चित हैं।
2- सभी ग्राम वासी एक दूसरे को पहचानते हैं।
3- सभी ग्रामवासी एक दूसरे से सम्बन्ध को सम्बोधित करते हैं तथा सम्बन्ध को पहचान सकते हैं।
4- बाहरी परिवेश का प्रभाव व दबाव कम है।
5- कार्य एवं व्यवहार (पानी, बिजली, व्यवसाय के कार्य) में स्वतंत्रता ज्यादा है।
6- आवास के लिये स्थान, शुद्ध वायु, स्वच्छ परिवेश (प्रदूषण रहित) संभावित है।
7- आहार उत्पादन के लिये अनुकूलता है।
8- उत्पादन के लिये अवसर व संसाधन स्वाधीन है।
9- स्वास्थ्य के लिये अनुकूलता है।
10- बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने की संभावना है।
11- ग्राम व्यवस्था को स्वयंस्फूर्त विधि से संचालित कर सकते हैं।
12- ईंधन एवं ऊर्जा संतुलन की संभावना है।
13- ग्राम स्वायत्त एवं समृद्ध होने की संभावना है।
14- प्रत्येक परिवार स्वायत्त एवं समृद्ध होने की संभावना है।

पृ = 1/

आज दि० 05.01.2006, स्थान - डिंडोरी कलेक्टेट सभाग 3.5 आयोजित

सन्दर्भ - परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था हेतु

यह गोष्ठी पूज्य बाबा श्री ए. नागराज जी संस्थापक दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक के मार्ग दर्शन में सम्पन्न हुयी। जिसमें कार्य समिति के निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

1 - श्री अशोक कुमार जा कलेक्टर डिंडोरी
2 - " बृजलाल मिश्रा एस.डी.एम "
3 - " जे. पी. यादव तहसीलदार "
4 - " राकेश कुमार नायब तहसीलदार "
5 - " डी. आर. परमार C.E.O जनपद
6 - " जे. एस. धुर्वे RI करंजिया
7 - " सर्वनलाल वर्मा RI

दिव्य पथ संस्थान की ओर से श्री साधन भट्टाचार्य, श्री सुशील सिंह एवं श्री अंजनी अग्रवाल उपस्थित रहे। दोनों ग्राम के सरपंच एवं दिव्य पथ संस्थान से अभय पांडेय उपस्थित नहीं हो सके।

सर्व प्रथम सभी उपस्थित सदस्यों का परिचय हुआ। तत्पश्चात पूज्य बाबाजी ने प्रथम विश्वास बिन्दु पर चर्चा प्रारम्भ की और विस्तार से पुनः समझाया

माननीय कलेक्टर महोदय ने इन नौ विश्वास बिन्दुओं को सर्व मानवोपयोगी धर्म निरपेक्ष एवं अत्यन्त व्यवहारिक बताते हुये स्नेह पूर्ण सहमति एवं पूर्ण सहयोग प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया।

श्री बृजलाल मिश्रा जी ने भी उक्त चर्चा पर अपनी सहमति जतायी एवं क्रमशः उपस्थित सदस्यों ने अपनी स्वीकृति एवं भागीदारी का आश्वासन दिया।

पूज्य बाबाजी ने कार्य समिति के सदस्यों के साथ तीन दिवसीय शिविर का प्रस्ताव रखा जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की। कलेक्टर महोदय ने शिविर स्थली ग्राम कौडिया सुझाया जिसे कार्य समिति ने स्वीकार किया

क्रमशः

रिपोर्ट के समय एवं तिथि निश्चयन की जिम्मेदारी श्री साधन जी को दी गयी जिसे निश्चित कर सूचना उचित समय पर प्रेषित करेंगे।

उपरोक्त महत् कार्य को सम्पन्न करने के लिये ग्राम कौडिया में दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों के अंश कालिक निवास हेतु आवश्यकता पर बल दिया गया जिसे दिव्य पथ संस्थान के सदस्यों ने सहमति की। इस पर एस.डी.एम. श्री मिश्रा जी ने आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली। कौडिया निवासी श्री जे. एस. धुर्वे ने प्रारम्भिक अवलोकन कर सूचित करने की जिम्मेदारी ली।

दिव्य पथ संस्थान के सदस्य श्री अभय पांडेय को प्रोजेक्ट आफीसर के रूप में डिंडोरी में पदस्थ करने का सुझाव पूज्य बाबाजी ने दिया। माननीय कलेक्टर महोदय ने म.प्र. शासन को अनुसंशा करने की जिम्मेदारी स्वीकारी तथा अभय पांडेय जी से सहमतिपत्र की आवश्यकता बतायी जिसे साधन जी ने प्राप्त करने का दायित्व स्वीकारा।

शोक कुमार राय
(आई. ए. एस.)
कलेक्टर
एवं
जिला दण्डाधिकारी
जिला-डिण्डौरी (म.प्र.)

(07644)234174 - दूरभाष (कार्या.)
234175 - (निवास)
07644-234166 - फैक्स
कार्यालय कलेक्टर, जिला-डिण्डौरी
अर्धशासकीय पत्र क्र./
दिनांक

परम् श्रद्धेय,

अत्यंत आदर सहित अभिवादन।

आपका पत्र दिनांक 23.07.2005 प्राप्त हुआ। आपके आशीष अभिसिंचन से मेरे ह्रदय में अपार खुशी हुई है। कृपया पत्र में उल्लेख की गयी कार्ययोजना भेजने का कष्ट करें। आपकी इस सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्ति के सर्वांग विकास की योजना में मुझे पूर्ण सहयोग करके आत्मसंतोष प्राप्त होगा।

आपके द्वारा भेजी गयी दो पुस्तकें "मानव व्यवहार दर्शन" एवं "जीवन विद्या एक परिचय" प्राप्त हो गयी हैं। इनके संक्षिप्त अध्ययन से ही आपके प्रति अपार श्रद्धा व प्रेम की जो अनुभूति हुई है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

मैं यदि आपके चिंतन, दर्शन और व्यक्ति विकास एवं ग्राम सुराज की अवधारणा के संदर्भ में जितना भी सहयोग कर सकूँ, वह बहुत थोड़ा ही होगा।

कृपया अपने स्नेह और आशीर्वाद से अभिसिंचित करते रहें तो आपकी अपार कृपा होगी।

पुन: अत्यंत आदर!

भवदीय

4.8.05

(अशोक कुमार राय)

प्रति,

परम् आद. श्री ए. नागराज शर्मा जी
प्रणेता मध्यस्थ दर्शन (सह-अस्तित्ववाद)
श्री भजनाश्रम, नर्मदा मंदिर के सामने
अमरकण्टक (म.प्र.)

गोष्ठी दिनांक 12/11/05, स्थान - कलेक्टर निवास, डिण्डोरी समय 1 से 3 अपराह्न।

उपस्थित सदस्य 1. श्री अशोक कुमार राय कलेक्टर
2. श्री अजय पाण्डेय, सहा. व्यवस्थापक,
3. श्री साधन भट्टाचार्य दिव्य पथ संस्थान, सदस्य
4. श्री चन्द्रशेखर सिंह —"—

परस्पर परिचय के उपरान्त कार्यगोष्ठी के लिए स्थान का चुनाव पर चर्चा हुई माननीय कलेक्टर महोदय ने 30/12/05 को डिण्डोरी कलेक्टोरेट में बैठक का सुझाव दिया समय 3 से 5 अपराह्न। जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार किया।

कार्य समिति के गठन के मुद्दे पर माननीय कलेक्टर महोदय ने निम्न शासकीय सदस्यों का नाम प्रस्तावित किया

1. श्री अशोक कुमार राय कलेक्टर
2. श्री बृजलाल मिश्रा एस. डी. एम.
3. श्री जे. पी. यादव तहसीलदार
4. श्री राकेश कुमार नायब तहसीलदार
5. श्री डी. आर. परमार CEO जनपद
6. श्री जे. एस. धुर्वे R I
7. श्री सर्वनलाल वर्मा R I

दिव्यपथ संस्थान की ओर से श्री साधन भट्टाचार्य ने निम्न सदस्यों के नाम प्रस्तावित किये।
1. श्री अजय पाण्डेय
2. श्री साधन भट्टाचार्य
3. श्री सुशील सिंह

जिसे सभी व्यक्तियों ने स्वीकार किया (व सहमत हुए)।

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग,
मंत्रालय,भोपाल ।

क्रमांक/एफ–16–20/2003/पं.–2/22/ भोपाल,दिनांक 24.7.2003

प्रति,

संस्थापक,
दिव्य पथ संस्थान,
अमरकंटक,जिला–शहडोल,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था ।

संदर्भः–आपका पत्र दिनांक 30.7.2003

विषयान्तर्गत आपके पत्र के संदर्भ में सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था के क्रियान्वयन की सहमति निम्नानुसार दी जाती है :–

1. आपकी संस्था द्वारा सर्वेक्षण कर कुछ चुनिन्दा 2–3 ग्राम पंचायतों का चयन किया जायेगा जहाँ पर कि परिवार मूलक ग्रामस्वराज व्यवस्था को प्रमाणित किया जा सके ।

2. सम्पूर्ण कार्यवाही वर्तमान वैधानिक दायरे में की जावेगी ।

आपके प्रस्ताव अनुसार राज्य शासन ने निम्नानुसार 02 समितियों के गठन का निर्णय भी लिया है :–

सलाहकार समिति :–

1.	सचिव,पंचायत एवं समाज कल्याण	अध्यक्ष
2	आयुक्त,पंचायत एवं समाज कल्याण	सदस्य
3	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य
4	श्री श्याम बोहरे,ग्रामस्वराज संस्थान,पन्ना	सदस्य
5	श्री आमोद खन्ना,ताल संस्था	सदस्य

कार्य समिति :–

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3.	उपसंचालक,पंचायत	सदस्य
4.	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य

कृपया उपरोक्तानुसार समितियो के लिये दिव्य पथ संस्थान के प्रतिनिधियों का नामांकन शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें ।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं समाज कल्याण,

S. BATHAM

पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय, भोपाल

क्रमांक / पंचा– 8 / 2165   भोपाल, दिनांक 10-11-2003

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला–डिण्डोरी
   मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत–डिण्डोरी,
   मध्यप्रदेश ।

विषय:–परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।

परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संदर्भ मे दिनांक 13.11.2003 को आयोजित बैठक स्थगित की जाती है । बैठक की आगामी तिथि से पृथक से अवगत कराया जावेगा ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

पृ0क / पंच.–8 / 2003 / 2166   भोपाल,दिनांक 10-11-2003

प्रतिलिपि:–

1. श्री ए.नागराज शर्मा,संस्थापक,दिव्य पथ संस्थान,नर्मदा मंदिर के सामने अमरकंटक,जिला शहडोल को ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री [illegible] कानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. उप–संचालक,जिला कार्यालय,पंचायत एवं समाज कल्याण,जिला डिण्डोरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त,
पंचायत एवं समाज कल्याण,
मध्यप्रदेश

Comt-1 10-Nov-0340

सं - 4

दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक

नर्मदा मंदिर के सामने, नर्मदां चल, अमरकंटक
जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.
फोन: 07629-269407.

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
म०प्र० शासन
भोपाल.

संदर्भ: पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग क्रमांक / एफ-16-20/2003/पं-2/22
दिनांक 24.7.03 एवं क्रमांक पंचा-6/2003/2165

विषय: परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था।

मान्यवर,

सह-अस्तित्ववादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था के क्रियान्वयन की सहमति पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री एवं सचिव व आयुक्त पंचायत एवं समाजकल्याण विभाग से अनेक स्तरों पर हुई गोष्ठियों के उपरांत उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमाभारती के कार्यकाल में भी इस योजना को लाने के प्रयास किये गये। पंचायत मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर जी से भी विगत 7 अक्टूबर 2004 को श्रद्धेय ए. नागराज अमरकंटक प्रणेता सह-अस्तित्ववाद, मानव केंद्रित मध्यस्थदर्शन की भेंट भोपाल में जीवन विद्या के पाँचवें राष्ट्रीय सम्मेलन के दरम्यान हुई थी। उन्होंने आयुक्त महो. को निर्देशित किया था। माननीय गोविंद यादव जी ने भोपाल एवं अमरकंटक में श्रद्धेय बाबा जी से तीन दिन तक दर्शन के एवं योजना के विविध पक्षों पर चर्चा की थी।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसके क्रियान्वयन के लिये एवं तीव्रता के लिये आदेशित करने की विशेष कृपा करेंगे। श्रद्धेय बाबा श्री ए. नागराज जी की इस संबंध में आपसे चर्चा करने की भी इच्छा है। आपके समय की प्रतीक्षा रहेगी।

भवदीय

(साधन भट्टाचार्य)
दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक.

20/10/04

मुख्य मंत्री कार्यालय
मध्य प्रदेश

क्र.:903/CMS/OPR/2004 भोपाल, दिनांक: 05/11/2004

प्रति,

श्री साधन भट्टाचार्य,
दिव्य पथ संस्थान, नर्मदा मंदिर
के सामने नर्मदा चल अंमरकंटक
जिला अनुपपुर म.प्र.

विषय :परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था.

उपरोक्त विषयक मान.मुख्यमंत्रीजी को प्रेषित पत्र/टीप दि.30/10/2004 प्राप्त हुआ. उक्त पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत और ग्रामीण विभाग को आगामी कार्यवाही के लिए इस कार्यालय के जावक क्र.903/CMS/OPR/2004 दि.05/11/2004 द्वारा प्रेषित किया गया है.

अवर सचिव
मुख्यमंत्री

पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय,म0प्र0
तुलसीनगर (1250)भोपाल

क्रमांक / पंचा06 16 / 2004 / 17-91 भोपाल,दिनांक 25 नवम्बर 04

प्रति,

श्री साधन भट्टाचार्य,
विंध्य पथ संस्थान अमरकटक,
नर्मदा मंदिर के सामने,नर्मदांचल अमरकटक
जिला अनुपपुर मध्यप्रदेश

विषय:– परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था ।
संदर्भ:– माननीय मुख्यमंत्रीजी को संबोधित आपका पत्र दिनांक 30.10.04

---0---

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए । परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के संबंध में आपने चर्चा हेतु समय चाहा है कृपया दिनांक 2.12.04 से 8.12.04 के मध्य आयुक्त पंचायत एवं सामाजिक न्याय से उनके कार्यालय में समक्ष में आकर पूरे विषय पर चर्चा करें । कृपया आने से पूर्व फोन पर समय तय करने का कष्ट करें । (फोन नम्बर 95755–2556916)

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

उप संचालक,(पंचा0)
वास्ते–आयुक्त,
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,
मध्यप्रदेश

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय,मध्यप्रदेश

कमांक / पंचा–6 / 2004 / 1922 भोपाल,दिनांक 13 दिसंबर 04

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–डिण्डौरी,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– ग्राम स्वराज व्यवस्था विषयक ।

––0––

संस्थापक, दिव्यपथ संस्थान, अमरकंटक, जिला शहडोल द्वारा सह अस्तित्वादी दृष्टिकोण पर आधारित परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था के कियान्वयन की कार्यवाही जिला डिंडौरी की एक या दो ग्राम पंचायतों में करना चाहते हैं ।

2/ मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं सामाजिक न्याय द्वारा ज्ञापन कमांक/ एफ16–20 / 2003 / पं–2 / 22, दिनांक 24.7.03 से संबंधित संस्थान को कियान्वयन की सहमति दी है । सहज संदर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न है। पत्रानुसार जिला स्र पर कार्य समिति का गठन भी किया जाना है, जिसमें निम्न होंगे :–

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
3	उप संचालक पंचायत	सदस्य
4	दिव्य पथ संस्थान के दो प्रतिनिधि	सदस्य

3/ संस्थान के श्री साधन भट्टाचार्य आपसे संपर्क कर विस्तृत जानकारी देंगें । तद्नुसार जिले की चुनिन्दा पंचायतों में कार्यकम की रूपरेखा तैयार करने की कार्यवाही कर अवगत करावें । संबंधित को दूरभाष कमांक 07629 269631 तथा 269407 है ।

आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,म0प्र0

पृ0 क0 / पंचा–6 / 2004 / 1923 भोपाल,दिनांक 13 दिसंबर 04

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय,मध्यप्रदेशभोपाल के पत्र कमांक 903 / सीएमएस / ओपीआंर / 04, दिनांक 5.11.04 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. श्री साधन भट्टाचार्य, दिव्यपथ संस्थान, नर्मदा मंदिर नर्मदांचल, अमरकंटक, जिला अनुपपूर की ओर दिनांक 6.12.2004 को हुई चर्चा के संदर्भ में सूचनार्थ। कृपया कलेक्टर डिंडौरी से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें ।
3. उप संचालक, पंचायत एवं सामाजिक न्याय, जिला डिंडौरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त
पंचायत एवं सामाजिक न्याय,म0प्र0

www.madhyasth-darshan.info - Information Portal

सं – 8

कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग

क्रमांक /क्यूं/रा. नि. /2005 दिनॉक 2/6/2005

प्रति ,

मान्नीय श्री कलेक्टर महोदय डिण्डौरी

द्वारा :– श्री मान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) डिण्डौरी

विषयः– ग्रामो की जानकारी के संबध में

सदर्भ :– दिनॉक 25/5/2005 की राजस्व अधिकारीयों की बैठक की दौरान दिये मौखिक निर्देश के क्रम में

आदरणीय महोदय,

संदर्भित निर्देश के परिपालन में राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग तहसील व जिला डिण्डौरी के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्देशित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निम्न दो ग्राम प्रस्तावित है ।

1. <u>ग्राम कौड़िया प.ह.नं. 82 :–</u> श्री नर्मदा जी (नदी) के किनारे है , 5 टोलो के रूप में बसाहट है , इस ग्राम में क्रंमशः 4 धर के अहीर जाति के,10 धर के पनिका जाति के , 1धर लोहार जाति का है एंव शेष लगभग 200 परिवार / धर गोंड जाति के है। ग्राम की मिट्टी (लगभग) 70 प्रतिशत काली उपजाऊ है , 30 प्रतिशत भूमि बर्रा किश्म की भूमि है । ग्राम में विधुत लाईन एंव कुछ धरो में विधुत कनेक्शन है यह ग्राम गाड़ासरई से डिण्डौरी मार्ग पर खरगहना ग्राम से 6 कि. मी. उत्तर दिशा की ओर नदी के किनारे है , गाड़ासरई से कुल दूरी 18 कि. मी. है । किसी भी वाहन से ग्राम तक सुगमता से पहुँचा जा सकता है डूब के अन्तर्गत ग्राम नही आता ।ग्राम में 232 छोटे बडें खातेदार है इनमें से कुछ ग्राम के बाहर निवास करते है ।

2. ग्राम पाटन प.ह.नं. 97 :– यह ग्राम भी श्री नर्मदा जी (नदी) से लगा है /किनारे है , 2टोलो केरूप में मुख्य बसाहट है , बसाहट नदी से लगभग एक डेढ़ किलोमीटर दूरी पर है । नदी के किनारे खेती की भूमि है , इस ग्राम में सहीस जाति के 1धर , पनिका जाति के 3 धर , अहीर जाति के 8 – 10 धर शेष लगभग 150 धर/परिवार गोंड़ जाति के है । ग्राम की लगभग 70 प्रतिशत मिट्टी काली उपजाऊ है शेष 30 प्रतिशत मिट्टी बर्रा है जिसमें भी खेती होती है । ग्राम में विधुत लाईन एंव कुछ धरो में विधुत कनेक्सन है । यह ग्राम गाडासरई से उत्तर – पूर्व की दिशा में नदी के किनारे है गाड़ासरई से इस ग्राम की दूरी 6 कि.मी. हैं । गाड़ासरई से इस ग्राम में मोटर साईकिल , जीप , ट्रेक्टर , ट्रक ,से पहुचा जा सकता है । गाड़ासरई से ग्राम तक सडक है पर मरम्मत न होने से कुछ जगह उबड़ खाबड़ हो गये है । यह ग्राम डूब के अंतर्गत नही आता है ।ग्राम में 154 छोटे बडे कृषक खाते दार है इनमें से कुछ ग्राम से बाहर निवास करते हैं ।

सादर ।

एस.एल.बर्मन

राजस्व निरीक्षक मण्डल बजाग

कार्यालय कलेक्टर डिण्डोरी

क्रमांक/विकास/2005/ 3167 डिण्डोरी दिनांक 6 जून 2005

प्रति

आदरणीय श्री नागराज जी महाराज
नर्मदा उद्गम परिसर के पास
अमरकंटक जिला अनूपपुर

विषयः- ग्रामों के समग्र विकास योजना अन्तर्गत ग्रामों के चयन संबंधी जानकारी ।

महोदय

विषयांकित में स्मरण होगा कि दिनांक 23.5.2005 को अमरकंटक प्रवास के दौरान हुई चर्चा के अनुरूप मेरे द्वारा अधिनस्थ राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपकी वांछा अनुसार दो ग्रामों के चयन हेतु निर्देशित किया गया था. तद्नुसार क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक बजाग के द्वारा ग्राम चयन संबंधी जानकारी दी गयी है, जो मूलतः संलग्न है । जानकारी प्राप्त होने के उपरांत कृपया इन ग्रामों में लागू होने वाली योजनाओं के संबंध में अवगत कराने का कष्ट करें ।

सहपत्रः- उपरोक्तानुसार

कलेक्टर
डिण्डोरी